

Third Series, No.26

**Saturday, December 21, 1963**  
**Agrahayana 30, 1885 (Saka)**

# **LOK SABHA DEBATES**

**Sixth Session  
(Third Lok Sabha)**



**LOK SABHA SECRETARIAT**  
**New Delhi**

# CONTENTS

[Third Series Vol. XXIV—December 16 to 21, 1963/Agrahayana 25 to 30, 1885 (Saka)]  
 No. 21—Monday, December, 16, 1963/Agrahayana 25, 1825 (Saka)

(COLUMNS)

Members sworn . . . . .	4761
Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 579 to 582 and 584 to 588	4762—99
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 583, 589 to 598, 598A, and 599 to 606 . . . . .	4799—4814
Unstarred Questions Nos. 1648 to 1734 and 1734-B. . . . .	4814—74
Obituary reference . . . . .	4874
Closure of Office of Assistant High Commissioner of India in Rajshahi in East Pakistan . . . . .	4874—77
Papers laid on the Table . . . . .	4874—78
President's assent to Bills . . . . .	4878
Message from Rajya Sabha . . . . .	4878—79
Re. Paper laid on the Table . . . . .	4879
Estimates Committee—	
Fortieth Report . . . . .	4879
Statement re, Economic situation . . . . .	4879—95
Statement by Member . . . . .	4895—4905
Companies (Amendment) Bill as reported by Select Committee—	
Motion to consider . . . . .	4906—52
Clauses 2 to 14 and 1 . . . . .	4952—5011
Motion to pass . . . . .	5011—14
Half-an-Hour discussion re C.H.S. Ayurvedic Dispensary in New Delhi . . . . .	5014—28
Daily Digest . . . . .	5029—36

No. 22—Tuesday, December 17, 1963/Agrahayana 26, 1885 (Saka).

Oral Answers to Questions—	
*Starred Questions Nos. 607, 608, 610 to 615, 617, 618 and 620 . . . . .	5037—5075
Written Answers to Questions—	
Starred Questions Nos. 609, 616, 619 and 621 to 633 . . . . .	5075—5087
Unstarred Questions Nos. 1735 to 1816 and 1818 to 1848 . . . . .	507—5161
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Breakdown in Gauhati refinery . . . . .	5162—66
Re : Calling Attention Notice . . . . .	5166—72
Papers laid on the Table . . . . .	5172—74
Re : Statement by Member . . . . .	5174—77
Business of the House . . . . .	5177—78
Preventive Detention (Continuance) Bill—	
Motion to consider . . . . .	5178—5284
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
Entry of Naga hostiles into Burma through Manipur on their way to East Pakistan . . . . .	5284—94
Half-an-Hour discussion re land prices in Delhi . . . . .	5294—5308
Daily Digest . . . . .	5309—16



No. 23—Wednesday, December 18, 1963/Agrahayana, 27, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—

*Starred Questions Nos. 634 to 646 and 649.	5317—59
Short Notice Question No. 4 . . . . .	5359—52

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 647 to 648 and 650 to 656.	5362—67
Unstarred Questions Nos. 1849 to 1924 . . . . .	5367—5414

Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—

Collision between goods train and passenger train on the Southern Railway .	5414—16
Re. Appointment of Committee to enquire into allegations against Member	5416—17
Re. Question of Privilege . . . . .	5418—22
Detention of Member . . . . .	5422—23
Papers laid on the Table . . . . .	5423—26
Messages from Rajya Sabha . . . . .	5426—27
Committee on Private Member's Bills and Resolutions—	
Thirty-first Report . . . . .	5427
Slum Area (Improvement and Clearance) Amendment Bill—	
Report of Joint Committee . . . . .	5427
Public Accounts Committee—	
Seventeenth Report . . . . .	5428
Goa, Daman and Diu Judicial Commissioner's Court (Declaration as High Court)	
Bill—introduced . . . . .	5428—29
Preventive Detention (Continuance) Bill—	
Motion to Consider . . . . .	5429—5538
Point of Procedure . . . . .	5538
Half-an-Hour discussion re Lodi House Hostel	5538—52
Daily Digest . . . . .	5553—56

No. 24—Thursday, December 19, 1963/Agrahayana 28, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—

*Starred Questions Nos. 657 to 665, 667 to 668, 671 and 674 to 676 .	5557—94
--	---------

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 666, 669 to 670, 672, 672-A, 673 and 677 to 678 .	5594—99
Unstarred Questions Nos. 1925 to 1980 . . . . .	5599—5633
Preventive Detention (Continuance) Bill—	
Motion to consider . . . . .	5633—73
Shri Nanda . . . . .	5634—70
Clauses 2 and 1 . . . . .	5673—75
Motion to pass . . . . .	5675—80
Banking Laws (Miscellaneous Provisions) Bill—	
Motion to consider . . . . .	5681—5754
Short Notice Questions and Answers Nos. 5 and 6 . . . . .	5755—57
Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
U.S. Seventh Fleet extending its operations into Indian Ocean . . . . .	5767—74
Papers laid on the Table . . . . .	5776—79
Committee on Absence of Members from Sitzings of the House—	
Seventh Report . . . . .	5779
Statement re Recommendations of the Central Excise of the Re-organisation Com-	
mittee and Decisions of Government thereon . . . . .	5779
Statement by Member . . . . .	5779—84
Re. Alleged breach of Privilege . . . . .	5787—94
Daily Digest . . . . .	5795—5800

No. 25—Friday, December 20, 1963/Agrahayana 29, 188 Saka

Oral Answers to Questions—

*Starred Questions Nos. 679, 681 to 690, 694 to 696 and 698	5801—42
Short Notice Questions Nos. 7 and . . . . .	5842—48

Written Answers to Questions—

Starred Questions Nos. 680 and 691 to 693 . . . . .	5848—50
Unstarred Questions Nos. 1981 to 2042 . . . . .	5850—88

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—

1. Air Space Violations by Pakistan Aircraft . . . . .	5889—90
2. Reported inefficient working of Central Government Employees' consumer Co-operative Society ; and . . . . .	6032—37
3. Situation arising out of Supreme Court judgement <i>re</i> Shri Priya Gupta, M.P. . . . .	6037—43

Papers Laid on the Table

5890—96

Estimates Committee—

Replies to recommendations . . . . .	5897
--------------------------------------	------

Parliamentary Committees—

Minutes . . . . .	5897—98
-------------------	---------

Committee on Absence of Members from the sittings of the House—

Seventh Report . . . . .	5898—99
--------------------------	---------

Statement *re* Arrest of Member

5899—5915

Bills Introduced—

1. Coir Industry (Amendment) Bill ; and . . . . .	5915
2. Prevention of Food Adulteration (Amendment) Bill . . . . .	5915

Banking Laws (Miscellaneous Provisions Bill) -

Clauses 2 to 30 and 1 . . . . .	5916—40
Motion to pass, as amended . . . . .	5940

Delhi Development (Amendment) Bill—

Motion to consider . . . . .	5941—80
Clauses 2 to 30 and 1 . . . . .	5967—75
Motion to pass, as amended . . . . .	5976—81

Committee on Private Members Bills and Resolutions—

Thirty-first Report was adopted . . . . .	5981
---	------

Bills introduced—

1. Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill— (Amendment of sections 3 and 6) by Shri Panna Lal Barupal . . . . .	5981—82
2. Hindu Marriage (Amendment) Bill, 1963 (Amendment of section 5) by Shri Panna Lal Barupal . . . . .	5982
3. Constitution (Amendment) Bill (Amendment of articles 84 and 173) by Shri Hari Vishnu Kamath . . . . .	5982—83

Constitution (Amendment) Bill (Amendment of Article 343) by Shri C. K. Bhattacharyya—

Motion to consider . . . . .	5983—92
------------------------------	---------

Disclosure of assets of Ministers Bill by Shri Hari Vishnu Kamath—

Motion to consider . . . . .	5992—6031
------------------------------	-----------

*Re* Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance

6031

Half-an-Hour discussion *re* Pakistani infiltration in Assam

6043—62

Daily Digest

6063—70

No. 26—Saturday, December 21, 1963/Agrahayana 30, 1885 (Saka)

Oral Answers to Questions—

Short Notice Question Nos. 9 and 10 . . . . . 6071—78

Calling Attention to Matters of Urgent Public Importance—

(i) Indo-Pakistan Border Incidents . . . . . 6079—83

(ii) Condition of Bridges in districts bordering East Pakistan . . . . . 6083—85

Re. Statement attached to Answers . . . . . 6085—86

Papers Laid on the Table . . . . . 6086

Message from Rajya Sabha . . . . . 6086—87

Estimates Committee—

Thirty-ninth Report . . . . . 6087

Statement re re-classification of Cities . . . . . 6087—88

Statement by Member and reply thereto by Minister re. S.Q. No. 479 . . . . . 6089—92

Re. Presentation of Report of Estimates Committee . . . . . 6092

Bills Introduced—

State Bank of India (Amendment) Bill ; and . . . . . 6093

Advocates (Amendment) Bill . . . . . 6093

Discussions under Rule 193—

(i) Steps to root out corruption in administration . . . . . 6094—6147

(ii) Sugarcane Prices . . . . . 6147—6235

Half-an-Hour Discussion re Famine in Rajasthan . . . . . 6235—49

Members Sworn . . . . . 6249—50

Adjournment of the House . . . . . 6250

Daily Digest . . . . . 6251—54

Resume of the Sixth Session, 1963 . . . . . 6255—58

N.B.—The sign + marked above the name of a member on Questions, which were orally answered indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

## LOK SABHA DEBATES

6071

6072

### LOK SABHA

Saturday, December 21, 1963/  
Agrahayana 30, 1885 (Saka)

*The Lok Sabha met at Eleven of the  
Clock*

[MR. SPEAKER in the Chair]

#### ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

#### SHORT NOTICE QUESTIONS

#### Escape of Prisoners from Jail

+

S.N. Q. 9. { Shri Swell:  
                  Shri Hem Barua:

Will the Prime Minister be pleased to state:

(a) whether it is a fact that over 25 Daflas involved in the murder of some officials in the Chayeng Taju area of the Kameng frontier Division in N.E.F.A. have escaped from prison; and

(b) if so, the circumstances of their escape?

**The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):** (a) and (b). After the incident in May, 1963, in which 12 NEFA officials were murdered, 41 culprits belonging to the particular tribe that was responsible in the case were arrested, with the help of the local people, some having surrendered themselves. After investigation, cases were registered against 25 and the remainder discharged. On November 24, 1963, these 25 accused attempted to break 1880(Ai) LSD—1.

out of the Assam Rifles Quarter Guard after dark. In the encounter that followed, two were killed and 10 immediately recaptured. Since then all but one of the remaining 13 have been rounded up with the help of village leaders.

The escape from the Quarter Guard was obviously a desperate bid to avoid punishment for the murder incident in May last. The trial is proceeding and the accused have been committed to sessions.

**Shri Swell:** The Prime Minister has not been pleased to state the place where those accused were kept. I assume it is somewhere in NEFA. May I know whether now we have adequate arrangements to keep these accused in check in that area?

**Shri Jawaharlal Nehru:** To keep them in check?

**Mr. Speaker:** Now there is no danger of anybody's escape?

**Shri Jawaharlal Nehru:** I hope not. As a matter of fact, as I have stated, all these, except one, have been rounded up and re-arrested.

**Shri Swell:** Will the Prime Minister please state whether the escape of these accused has anything to do with corruption and if officials in that area have not been in some way or other enabling the accused to escape?

**Shri Jawaharlal Nehru:** I do not think that it has anything to do with corruption.

**Shri Hem Barua:** In view of the fact that this is not for the first time that

such an incident has occurred—on a previous occasion also five Mizmis escaped from NEFA—may I know what steps Government have taken to strengthen the security measures in NEFA so that incidents of this sort might not be repeated over and over again?

**Shri Jawaharlal Nehru:** I am not aware of such an incident happening previously.

**Shri Hem Barua:** Five Mizmis had escaped some months back. The Defence Minister admitted it here.

**Shri Jawaharlal Nehru:** Maybe. Obviously, the steps must have been taken—in this case too. They were in the Quarter Guard which is not in the prison and they escaped from there and they were immediately, within the next day or two....

**Shri Hem Barua:** But they overpowered our guards and then escaped.

**Shri Jawaharlal Nehru:** Maybe; anyhow, they must have taken the steps to prevent recurrence of such things.

**Shri S. N. Chaturvedi:** May I know whether these prisoners were able to get away from custody on their own or they got help from any outside agency?

**Shri Jawaharlal Nehru:** As far as I know, there is no outside agency involved. They went away by themselves and they came back by themselves too.

**Shrimati Savitri Nigam:** May I know whether the Government have got any authentic information that some of these rebel Nagas have recently entered into Burma and some of them have been very much wanted here by the police?

**Mr. Speaker:** This is quite different.

दिल्ली में आटे का संभरण

+

अ०सू०प्र०१०. { श्री रामसेवक यादव :  
श्री कछवाय :  
श्री भू० ना० मंडल :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में लोगों को आटा मिलने में कठिनाई हो रही है;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा की जा रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री : स - चव (श्री शिन्डे) : (क) दिल्ली में इस समय आयातित गेहूं से मिल द्वारा तैयार किये गये आटे की पर्याप्त सप्लाई उपलब्ध है और इसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

[(a) At present adequate supplies of mill atta produced from imported wheat are available in Delhi and there is no difficulty on that account.

(b) and (c). Do not arise.]

श्री रामसेवक यादव : मैं जानना चाहूंगा कि आटा और गेहूं के वितरण की दिल्ली में क्या व्यवस्था है और इस समय आटा और गेहूं का भाव क्या है ।

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): With regard to the supply of wheat products in Delhi, there are as many as six flour mills and the installed capacity is sufficient to meet the requirements of Delhi. These mills have got about 4000 shops here and the price of wheat products is controlled. They can only sell at the controlled prices fixed by the Govern-

ment. Apart from that, the Central Government has opened another 205 fair price shops, but they were not functioning for some time because the price of indigenous wheat went down to such an extent that there was no demand for imported wheat. Now, because of rise in the price of indigenous wheat, there is demand for imported wheat and we have made arrangements to activate these 205 fair price shops which had been opened. Besides that, we are opening another 200 shops for effecting supplies with wheat supplied by the Central Government. I think, these arrangements will meet the situation.

**Mr. Speaker:** What is the price? He wanted to know that also.

**Shri A. M. Thomas:** The prices per quintal are: whole meal atta—Rs. 41.53; resultant atta—Rs. 38.55; maida—Rs. 53.58; suji—Rs. 58.94.

**श्री रामसेवक यादव:** क्या मंत्री महोदय का ध्यान अखबारों में छपी इस खबर की ओर गया है कि वास्तविकता यह है कि आटे की कमी है और कारण यह बतलाया गया है कि जो गेहूं मिलों को दिया जाता है वह काले बाजार में बिक जाया करता है और वहां पिस कर जनता में नहीं बंटता।

**Shri A. M. Thomas:** There are complaints that wheat products were being sold above the controlled prices. We immediately took action and now the inspection staff has been strengthened so that there will be better checking over the distribution through these 4000 and odd shops which are run by the mills. One thing the hon. House has to realise is that it is only the indigenous wheat where the price has gone up. As for wheat products produced out of indigenous wheat, of course, the prices would be a little higher. But, as far as the vulnerable section of the population is concerned, they are taken care of by the distribution of wheat products out of the

imported wheat. If people have got a preference for the high-priced Punjab wheat, we cannot help it.

**श्री कछवाय:** क्या यह सही है कि जो विदेश से गेहूं आता है उसको आटा मिल वाले सस्ते दाम पर खरीद लेते हैं और आटा महंगे दामों पर बेचते हैं और आटा दो व तीन क्वालिटीज़ का बेचते हैं? और किस भाव से बेचते हैं?

**Shri A. M. Thomas:** That is not a fact. As far as wheat products are concerned, now, there are no complaints that the wheat products produced out of the imported wheat that was supplied to these mills are sold at higher prices. There had been some complaints a few days back, but after the inspection staff has been strengthened, and after all the steps taken by the Delhi Administration also, there have not been any further reports of higher prices being charged for wheat products produced out of imported wheat.

**श्री कछवाय:** इसको हिन्दी में करवा दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय:** सब कुछ हिन्दी में नहीं करवाया जा सकता।

**श्री काशी राम गुप्त:** क्या यह सही है कि देशी गेहूं के आटे के नाम पर अमरीकी गेहूं का आटा बेचा जा रहा है क्योंकि देशी गेहूं का भाव ३२ रुपये मन है? क्या इसको रोकने का कोई उपाय किया जा रहा है?

**Shri A. M. Thomas:** There have been some complaints that the wheat products manufactured out of imported wheat are mixed with the other wheat products and sold at higher prices. We have strengthened the inspection directorate, and if possible, any cases coming to our notice will be strictly dealt with.

**श्री कशन पटनायक:** क्या गेहूं के आटे के वितरण की जिम्मेदारी दिल्ली सेंट्रल कोऑपरेटिव स्टोर को दी गयी है?

**Shri A. M. Thomas:** It is not a question of responsibility. As far as the fair price shops are concerned, we exercise supervision over them, and we make the supplies to them; and the Delhi Administration, of course, is directly responsible. There is no question of shelving the responsibility from the Centre to the Administration or from the Administration to somebody else.

**श्री किशन पटनायक :** क्या उनके जरिये बेचा जा रहा है ?

**Mr. Speaker:** He wants to know whether any part of this distribution has been entrusted to that co-operative society.

**Shri A. M. Thomas:** There has not been any complaint with regard to distribution by any co-operative society. In fact, we are prepared to look into any complaint that may be brought to our notice.

**श्री किशन पटनायक :** उन्होंने जवाब नहीं दिया ।

**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने कहा है कि कोप्रोपरेटिव स्टोर की कोई शिकायत नहीं है ।

**श्री म० ला० द्विवेदी :** किसानों से जो गेहूँ १३ या १४ रुपये मन पर खरीदा गया वह आज दिल्ली में २३ और २४ रुपये मन बिक रहा है और आटा उमड़े भी महंगा है । मैं जानना चाहता हूँ कि यह मुनाफा किस को जा रहा है ? क्या सरकार इसका नियंत्रण कर रही है ?

**Shri A. M. Thomas:** There is no compulsory procurement of wheat at all. In fact, the wheat prices have been fixed by way of giving support to the farmer in case the wheat prices go below the economic level; the price has been fixed at Rs. 14 for the common variety of wheat. It is only when the prices go below that that the question of purchase will arise. Otherwise, there is no question of compulsory procurement.

**Shri M. L. Dwivedi:** What I meant was that the purchase was made...

**अध्यक्ष महोदय :** १३ या १४ रुपये मन खरीदे तो लम्बा अरसा हो गया ।

**Shri M. L. Dwivedi:** When the wheat was purchased...

**Mr. Speaker:** Order, order. Shrimati Savitri Nigam.

**Shrimati Savitri Nigam:** May I know whether Government have received any complaint regarding the supply of bad quality of imported wheat flour and also complaints that a lot of imported wheat flour is being smuggled into the surrounding districts of Punjab and UP ?

**Shri A. M. Thomas:** We have not received any complaint with regard to bad quality, but we have received complaints that smuggling was going on. Actually, it is not a question of smuggling, because wheat products could be transported freely, and, there has not been any restriction on transport of wheat or wheat products. All the same, we have advised the various mills that they should not export these wheat products from the Union Territory of Delhi.

**Shri Tulshidas Jadhav:** Out of these fair price shops how many are given to the co-operative societies, and how many are given to individual owners?

**Shri A. M. Thomas:** We have asked the various co-operative societies to take as much of wheat as possible from our stocks but, in fact, the proposition was not attractive before. As I have already said, even the fair price shops which were opened previously have had to be energised now because the wheat prices were so low earlier and it is only in recent months that the price of indigenous wheat has risen. During last year, the index was only 89 per cent. So, if there is some rise, I should say that that is to some extent also a corrective.

# CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

## (i) INDO-PAKISTAN BORDER INCIDENTS

**Shri Swell** (Assam—Autonomous Districts): I call the attention of the Prime Minister to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon:—

"The recent Indo-Pakistan border incidents."

**The Prime Minister, Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru):** I last made a statement on the 12th December regarding the continued firing by Pakistanis on the Assam-East Pakistan border in the Lathitilla|Dumabari area and the Lobhacherra Sector.

2. After four days of firing in the Lathitilla|Dumabari area, both sides agreed to cease fire from 0800 hours on the 15th December, and the two Sector Commanders met at SUTAR-KANDI, two hours later to discuss its terms. Since then no firing has been reported so far from this area. Except for the constable who received leg injuries on the first day, there have been no casualties amongst our Border forces. However, a 13-year old girl was grazed on the cheek by a stray bullet and has been treated for it. There has been no other civilian casualty.

3. Our Surveyor-General has met the Surveyor-General of Pakistan at Dacca on the 19th and the 20th December, following our offer of "crash demarcation" in this "disputed area". We are awaiting his report.

4. In the Lobhacherra Sector, Pakistan continued intermittent firing for ten days—from 9th to 19th December. In my statement of the 12th December, I have already reported the incidents of the earlier days in respect of this sector. There was a lull in the firing between the 12th and the 15th

December, when it was renewed from 1100 hours to 1500 hours, approximately. The East Pakistan Rifles personnel were entrenched about 200 to 300 yards within our territory on a thickly forested tilla in the region. They continued firing sporadically upon our patrols as well as on a party carrying rations to our border outpost in the vicinity.

5. However, there has been a cease fire in this area also which came into effect at 1600 hours on the 19th December, following a meeting that morning between the Sector Commanders of the two countries, held at Dawki on the Assam-East Pakistan border. The East Pakistan Rifles have agreed to withdraw within 24 hours their forces south of the jointly demarcated boundary to their original positions prior to the opening of fire on the 9th December. There have been no casualties on our side except that two of our border security personnel have been reported as missing. I may add that the two border security personnel who were reported as missing have since returned and joined their ranks.

**Shri Swell:** Although there has been a cease-fire in the Lobhacherra area, may I know whether it is a fact that there has been a fresh and big Pakistani army build-up in an area opposite Dawki at the foot of the Khasi Hills near Lobhacherra and that the Pakistan Army has conscripted the tea estate labourers in Lobhacherra for constructing bunkers and things like that, and that all this is going on together with the presence of the Chinese military instructors in Sylhet area in Pakistan?

**Mr. Speaker:** Only one of these questions might be answered.

**Shri Jawaharlal Nehru:** I cannot give any information on the various questions the hon. Member has asked, because I do not know anything about it.



**श्री यशपाल सिंह (कैराना) :** क्या यह सही है कि १५० नागा होस्टाइल्स को पाकिस्तानी फौज में भरती किया गया है और पाकिस्तानी सेना की तीन कम्पनियां सिलहट के पार आ कर जमा हो गयी हैं ?

**अध्यक्ष महोदय :** इस का इस सवाल से क्या ताल्लुक है ? मेम्बर साहबान को चाहिए कि जो सवाल सामने हो वे उसका ध्यान रखें और उसके मुताल्लिक ही सप्लीमेंटरीज पूछें ।

**श्री यशपाल सिंह :** सरहद्द पर जो हो रहा है मैंने उसके बारे में सवाल किया है ।

**Shri Jashvant Mehta (Bhavnagar):** Is it a fact that Pakistan and China have made up their mind to divert the attention of the world towards this tension by means of these incidents? Are they pre-planned or sporadic? Also, what steps have been taken to counteract these?

**Mr. Speaker:** Whether they are sporadic or pre-planned, is the question.

**Shri Jawaharlal Nehru:** I cannot say.

**Shri Hem Barua (Gauhati):** May I remind the Prime Minister of what he said years back—"पाकिस्तान कीन सी चिड़िया है" 'What bird is Pakistan'? In the context of that, in view of the fact that that bird has been disturbing our frontier quite a lot, has not the Prime Minister considered it necessary to make a show or make a display of our strength and give a little bit of hard-hitting by bullets, no matter however much Pakistan might shout against us, rather than bid for an uneasy peace of this sort, for there are instances of Pakistan violating the cease-fire before the ink is dry on the agreement?

**Mr. Speaker:** The question is not to be supported by explanations.

**Shri Jawaharlal Nehru:** As far as I have been able to understand the hon. Member's question . . .

**Shri Hem Barua:** Shall I repeat it?

**Mr. Speaker:** No.

**Shri Jawaharlal Nehru:** I have to point out that our forces there when attacked have fired in self-defence. Secondly, this is an area which is in dispute between Pakistan and us.

**Shri Hem Barua:** My question is not answered. It has been brushed aside unceremoniously.

**Mr. Speaker:** There was no need to make a show of strength. This is a disputed area. They are also claiming it. Now there is a cease-fire.

**Shri Hem Barua:** They have encroached on our territory.

**Mr. Speaker:** That is now to be settled. After the cease-fire there would be talks.

**Shri P. C. Borooah (Sibsagar):** Is it a fact that under the cover of continued fire of Pakistani forces all along the Assam-East Pakistan border, Pakistanis have settled in the disputed territory on the Indian side? If so, to what extent?

**Mr. Speaker:** The hon. Prime Minister has said that they have agreed to withdraw from the territory they have taken.

**Shri P. C. Borooah:** I am talking of Pakistanis in Indian territory.

**Mr. Speaker:** Have any Pakistanis settled down under the cover of that fire in our territory?

**Shri Jawaharlal Nehru:** I do not know. It is hardly a place where one settles down.

**Shri Kapur Singh (Ludhiana):** Is there some evidence or indication to suggest that these intensified and recurring incidents are somehow linked

up with the Chinese grand strategy of alienating us from the Afro-Asian brotherhood?

**Shri Jawaharlal Nehru:** I cannot answer that, how far they are linked up, but it does appear that the Pakistani authorities are anxious to create incidents to provoke us into some action against them which will escalate.

**Shri Swell:** Will the Prime Minister be pleased to collect information on the questions I have asked, because he said he had no information?

**Mr. Speaker:** All right.

(ii) **CONDITION OF BRIDGES IN DISTRICTS BORDERING EAST PAKISTAN.**

**Shri Kapur Singh:** I call the attention of the Minister of Transport and Communications to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

Deplorable condition of bridges, most of them being wooden structures, in the districts bordering on East Pakistan, especially Cooch-Bihar and Jalpaiguri, and steps being taken to replace them by pucca RC bridges in view of the urgent defence needs.

**The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur):** So far as the National Highways are concerned, Cooch-Bihar and Jalpaiguri are served by National Highway No. 31, which has been accorded the highest priority during the present emergency. According to the programme of development, all the weak and narrow bridges had to be strengthened to Class 18 loading immediately and to Class 70 load in the second phase. Most of the weak and narrow bridges on this Highway in West Bengal have been reconstructed to Class 70 load with 24 ft. wide roadway and the remaining few are expected to be completed by the end of March 1964.

**Shri Kapur Singh:** May I know how much funds have been expended on these improvements?

**Shri Raj Bahadur:** I require notice.

**Shri Ranga (Chittoor):** Is it not a fact that most of these bridges even now—though reclassified as Class No. 12: I do not know what it means—happen to be wooden bridges? What funds have been sanctioned even now? What is the programme for replacing them by pucca bridges long before the usual date that they had fixed before this emergency had come in?

**Shri Raj Bahadur:** Of course, they were wooden bridges; they were there for a long time. But I may assure the Member that most of them have been already strengthened to Class 70 loads which means that the heaviest loads can be taken over them now.

**Shri Ranga:** They have been reclassified—that is all?

**Shri Raj Bahadur:** They have been completely done in cement etc. They are pucca structures—RC. Apart from that, certain missing bridges have also been furnished.

**श्री यशपाल सिंह:** क्या यह सच है कि ठेकेदारी सिस्टम की वजह से पुल जल्दी बनते हैं और बहुत जल्दी खराब होते हैं? मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि इस के लिए सरकार ने कितने फंड्स मंजूर किये हैं?

**श्री राज बहादुर:** मेरे खयाल से यह बिल्कुल गलत है कि ठेकेदारी सिस्टम की वजह से पुल जल्दी बनते हैं और जल्दी खराब हो जाते हैं क्योंकि पुल का एक स्पेसिफिकेशन होता है, पुल की स्ट्रेंथ नापी जाती है और उस का इम्प्लान होता है। उसके बिना कोई चीज एडव नहीं की जा सकती है।

**श्री यशपाल सिंह:** कितने फंड्स मंजूर किये गये हैं?

श्री राज बहादुर : मैंने कहा है कि कई सड़कों के लिए इकट्ठे फंडज दिये गये थे । इसलिए मैं एक-साथ रकम नहीं दे सकूंगा ।

11-27 hrs.

RE: STATEMENTS ATTACHED TO  
ANSWERS

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य श्री द्विवेदी ने उस दिन कहा था कि उन को स्टेटमेंट नहीं मिला । वह इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : (हमीरपुर) : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या ६६५ के उत्तर के साथ जो वक्तव्य उपमंत्री विन मंत्रालय, श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा, के कथनानुसार सदन-पटल पर रख दिया गया था वह उस दिन के कागजों में दिखाई नहीं दिया । लेकिन जब बाद में कागज गौर से देखे गये तो पता चला कि वह वक्तव्य प्रश्न संख्या ६५७ के स्टेटमेंट के साथ नत्थी कर दिया गया था और उस पर लाल पेंसिल से प्रश्न-संख्या सूचित नहीं की गई थी । इस स्टेटमेंट को प्रश्न संख्या ६६३ के पञ्चानु होता चाहिए था । लेकिन वहां पर वह नहीं था और लाल पेंसिल से निशान भी नहीं लगा था इसलिए माननीय सदस्यों को वह स्टेटमेंट नहीं मिला ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के अलावा किसी और माननीय सदस्य को तो तकलीफ नहीं हुई ।

श्री म० ला० द्विवेदी : माननीय सदस्य, श्री भागवत झा आजाद, ने भी यह प्रश्न उठाया था ।

Shri Raghunath Singh (Varanasi):  
there was a mistake of paging.

श्री म० ला० द्विवेदी : कागज तो था,  
लेकिन वह क्रम से नहीं लगा था ।

अध्यक्ष महोदय : मेम्बर साहबान को मेरे खिलाफ या आफिस के खिलाफ कुछ कहने से पहले अपने हाथ में जो कागजात हो, उनको तो देख लेना चाहिए ।

श्री म० ला० द्विवेदी : कागज तो अच्छी तरह से देख लिये थे, लेकिन चूँकि वह स्टेटमेंट क्रम से नहीं लगा था और साधारणतः उस का पता भी नहीं चल सकता था, इसलिए न वह मुझे दिखाई दिया और न अन्य सदस्यों को ।

Shri Bhagwat Jha Azad (Bhagalpur):  
I take these statements every day,  
almost invariably. I go through them.  
That date was put in one question.  
We see the question. It was attached  
to another question. We could not,  
therefore, locate it.

11. 30 hrs.

PAPER LAID ON THE TABLE

Mr. Speaker: Papers to be laid—  
Hon. Ministers should be attentive.

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION  
(EXEMPTION FROM CONSULTATION)  
SECOND AMENDMENT REGULATIONS

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Second Amendment Regulations, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1888 dated the 14th December, 1963 under clause (5) of article 320 of the Constitution together with an explanatory note. [Placed in Library. See No. LT-2224/63].

11.31 hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

Secretary: Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha:

"In accordance with the provisions of rule 125 of the Rules of

Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha, at its sitting held on the 19th December, 1963, agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 1963, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December, 1963."

aspects of the matter, Government have decided that population will have, as at present, to continue to be the primary basis for classifying cities for purposes of the grant of allowances to Central Government employees. Efforts have been made to construct index numbers of comparative costliness of some cities but in the absence of full data, the results are not complete. They can for the present provide only an indication of the general trend.

11:31½ hrs.

## ESTIMATES COMMITTEE

### THIRTY-NINTH REPORT

**Shri Bhagwat Jha Azad** (Bhagalpur): Sir, I beg to present the Thirty-ninth Report of the Estimates Committee on action taken by Government on the recommendations contained in the 154th Report of the Estimates Committee (Second Lok Sabha) on the Ministry of International Trade—Coir Board, Ernakulam.

11:32 hrs.

## STATEMENT RE: RECLASSIFICATION OF CITIES

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari):** Representations have been received from Government employees and their Associations from several cities for upgrading the cities for the purpose of city compensatory and house rent allowances. A question about upgrading Nagpur was asked in the Rajya Sabha last month. The question of upgrading Madras was discussed in the Lok Sabha last week on a Resolution sponsored by Shri Manoharan. I had then indicated that Government were looking into the problem.

2. A review of the existing system of classification of cities has now been completed. After considering all

3. However, it has been decided that, instead of the existing 3 classes viz., A, B and C, there should be four classes A, B-1, B-2 and C. The population limits for qualifying for these classes would be 16, 8, 4 and 1 lakhs respectively instead of the present limits of 20, 5 and 1 lakhs. Classes A, B-2 and C will have the rates of allowances now attached to the existing A, B and C classes respectively. The new class B-1 will have rates intermediate between existing A and B classes.

4. Under this new system of classification, one B class city, Madras, would be re-classified A; four B class cities, viz. Hyderabad, Ahmedabad, Bangalore and Kanpur, would be re-classified as B-1 and three C class cities viz., Madurai, Allahabad and Jaipur, would be re-classified as 'B-2'. Other B class cities would be re-classified B-2, without any change in the rates of allowances admissible there.

5. This re-classification will have effect from the 1st January, 1964. As a result of this re-classification, more than 1½ lakhs Central Government employees in these eight cities will be eligible for higher rates of allowances with effect from 1st January, 1964. The additional cost is estimated at Rs. 2.59 crores per annum.

11:34 hrs.

**STATEMENT BY MEMBER AND  
 REPLY THERETO BY MINISTER**  
 RE. S. Q. No. 479

**Shri Inder J. Malhotra** (Jammu and Kashmir): Sir, on the 10th December, 1963, the Minister of State for Food, while answering to Starred Question No. 479 regarding "Ghee prepared from spoiled butter at D.M.S." stated:

(1) That the ghee conformed to AGMARK standards and said:—

"All the same, it conformed to Agmark standard. However, I decided that since there had been complaints and the acidity was rather high, we should not sell them in tins as DMS ghee, but only in bulk for frying purposes and for bakeries. There is no difficulty for them to use this, because they are using Agmark ghee and this conformed to Agmark standard. But for sales for direct consumption by people I said it should not be sold as DMS ghee, and it has not been sold."

(2) He further emphasised that it was sold only to *halwais* and insisted that:—

"In fact on a limited tender basis, we sold this ghee to one Pyarelal Lakhi Mal, who took about 2½ tonnes at Rs. 562 per quintal. The cost of this will come to Rs. 3,83,800, but we will be realising Rs. 2,86,620. The rest of the quantity is still with us. It was intended only for sale to *halwais* and not for direct consumption."

It was not sold to public for human consumption. But the facts are:—

The ghee sold did not conform to AGMARK standards and no certificate was issued by the proper authorities in this respect. The firm to which this ghee was sold refused to lift it and demanded that the ghee should conform to AGMARK standard. This firm has served a legal notice saying:—

"Delhi Milk Scheme authority get a certificate from AGMARK authority to my said clients to the effect that the ghee so lifted and to be lifted by clients satisfied all necessary specifications laid down for general and special AGMARK grade ghee."

This notice was served on 21.11.1963, before the reply was given in the House. This shows that the Minister gave wrong information.

The ghee was not sold to *halwais*, but the said firm sold it to retailers for sale to consumers. The firm was not asked not to sell it to retailers.

Due to continuous complaints from the public the firm has refused to lift any more stocks of ghee and the result being that huge stocks of ghee are now lying in the D.M.S. stores, which is great loss to the D.M.S.

**The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas):** Shri Malhotra has mentioned that I had stated that "the ghee was according to Agmark specifications", while the actual fact is that the ghee was prepared from faulty butter, was not according to the Agmark specifications and no certificate was issued by the concerned authorities."

In the statement placed on the Table of the Lok Sabha, it was clearly mentioned that "it was, however, certified by two experts of the National Dairy Research Institute, Karnal that all samples of ghee and butter were pure and unadulterated. But ghee manufactured from the butter had a higher acidity than that of ghee normally sold by the D.M.S. and it gave a musty flavour. They recommended, therefore, that the entire quantity might be sold in bulk pack for frying purposes". In answer to a supplementary, I mentioned that "there is no difficulty for them to use this because they are using Agmark ghee and this conformed to Agmark standard". The ghee which was sold was shown on

analysis by the NDRI experts that it conformed to Agmark compositional standards. The fact that it had a musty flavour was clearly stated in the statement placed on the Table of the House itself. There was thus no inaccuracy in my statement.

2. Shri Malhotra has further said that I said "that it was sold to bulk users and "that it never reached the general public for consumption", while in actual fact, "the contractor to whom it was sold, has served the Ministry with a legal notice that he had been supplied with ghee giving bad smell and unfit for human consumption and "the contractor admits that the ghee was sold to general public and he was not asked to do so".

I said in answer to a supplementary that "but for sales for direct consumption by people," I said "it should not be sold as DMS ghee and it has not been sold". I also stated that it was intended only for sale to *halwais* and not for direct consumption. In actual fact, the ghee was not sold as DMS ghee but was sold in bulk. The contractor has, it is true, given notice to the Ministry that the ghee had a smell and was unfit for human consumption. But this is only an allegation made by him. The test made by the experts of the NDRI clearly showed that the ghee was not unfit for human consumption. There is thus no inaccuracy in my statement.

3. Shri Malhotra, has further said that I had said that "DMS has sold ghee worth 2.86 lakhs" while in actual fact "the DMS has realised only Rs. 1.50 lakhs up till now and not Rs. 2.86 lakhs." It is true that Shri Pyarelal Lakhimal lifted only about 25½ tonnes at Rs. 562 per quintal amounting to Rs. 1,42,467. He did not lift the rest of the ghee. This is in accord with my statement that "on a limited tender basis we sold this ghee to one Pyarelal Lakhimal who took about 25½ tonnes at about Rs. 562 per quin-

tal. I had said not that ghee worth Rs. 2.86 lakhs has been sold but that "we will be realising Rs. 2,86,620." This was made on the basis of the agreement made with Shri Pyarelal Lakhimal who has, however, not lifted the rest of the quantity.

11.4 hrs.

# RE: PRESENTATION OF REPORT OF ESTIMATES COMMITTEE

**Shri P. K. Deo** (Kalahandi): Before we go the Legislative Business, I beg to submit that there has been a departure from the established procedure in this House, namely, regarding item No. 4 on the Order Paper. The presentation of the report of the Estimates Committee used to be done by the Chairman of the Estimates Committee or, in his absence, by some Member of the Estimates Committee. I would like to point out that Shri Bhagwat Jha Azad is not a Member of the Estimates Committee. So, the presentation of the report by him is absolutely wrong. He may be asked to withdraw the presentation.

**Mr. Speaker:** I do not think there is any need for the hon. Member to withdraw it, any Member might present it, though it is the usual practice that at the meeting some Member is authorised to present the report before the House. I do not know; it was presumed that Shri A. C. Guha would be here to present it. We will find out why he was detained somewhere.

**Shri P. K. Deo:** Somebody else who is a Member of the Committee may be requested to do it. There are so many of its Members present.

**Mr. Speaker:** I hope always it will be taken into account, namely, when it is decided that the report is to be presented, the second man must be authorised there and then, in order to present it before the House.

11.42 hrs.

STATE BANK OF INDIA (AMENDMENT) BILL\*

**The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari):** I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the State Bank of India Act, 1955."

*The motion was adopted.*

**Shri T. T. Krishnamachari:** I introduce the Bill.

11.42½ hrs.

ADVOCATES (AMENDMENT) BILL\*

**The Deputy Minister in the Ministry of Law (Shri Bibudhendra Misra):** On behalf of Shri A. K. Sen, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Advocates Act, 1961."

*The motion was adopted.*

**Shri Bibudhendra Misra:** I introduce the Bill.

DISCUSSION UNDER RULE 193

(1) STEPS TO ROOT OUT CORRUPTION

**Mr. Speaker:** Shri Prakash Vir Shastri.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh (Parbhani):** Sir, before you take up this item, I beg formally to move that discussion on this motion be either postponed to the next session, after the time-limit is fixed by you, or, Shri Prakash Vir Shastri be permitted to make his motion and make his speech, and that further discussion may be postponed to the next session.

**Mr. Speaker:** There are two hours fixed for the first and two hours for the second.

**Shri P. K. Deo (Kalahandi):** You could extend the time by one hour more.

**Mr. Speaker:** We have got five hours. Therefore, there is enough time.

**Shri Surendranath Dwivedy (Kendrapara):** You may remember that when this business was announced by the Minister of Parliamentary Affairs, I made a request to you that it should be an official motion so that we can get more time. You said you would consider it and give more time for this motion. Actually, the House would like to have more time. Ordinarily, for non-official business, the time allotted is two and a half hours. But here, even that is limited, namely, it is two hours.

---

\*Published in the Gazette of India Extraordinary Part II—Section 1, dated 21-12-63.

**Mr. Speaker:** That question arose yesterday. The Minister of Parliamentary Affairs, in deference to the wishes of the hon. Members, wanted to make an adjustment, that the second item, about this sugarcane prices, might be taken up first, so that it might be finished within two hours or two and a half hours, and then the first discussion under Rule 193 might be taken up, so that it might just extend to the next session also if more time was wanted. But the hon. Members who wanted to move it, did not agree, though I also wanted that it might be done. It might have been possible, but the Members objected to it, and therefore I was left with no choice. Shri Prakash Vir Shastri.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) :** अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार के राज रोग ने देश को इस बुरी तरह से जकड़ लिया है कि स्वराज्य आन्दोलन के समय जिन सुख और सुविधाओं की कल्पना इस देश की जनता ने की थी, धीरे धीरे आज वह स्वप्न हो रही है, और यहां तक स्थिति उत्पन्न हो गई है कि पौने दो सौ सालों के जिस अत्याचारी अंग्रेजी शासन को उस के जाने के बाद यह देश स्मरण नहीं करना चाहता था, आज इस भ्रष्टाचार से यहां तक कहने के लिये जनता विवश हो गई है कि इस से तो पहले का शासन कहीं ज्यादा अच्छा था। भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है यह सब मानते हैं। भ्रष्टाचार देश में रुके, इस बात को चाहते भी सब हैं। राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री से लेकर नीचे तक छोटे से छोटे व्यक्ति यह कहते हैं कि भ्रष्टाचार रुकना चाहिये। परन्तु भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। जितना प्रयास किया जा रहा है उतना ही यह बढ़ रहा है। यह एक गम्भीर प्रश्न है जिस पर विचार करने के लिये मैंने आज यह प्रस्ताव उपस्थित किया है।

मैं अपने प्रस्ताव को उपस्थित करने से पहले आप के द्वारा सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि बढ़ते हुए भयंकर भ्रष्टाचार से इस समय शासन के प्रति जो अविश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है, मुझे भय है बहुत शीघ्र

ही कहीं ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो जाय कि यह ज्वालामुखी किसी और दूसरे रूप में फट पड़े और हमारे शासन और देश दोनों को इसका दुष्परिणाम किसी दूसरे रूप में भोगना पड़े। बहुत सम्भव है कि मेरे इन शब्दों को कोई अतिशयोक्ति या अतिरंजना समझे, लेकिन मैं इसके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि हमारे शासकों को आपसी खींचातानी और लड़ाई से फुसंत हो और दिल्ली की एअर कंडिशनड कोठियों का मोह थोड़ी देर के लिये वे छोड़ सकें और विक्रमादित्य की तरह सामान्य वेश भूषा में भारत के किसानों की झोंपड़ियों के पीछे खड़े हो कर रात के समय उन की दद भरी आहें सुनें तो मेरा विश्वास है कि जो स्थिति मैं आज यहां पर बतला रहा हूँ, उस से भी कहीं अधिक बुरी स्थिति उन को वहां मुनने को मिलेगी।

भ्रष्टाचार को रोकने की बातचीत आज नये सिरे से हो रही है ऐसी बात नहीं है, भ्रष्टाचार को रोकने के यत्न पीछे भी किये जाते रहे हैं। यों तो अंग्रेजी सरकार भी भ्रष्टाचार को फैलाने के लिये जिम्मेदार है। इसी से दूसरे महायुद्ध के समय दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट की स्थापना हुई। आगे चल कर सन् १९४६ में उस को एक ऐक्ट का व्यापक रूप दिया गया। इस के पश्चात् स्वतन्त्र होने पर सन् १९४८ में बरूशी टेकचन्द की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई। इस समिति को यह देखने का काम सौंपा गया कि भ्रष्टाचार निरोध ऐक्ट, १९४७ कैसे चल रहा है और क्या क्या बातें उस में और होनी चाहियें। दूसरा काम उस समिति को यह सौंपा गया कि यह देखे कि इस ऐक्ट के अनुसार भ्रष्टाचार को रोकने में कहां तक सफलता मिली है। दो तीन वर्ष निरन्तर प्रयास करने के बाद बरूशी टेकचन्द समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, जिस के आधार पर और जिस की पृष्ठभूमि में सन् १९५२ में क्रिमिनल ला अमंडमेंट ऐक्ट पास किया गया और सन् १९४६ के दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना ऐक्ट में कुछ संशोधन भी



[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

किये गये। लेकिन इस पर भी भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास में बहुत अधिक सफलता नहीं मिली। इस का कारण यह था कि पहले जो भी ऐक्ट थे उन में किसी विशेष व्यक्ति के कन्धों पर यह जिम्मेदारी नहीं डाली गई थी।

**अध्यक्ष महोदय :** एक सेकेण्ड आप क्या मुझ को देंगे। ठीक दो बजे मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब को इस का जवाब देने के लिये बुलाऊंगा।

**Shri P. K. Deo :** But there is plenty of time.

**श्री बागड़ी (हिसार) :** अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस का समय बढ़ा दिया जाये। सारे देश के अन्दर भ्रष्टाचार का सवाल है इसलिये समय ज्यादा दिया जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** अब आप बैठ जायें। जब मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं बढ़ाने के लिये तैयार होता हूँ तो मेम्बरों की तरफ से मुखालफत होती है और जब मैं इस को खत्म करना चाहता हूँ तो वे ज्यादा वक्त चाहते हैं। ऐसी हालत में मैं बेबस हो जाता हूँ। कल मैं ने इस बात को कहा कि बहुत से मेम्बर बोलेंगे, इस वक्त भी यही बात है। इस बात को भी सामने रख लें। एक तरीका तो यह है कि आज जितना समय हम खर्च कर सकें उतना कर लें बाकी अगले सेशन में ले लिया जाये। दूसरा तरीका यह है कि आज हम इस को दो घंटे में खत्म कर दें। दूसरे सेशन को ले जाने के बारे में तो माननीय मेम्बरों ने मुखालफत की। जब आप किसी बात को मंजूर नहीं करते तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसलिये अब मैं दो बजे मिनिस्टर साहब को बुलाऊंगा।

**Shri Surendranath Dwivedy :** May I suggest that this may be part-discussed and then it might be extended to the next session?

**Mr. Speaker :** But that was objected to.

**Shri Surendranath Dwivedy :** It may be done even now.

**Mr. Speaker :** Hon. Members cannot have it both ways. They put me in difficulty. When I requested them, they did not want it.

**Shri Surendranath Dwivedy :** Even now it can be done.

**An Hon. Member :** Only two hours have been given.

**Mr. Speaker :** The maximum time for the motion under rule 193 is 2-1/2 hours.

**Shri Surendranath Dwivedy :** The House may agree to extend the time.

**Mr. Speaker :** Shri Prakash Vir Shastri will have 20 minutes; the others ten minutes.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :** You said that the time allowed is two hours. We started at a quarter to 12.

**Mr. Speaker :** I have given more time. The time given to the Minister is extra. It is 2 hours 15 minutes to the non-official Members, and then, after that, the Minister will reply.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh :** The other debate will not be concluded, Sir, in that case. The difficulty is . . .

**Mr. Speaker :** It has to be concluded.

**श्री रामेश्वरानन्द : (करनाल) :** अध्यक्ष महोदय, या तो आज अधिक देर तक हम लोग बैठ जायें या तो फिर एक दिन और बढ़ा दिया जाय।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री प्रकाशवीर शास्त्री।

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं यह चर्चा कर रहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिये किस किस प्रकार के प्रयास किये गये अब तक। बरेशी टेकचन्द समिति ने जो अपनी रिपोर्ट सन् १९४६ के ऐक्ट के सम्बन्ध में दी, उसी की पृष्ठभूमि में सन

१९५२ में कुछ नये निर्णय और लिये गये । लेकिन उन निर्णयों को भी जब व्यवहारिक होते नहीं देखा गया तो उस के पश्चात् सरकार ने कुछ फिर और नये कदम उठाने का निश्चय किया । क्योंकि बरुशी टेकचन्द कमेटी के आधार पर जो निर्णय लिये गये थे उन में सब से बड़ी कमजोरी यह रह गई थी कि विभागों अथवा मंत्रालयों में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं ठहराया गया था जो कि भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में निरीक्षण करेगा और दंड की व्यवस्था करेगा । इसके लिये सरकार को आगे चल कर फिर एक प्रशासकीय सतर्कता विभाग की स्थापना करनी पड़ी जिस का नाम था गेडमिनिस्ट्रेटिव विजिलेंस डिवीजन, और उस को यह काम सौंपा गया कि जो मंत्रालय हैं उन में जो उन के सचिव हैं उस की देख रेख करेंगे और उन के नीचे छोटे कार्यालय हैं उनमें उनको विभागाध्यक्ष । यह सतर्कता विभाग उनकी सहायता करेगा ।

11.50 hrs.

[Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इस समय जब मैं आप के सामने चर्चा कर रहा हूँ इस प्रकार के सतर्कता अधिकारियों की संख्या पर्याप्त है । मंत्रालयों में ३८ सतर्कता अधिकारी इस बात के लिये रखे गये हैं और जो छोटे छोटे कार्यालय हैं उनमें सतर्कता अधिकारियों की संख्या ४१७ है, और जो सरकारी कारपोरेट पब्लिक अंडर-टेकिंग्स हैं उनमें भी करीब ६५ सतर्कता अधिकारी हैं । एक वर्ष में इन पर जो व्यय आता है वह है ९७ लाख ४८ हजार रुपये । लेकिन मालूम ऐसा पड़ता है कि सरकार इतने कदम उठाने के बाद भी निराशा हो गयी और उसने एक और निर्णायक कदम उठाया और सेंट्रल इन्वेस्टीगेशन ब्यूरो की स्थापना की । इस ब्यूरो को यह काम सौंपा गया कि जितने भी व्यापारिक संगठन हैं या सरकारी उद्योग हैं, या जहां भी भ्रष्टाचार है उसकी गुप्त सूचना एकत्रित करे और उसके बाद कार्रवाई की जाये । लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि

उसके बाद भी फिर सरकार को निराशा हाथ लगी और फिर निराशा होने के पश्चात् सरकार ने आज से चार दिन पहले सेंट्रल विजिलेंस कमीशन—केन्द्रीय सतर्कता आयोग—की घोषणा की है ।

गृह मंत्री, श्री नन्दा जी, से दो-तीन दिन पहले संसद् में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि क्या आपने जिस अधिकार के साथ यह घोषणा की है कि यदि दो वर्ष में भ्रष्टाचार समाप्त न हुआ तो मैं अपने राजनीतिक जीवन से हट जाऊंगा । क्या आपने इसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के आधार पर यह घोषणा की है ? तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो और भी बीसियों उपाय बरतने पड़ेंगे । तो यह अन्तिम शस्त्र नहीं । इसके बाद भी बहुत सी कमियां रह जायेंगी ।

नन्दा जी ने जिस दृढ़ता के साथ यह घोषणा की है मैं उनकी इस घोषणा और दृढ़ निश्चय का हार्दिक स्वागत करता हूँ, और चाहता हूँ कि यह घोषणा सफल हो । पर जिस प्रकार के चक्रव्यूह में वह फसे हुए हैं उस में वह सफल हो सकेंगे इसमें मुझे सन्देह है ।

यह भी मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने का दायित्व केवल माव भारत के गृह मंत्री का ही नहीं है । भारत के दूसरे राजनीतिक दलों का और उन राजनीतिक संगठनों के संसद् के और विधान मंडलों के सदस्यों का भी उतना ही दायित्व है जितना कि सरकार का । देश में भ्रष्टाचार बढ़े और भ्रष्टाचार के बढ़ने से देश के सारे शासन तंत्र पर उसका नुप्रभाव पड़े, इसके लिए इतिहास में हर व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया जायेगा, इसलिए सब ही इस दायित्व को अनुभव करें ।

देश में भ्रष्टाचार कहाँ तक बढ़ा है इसका उदाहरण आप अगर चाहें तो जन साधारण में जा कर देख सकते हैं । किस

## [श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

प्रकार छोटी छोटी कहानियाँ इस भ्रष्टाचार की लोगों के कानों में पड़ रही हैं। कार्यालयों में जो गांधी जी तस्वीर हाथ फँलाये हुए लगी है उसका अर्थ क्या लगाया जाता है यह आप सुनें। जो कर्मचारी पहले दो या दो सौ रुपये रिश्वत लेता था वह कहता है कि अब तो गांधी जी ने पांच या पांच सौ रुपये लेने की इजाजत दे दी है। क्योंकि वे भी पांच उंगलियाँ दिखा रहे हैं। कितने छोटे स्तर तक भ्रष्टाचार पहुँच गया है। जो सड़क पर फेरी लगाने वाले हैं उससे पुलिस रिश्वत लेती है, अगर जमीन के कागजात देखने हैं तो पटवारी रिश्वत मांगता है, स्टेशन पर आपको बर्थ रिजर्व करानी है तो रिजर्वेशन वाला उस रिजर्वेशन के लिए रिश्वत मांगता है, अस्पताल में अगर मरीज अपने को डाक्टर को दिखाना चाहता है तो उसके कमरे के दरवाजे पर खड़ा चपरासी पहले रिश्वत मांगता है, कचहरी में जहाँ मजिस्ट्रेट बँठा है उसके नीचे उसका पेशकार हाथ फँका कर रिश्वत ले रहा है, थाने में किसी चोरी, डकैती या कत्ल की रिपोर्ट लिखाने आए जायें तो मुहरीर को पहले रिश्वत दीजिये, पी० डब्ल्यू० डी० का यह हाल है कि ठेकेदार बड़े बड़े अफसरों को रिश्वत देकर ठेके ले लेते हैं चाहे उनका टेंडर हो या न हो। इसी तरह से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के लाइसेंस लेने के लिए जो रिश्वत चलती है उसने तो इतना भयंकर रूप धारण कर लिया है कि जिसका ठिकाना ही नहीं। लेकिन इससे भी बड़ी एक और चीज है कि हमारे देश में कुछ सिनेमा के एक्टर और एक्ट्रेसज ऐसे हैं जो पहले तो मिनिस्टर्स के इन्वेक्शन में कुछ काम कर देते हैं और फिर आगे आकर चाहे जितना कमायें इनकम टैक्स दबा लें कोई नहीं पूछता। कभी अगर भ्रष्टाचारियों की पकड़ने की चेष्टा भी की जाती है तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी मछलियाँ तो फँस जाती हैं लेकिन बड़े बड़े अगर मछल नहीं फँसते। पांच सात दिन से

इसी तरह की एक चर्चा यहाँ पर चल रही है लेकिन उसके बाद भी उसका जो परिणाम निकलना चाहिए था वह नहीं निकल पाया।

मेरा अपना अनुमान है कि देश में भ्रष्टाचार पनपने के चार प्रमुख केन्द्र हैं। सबसे बड़ा केन्द्र जहाँ भ्रष्टाचार पनप रहा है वह है मंत्रिगण और विधायकगण— मैं दोनों को शामिल करता हूँ— दूसरे जहाँ भ्रष्टाचार है वह है ऊँचे सरकारी अधिकारी और कुछ सामान्य छोटे सरकारी कर्मचारी, तीसरा केन्द्र भ्रष्टाचार का है व्यापारिक संस्थान और बड़े बड़े व्यापारियों और चौथा केन्द्र भ्रष्टाचार का है जन साधारण।

जहाँ तक छोटे वर्ग के भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इसके सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कुछ नहीं कहना चाहता; क्योंकि यह वर्ग तो मजबूरी में भ्रष्टाचार का शिकार होता है। इस वर्ग की तो यह इच्छा है कि भ्रष्टाचार जल्दी से जल्दी समाप्त हो और जिस दिन भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिलेगी उस दिन यह वर्ग अपने घरों में घी के दिये जलायेगा क्योंकि यह वर्ग समझता है कि उसी दिन देश को गांधी जी द्वारा बताया हुआ सच्चा राम राज्य मिला है।

श्री गुलजारी लाल नन्दा ने चार दिन पहले जिस विजिलेंस कमीशन की घोषणा की थी, मैं यह समझता था कि इस विजिलेंस कमीशन में एक बहुत बड़ा निर्णायक कदम उठा सकेंगे, लेकिन इस विजिलेंस कमीशन में जो सब से बड़ी कमजोरी है वह यह है कि इसको चोटी पर चलने वाले भ्रष्टाचार को रोकने का कोई अधिकार नहीं है। मेरा अभिप्राय है कि संसद के मंत्रिगण का इससे बिल्कुल अछूता रखा गया है। शायद नन्दा जी ने यह सोचा था कि अगर इस वर्ग को छोड़ेंगे तो वह हमको भी नहीं छोड़ेगा, और इसलिए उस वर्ग को छोड़ दिया गया है तो फिर मैं कहना चाहूँगा कि उनसे सफलता अभी कोसों

दूर है। अगर इस वर्ग को छोड़ दिया गया तो उनको सफलता नहीं मिल सकती। आज इस कारण अनेक लोगों को यह कहते सुनते हैं इस में भी कुछ नहीं होना जैसे हमेशा काम चलता था उसी तरह आगे भी चलता रहेगा।

क्या मैं सचार्ज से पूछ सकता हूँ कि कितने मंत्रियों का पैसा विदेशी बैंकों में जमा है? जिस समय सदन में यह चर्चा उठी तो प्रधानमंत्री और एक आध और व्यक्ति को छोड़ कर किसी ने यह नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि अन्य मंत्री स्पष्ट यह घोषणा करें कि हमारा एक भी पैसा किसी विदेशी बैंकों में जमा नहीं है, और अगर होगा तो उसको राष्ट्रीय रक्षा कोष में दे दिया जायगा। अगर सबसे जिम्मेदार के पदों पर बैठने वाले ही सचार्ज से अपने धन के बारे में घोषणा नहीं करेंगे तो क्या स्थिति होगी?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा था कि बैंकिंग प्रणाली की नीति ही यह है कि कुछ बातें गुप्त रखी जाती हैं। इसलिए बैंकों में किमका कितना पैसा जमा है इसकी जानकारी नहीं ली जा सकती, लेकिन जिस जनता ने उन लोगों को इन पदों पर बैठने से पहले भी देखा था और उन पदों पर बैठने के कुछ साल बाद भी जनता उनकी स्थिति देखनी है, क्या उन जनता को श्री कृष्णमाचारी की यह बात संतोष दे सकेगी।

कामगज योजना के आने से यह आशा हुई थी कि कुछ त्याग की प्रवृत्ति का उदय होगा। कुछ सीमा तक तो यह ठीक है कि उससे त्याग की भावना का उदय किसी अंश में हुआ लेकिन एक बुराई और पैदा हो गयी, वह यह कि अभी तक जो मंत्री बनते थे उनको यह निश्चय रहता था कि पांच साल तो इस गद्दी पर बैठे ही रहेंगे, और उनको जो कुछ काम करना होता था वह पांच बरस में करने की सोचते थे। लेकिन कामगज योजना से हर मंत्री के दिमाग में अंका पैदा हो गयी है . . .

1880 (Ai) LSD—2.

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप खत्म करें

श्री प्रकाशचौर शास्त्री : मुझे तो आधा घंटा दिया जायेगा।

Shri Nath Pai (Rajapur): He is the mover of the motion, Sir.

Mr. Deputy-Speaker: It is a two-hour discussion. The Speaker told Mr. Shastri that he would give 15 minutes to him and 10 minutes to others.

श्री बागड़ी : आधे घंटे में वह क्या रखेगा?

श्री प्रकाशचौर शास्त्री : मैं विरोध स्वरूप अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बान सुन लीजिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, आईर आईर।

Shri S. N. Chaturvedi (Ferozabad): Sir, you should exercise your discretion in this matter. This is a very important subject under discussion.

Shri Nath Pai: May I submit in all humility that even the Speaker or whosoever is in the Chair is bound by well-established conventions. When the rules are clear, we have to abide by the rules. It is nowhere said in the rules that 15 minutes are to be given to the mover. The well-established convention is that the mover of a motion of this nature normally gets half an hour. I have had the honour of moving such motions on several occasions, not on corruption, but on other subjects. I have never heard the main mover, Sir, being pulled up by the Chair when he has hardly taken 15 minutes. I think there is a consensus of opinion that he should be allowed more time.

12 hrs.

Mr. Deputy-Speaker: That is only in the case of a resolution and not in the case of a discussion under Rule 193. The Speaker was pleased to say

[Mr. Deputy Speaker]

that the mover will take 15 minutes and the other speakers will take 10 minutes each. I have no objection to give him a little more time if he wants, but the other Members will have to give up their time.

**Shri Surendranath Dwivedy:** In the alternative, may I move that he be permitted to speak for 30 minutes and, because other hon. Members are anxious to take up the other discussion, this discussion be extended over to the next session.

**Mr. Deputy-Speaker:** It will not be extended. The Speaker has made it clear.

**Shri Surendranath Dwivedy:** What is the meaning of having a discussion allowing only 15 minutes to the mover and 10 minutes to other Members?

**Mr. Deputy-Speaker:** The Speaker has made it quite clear that it is not going to be carried over to the next session.

**Shri P. K. Deo:** The consensus of opinion is that more time should be allowed.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Speaker considered all that and he has given the ruling.

**Shri S. N. Chaturvedi:** The Speaker extended the time from 2 hours to 2 hours 15 minutes. That extra time could be given to the mover.

**Mr. Deputy-Speaker:** We will go on till two o'clock.

**श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** मैं चर्चा कर रहा था कि कामराज प्लान से हमारे देश में जहां तक एक त्याग की प्रवृत्ति का उदय हुआ है, वहां इस बात का भी भय है कि कहीं संप्रह की प्रवृत्ति का उदय न हो जाये, क्योंकि पहले जिस आदमी को पांच वर्ष तक निश्चिन्तता के साथ काम करने का अवसर मिलता था, इस योजना एक संदिग्ध स्थिति उसके

मस्तिष्क में उत्पन्न हो जायेगी। मैं सर्वांगीण इस बात को नहीं कहता हूँ, लेकिन यह भी संभव है कि कुछ लोग इस प्रकार से इसका अनुचित उपयोग करें।

एक और विशेष बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि जहां तक भारतीय बैंकों का सम्बन्ध है, उनके बारे में श्री टी० टी० कृष्णमाचारी ने कहा कि सम्भव है कि उनकी गुप्त प्रणाली के आधार पर किसी के बैंक बैलेंस का पता न लगाया जा सके, लेकिन क्या यह वास्तविकता नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें उनके अपने नाम से, उनकी पत्नियों, लड़कों या रिश्तेदारों के नाम से उन्होंने शेयर खरीदे हुए हैं ? क्या यह सच नहीं है कि जितनी बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियां हैं, वे बड़े बड़े मिनिस्टर्स के लड़कों या उनके रिश्तेदारों के नाम से ली गई हैं ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि भारतवर्ष में जितने बड़े बड़े उद्योग हैं, उनमें कुछ मिनिस्टर्स के लड़के या रिश्तेदार सर्विस में रखे गए हैं। और उनके लड़कों ने सरकार से ऋण ले रखा है ? यहां पर कोई मुझसे यह प्रश्न पूछ सकता है चूँकि वे किसी मिनिस्टर के लड़के हैं, इसलिए क्या उनका अधिकार नहीं है कि वे कहीं सर्विस कर सकें या कोई भारी चीजों की एजेंसी ले सकें या और कोई इस प्रकार के शेयर वगैरह न खरीद सकें। परन्तु इस बारे में मेरा उत्तर यह होगा कि उसी योग्यता और प्रतिभा, बल्कि उससे अधिक योग्यता और प्रतिभा का नवयुवक तो जीवन भर लोअर डिवीजन क्लर्क बन कर रह जाये और उससे कम योग्यता और कम प्रतिभा वाला नव युवक हजारों रुपया माहवार किसी फैक्टरी या किसी सरकारी उद्योग में से ले, क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है।

बगल के प्रदेश पंजाब की ही चर्चा है। मैं उसके बारे में विस्तार से तो इसलिए नहीं कहूंगा, क्योंकि उसके बारे में एन्क्वायरी चल रही है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना

चाहता हूँ कि भारत के प्रधान मंत्री को यह क्या गलत आदत पड़ गई है कि जितने इस प्रकार के भ्रष्ट काम करने वाले व्यक्ति हैं, उनका वह पग-पग पर पक्ष लेते हैं और उनको ईमानदारी का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। आप दिल्ली से छः मील आगे चल कर जहाँ से पंजाब आरम्भ होता है वहाँ से अमृतसर तक चले जाइये एक बच्चे से लेकर बड़े तक पूछते चले जाइये कि उस व्यक्ति के बारे में किसकी क्या राय है। लेकिन इतना होने के बाद भी प्रधान मंत्री एक और तो जांच आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रपति से आग्रह करते हैं और दूसरी ओर अपनी उमी चिट्ठी में उस व्यक्ति का पवित्रता का प्रमाणपत्र भी दे देते हैं। ये सारी बातें देश में व्याप्त भ्रष्टाचार को किस तरह रोकेगी ?

पंजाब के मुख्य मंत्री ने जो अपने पर लगाये आरोपों का उत्तर दिया वहाँ के सदस्य चाहते थे कि उसकी कापी हम को मिले जिसे हमको भी दाम कमीशन के मामले अपना उपयुक्त बयान देने का उपयुक्त अवसर मिल सके। लेकिन कहा यह जाना है कि हमारे पास कापी नहीं है वह हमने दास आयोग को भेज दी है। दास आयोग कहता है कि हमारे पास कापी आई ही नहीं है। समझ में नहीं आता कि वह कापी और दूसरी चिट्ठीपत्री बीच में ही कहाँ चली गई। इस दशा में देश से भ्रष्टाचार किस प्रकार समाप्त किया जा सकता है ?

कल माननीय सदस्य श्री कामत ने यह विधेयक प्रस्तुत किया था कि मंत्रियों की सम्पत्तियों के विवरण लिये जायें। मैं तो चाहूँगा कि विधेयक की शकल में या किसी अन्य प्रकार से यह भी निश्चय होना चाहिए कि वे अपनी सम्पत्तियों का विवरण तो दें लेकिन उससे भी यह आवश्यक है कि वे इस बात का विवरण भी दें कि उनके लड़के और रिश्तेदार किस किस योग्यता के हैं ?

वे किस सरकारी अथवा व्यापारिक कंपनी में सर्विस करते हैं ? किन बड़ी और भारी चीजों की एजेंसियाँ उनके पास हैं और कितने ठेके उनके पास हैं। सब से बड़ी बात तो इसमें यह है कि यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने जो एजेंसियाँ ठेके या ऋण लिये हैं वे उनके मंत्री बनने से पहले भी उनके पास थे या मंत्री बनने के बाद उन्होंने लिए हैं।

इस सम्बन्ध में मेरा अपना विचार तो यह है कि इन बातों की जांच के लिए एक निष्पक्ष जांच आयोग की स्थापना की जाये। मैं इस प्रकार के बहुत से व्यक्तियों को जानता हूँ जिन्होंने हजारों हजारों बीघे के एग्रीकल्चरल फार्म खोल रखे हैं और उन्होंने अपने लड़कों के नाम से राज्य सरकारों से काफी ऋण लिये थे। जिसको बाद में या तो किसी प्रकार से माफ करवा दिया गया है या आधा चौथाई करके वापस कर दिया गया है। आप बतायें कि यह भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि चाणक्य की तरह से मुद्राराक्षस के रचियता के शब्दों में

उपल शकल मतद भेदकं गोमयानाम  
वटुभिरुपहृतानां वहिषां स्तोम् एषः  
शरणमपि समिद्भिणुष्यमाणभि राभिः  
विनमित पटलान्तं दश्यते जीर्णं कुट्यम्  
हमारे देश का प्रधान मंत्री . . . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** I will read out the rule. It says:

"The Speaker may, if he thinks fit, prescribe a time limit for the speeches."

Therefore, the hon. Member cannot have half-an-hour.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : आप यह पहले बता दिया करें। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आप यहां हैं ?

श्री कछवाय (देवास) : उपाध्यक्ष महोदय, दस मिनट तो इन बातों में चले गए हैं।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण हिन्दी में किया जा रहा है, क्या इसलिए आपको नियम याद आ रहा है ? आज से पहले तो कोई नियम नहीं था और कई माननीय सदस्य घंटे तक बोलते रहे हैं। आज यह नियम बन गया है कि आधा घंटा भी नहीं ले सकते हैं।

Mr. Deputy-Speaker: He may please take two or three minutes more and finish.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : धन्यवाद।

Mr. Deputy-Speaker: All right, Shri Mansinh Patel.

श्री कछवाय : इस बारे में मत ले लिया जाये।

Shri Khadilkar (Khed): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to say something on this point. It would create a wrong impression. I had occasion to move such a motion and I was given more than 30 minutes on that occasion. So it would be wrong if now he is not allowed more time.

Mr. Deputy-Speaker: I have read out the rule.

Shri Khadilkar: I have heard the rule. I would plead that he be given more time.

Mr. Deputy-Speaker: It is not a motion. It is not a resolution. It is only in the case of motions and resolutions that half-an-hour is allowed to the mover. Here he is just raising a discussion.

श्री श्रीकार लाल बेरबा (कोटा) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को पांच मिनट जनसंघ की तरफ से दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय,

उपाध्यक्ष महोदय : घाईर, घाईर।

श्री रामेश्वरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका घाईर मान लेता हूँ, लेकिन आप मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। मेरी प्रार्थना यह है कि यह इतना महत्वपूर्ण विषय है, जिसका सारे देश से सम्बन्ध है। क्या लोक सभा में भी यह भ्रष्टाचार होगा कि सदस्यों को समय पूरा नहीं दिया जायेगा ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पांच मिनट और ले लें और अपना भाषण समाप्त करने का प्रयत्न करें।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते हुए दुःख के साथ दो तीन बातें और कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा दुःख है इस बात को कहते हुए कि अगर यह चर्चा एक श्रृंखला के रूप में चलने दी जाती, तो शायद मैं अपनी बात को ज्यादा अच्छी तरह कह सकता और अब तक समाप्त भी हो जाती लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि

श्री नाथपाई : सब का दुर्भाग्य है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : .... इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर बोलते हुए बीच बीच में इस प्रकार की बाधा पड़ी है जिससे सारी श्रृंखला ही टूट गई।

श्री नाथपाई : विचारों की श्रृंखला इस तरह से नहीं टूटने देनी चाहिए।

Mr. Deputy-Speaker: I am sorry, it cannot be extended.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं कह रहा था कि मैं नहीं चाहता कि हमारे देश का कोई मंत्री चाणक्य का आदर्श उपस्थित करे। मैं यह भी नहीं चाहता जैसे कभी गांधी जी ने

कहा था, हमारे देश का कोई मंत्री ५०० रुपये से अधिक वेतन नहीं लेगा और फूस की शोपड़ी में रहेगा। चकाचौध के इस युग में यह सम्भव भी नहीं है। परन्तु मैं यह आज अवश्य कहना चाहता हूँ कि इस गरीब भारत के एक मंत्री पर कितना भारी व्यय बैठता है, इसका निरीक्षण जरूर किया जाये। मेरे हाथ में पिछले पांच सालों की रिपोर्ट है कि किस मंत्री के ऊपर कितना टी० ए, डी० ए०, का भत्ता बैठता है। मैं विस्तार से इसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें कई ऐसे व्यक्ति भी हैं, जिन्होंने इन मदों में एक वर्ष में ५५,३२१ रुपये लिये। इसके बाद उनका अपना मासिक वेतन है स्वागत भत्ता है और उसके साथ सरकार की ओर से दी जाने वाली दूसरी सुविधायें भी हैं, कोठी, कार, पानी, बिजली, डाक्टर, और फरनीचर, यह सब मिलाकर एक वर्ष में एक लाख से ऊपर व्यय बैठता है। सोचना यह है कि क्या यह गरीब भारत इस प्रकार के भार को वहन कर सकेगा।

ऑडिटर-जेनेरल ने आज से डेढ़ साल पहले अपनी रिपोर्ट में इस आशय का एक पैराग्राफ दिया था कि ब्रिटिश कालीन मंत्रियों के ऊपर जितना व्यय बैठता था, आज-कल के मंत्रियों पर उससे कई हजार रुपया अधिक व्यय बैठता है। मेरी विश्वस्त जानकारी है कि उस पैराग्राफ को उस रिपोर्ट से हटवा दिया गया, लेकिन फिर भी बम्बई के एक साप्ताहिक पत्र में वह पैराग्राफ किसी तरह से प्रकाशित हो गया। दूसरे इसका सब से बड़ा प्रमाण है पब्लिक एकाउंट्स कमिटी की रिपोर्ट, जिसमें उसने कहा है कि टी० ए० के लिए संसद से जितना पैसा स्वीकृत होता है, वह हर वर्ष बराबर बढ़ता चला जाता है। १९५८-५९ में ६,१६,६०० रुपये की ग्रांट सेंक्शन हुई थी, लेकिन उससे २६,२१४ रुपये ज्यादा व्यय हुआ। १९६०-६१ में भी ७,००,००० रुपये की ग्रांट सेंक्शन हुई थी और उसमें भी २,५८,००० रुपये ज्यादा

व्यय हुए। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि इस गरीब भारत में अगर इस प्रकार की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो यह ठीक नहीं होगा। यों भी वैसे यह सरकार जो समाजवादी समाज का आदर्श उपस्थित करना चाहती है तो उसके समाजवाद का नमूना देखिये। आप एक मंत्री को साल का छैः हजार रुपया सेम्पचुअरी एलाउंस के तौर पर दिया जाता है। अर्थात् उसको केवल चाय पिलाने के लिए छैः हजार रुपया एक साल में दिया जाता है जब कि इसी संसद के एक सदस्य का वेतन केवल ४८०० रुपया साल ही बैठता है। आप बतायें तो सही कि क्या यही समाजवाद है। यहां पर अगर संसद सदस्यों के साथ ही यह स्थिति है तो देश के दूसरे अन्य कम-चारियों या कार्यालयों में काम करने वाले व्यक्तियों की क्या स्थिति होगी? इसी तरह आप देखें कि स्टाफ कारों का किस तरह से दुरुपयोग होता है, किस तरह से टेलीफोन का निजीकाम के लिए उपयोग होता है, और किस तरह से निजी बातों के लिए भी इमिजिएट काल्ज बुक कराई जाती हैं। अगर आप सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे तो आप स्वयं देख लेंगे कि यह जो स्थिति है यह भ्रष्टाचार की भी सीमा को लांघ चुकी है। यदि मंत्रीगण अपने स्वच्छ चरित्र से आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो व्यास जी के शब्दों में मैं कहना चाहता हूँ क्योंकि "राजा कालस्य कारणम्" राजा अपने समय का निर्माता होता है। वह ही इसके अपराधी माने जायेंगे। अगर वह यह आदर्श उपस्थित नहीं करेंगे तो स्थिति संभल नहीं पाएगी।

अपने देश के उच्च अधिकारियों के सम्बन्ध में तथा लालफीताशाही के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। इस का अकसर जिक्र होता है। हमारे सरकारी कार्यालयों और सेक्रेटेरिएट में यह पद्धति है कि एक फाइल को पूरा चक्कर लगाने में नौ महीने लग जाते हैं और उन्नीस हाथों में मे



[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

हो कर उस को पाम होना पड़ता है। साउथ और नार्थ ब्लाक अगर किसी माननीय सदस्य को जाने का अवसर प्राप्त हो तो वह स्वयं अनुमान लगा सकेंगे कि किस तरह से फाइलें वहां पर इकट्ठी पड़ी रहती है। इस संकटकाल में जबकि एक एक पैसा बचाने की आवश्यकता है, तब यह भी देखा जाना चाहिये कि इतने अधिक दिनों तक ये क्यों पड़ी रहती हैं। यदि सम्भव आप भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं तो यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि आप यह निर्णय लें कि तीन दिन से अधिक कोई भी फाइल निर्णय लेने में नहीं रहे पायगी और तीन दिन के बाद अगर कोई फाइल निर्णय के लिए रहे जायगी तो विशेष स्थिति में उसको माना जायगा, सामान्य में नहीं माना जायगा। लेकिन इसके लिए मंशियों को ही सब से पहले आदर्श उपस्थित करना होगा। वे भी अपनी मेजों पर फाइलों को ज्यादा देर तक रोक कर न रखें। आज होता यह है कि उनकी मेजों पर महीनों तक फाइलें पड़ी रहती हैं। जब ऐसा होता है तो जो नीचे का अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी या सेक्रेटरी होता है उसको भी मौका मिल जाता है और जो छोटा कर्मचारी होता है उसको भी मिल जाता है कि वह फाइल को अपने पाम दबाये रखे और वहीं से भ्रष्टाचार का आरम्भ हो जाता है।

हमारे बड़े बड़े सरकारी अधिकारी जो सांयकाल के समय यहां दिल्ली की क्लबों में जा कर ब्रिज, फूनाश इत्यादि खेलते हैं, वहां पर कुछ उद्योगपतियों के प्रतिनिधि भी आते हैं और वे जानबुझ कर उन से हार कर उन का उत्साह बढ़ाते हैं। इस प्रवृत्ति पर भी रोक लगनी चाहिये, कोई चैंक होना चाहिये। झराब के चक्कर में भारतवर्ष की गुप्त फाइलें दूसरे देशों को जब दे दी जाती हैं, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार इन जयचन्दों की जो प्रवृत्ति है, इसको कब तक आप सहन

करेंगे। इससे मुक्ति पाने में भी कुछ कठोर निर्णय आपको लेने होंगे।

भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हम ने जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उन में से किसी एक विशेष व्यक्ति पर जिम्मेदारी नहीं डाली है और नय नहीं किया है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने की अन्तिम जिम्मेदारी किस की होगी। कोई बात अगर खराब हो गयी तो इसका जवाब इससे तलब किया जायगा। इस प्रकार की स्थिति हम ने अभी तक नहीं बनाई है। इस का परिणाम यह है कि

**The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Hajarnavis):** May I make a submission, Sir? Since this is an important item which is being discussed and the House wants that the time should be extended, let us extend the time. We shall try to meet every point. Let everyone who wishes to speak get an opportunity.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Ministers was here when the Speaker gave the ruling.

**Shri Radhelal Vyas (Ujjain):** The whole House is interested in this.

**Shri K. C. Sharma (Sardhana):** Let us extend the time; let us carry it over to the next session.

**Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad):** You may discuss with the Speaker and revise the ruling.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Speaker has given the ruling that the time may not be extended. If the Speaker extends the time, I will be too glad. I leave it to him.

**Shri Nath Pai:** Now the Government is agreeable and the whole House agrees that the time should be extended. You can extend the

time. There is no finality about what the Speaker says. The final authority rests with the House, not even with the Speaker. I am very sorry to say that. It is our right; it is the right of the House. We can extend the time. We can sit as long as we like and nobody can interfere with that.

**Shri Surendranath Dwivedy:** The House can reconsider it.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Speaker will consider all those things.

**Shri Nath Pai:** What is this!

**Shri Hari Vishnu Kamath:** The House is supreme; the House is sovereign.

**श्री रामेश्वरानन्द :** माननीय मंत्री जी भी तो मैम्बर हैं इस सदन के फिर चाहे वे कायम में ही क्यों न हों। उन में कोई विशेष बात तो नहीं आ गई है। उन को क्या हक हो गया है।

**Mr. Deputy-Speaker:** Both the statement of the Minister and the opinion of the House will be conveyed to the Speaker.

**Shri S. N. Chaturvedi:** The question about the extension of the debate may be referred to the Speaker. But the question of giving more time to Mr. Prakash Vir Shastri can be decided at your own discretion.

**श्री रामेश्वरानन्द :** तीन बार आपने अल्टरनेट किया है। इतने समय में तो वह अपना भाषण भी समाप्त कर लेते।

**Mr. Deputy-Speaker:** Order order.

**Shri Gauri Shankar Kakkar (Fatehpur):** In view of the ruling of the Speaker, I suggest that this may be postponed for the time being and the other motion be taken for two hours and then it may be seen if the time could be conveniently extended.

**Mr. Deputy-Speaker:** We will go on till 2 o'clock and then we will see.

**श्री ५० ला० बाबूपाल (गंगानगर):** यह बहुत गम्भीर तथा महत्वपूर्ण मामला है। अष्टाचार की चक्की में साग देश पिस रहा है और मैम्बरों को अपनी बात कहने का पूरा मौका मिलना चाहिये।

**श्री रामेश्वरानन्द :** आप सदन की इच्छा जान लीजिये।

**Shri Sheo Narain (Bansi):** Every Member has a right to participate in this.

**Mr. Deputy-Speaker:** I will see the previous ruling.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** You have the powers now.

**Shri Nath Pai:** Your duties are more than that of conveying our request to the Speaker. All the powers which are in the Speaker are with you once you occupy the Chair.

**Mr. Deputy-Speaker:** I know. I would have exercised that power if the Speaker had not given the ruling earlier. Since he has given the ruling, I cannot go against it. I will place the matter before him and we shall certainly consider it.

**Shri S. N. Chaturvedi:** Is allotment of time tantamount to a ruling?

**Mr. Deputy-Speaker:** I will give the ruling a little later. (*Interruptions*) Will the hon. Members please sit down?

**श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) :** उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

**Mr. Deputy-Speaker:** Will the hon. Member please sit down?

The Speaker has already given the ruling.

श्री राम सेवक यादव : आप मुन तो लें, उपाध्यक्ष महोदय । मैं एक व्यवस्था का प्रश्न

**Mr. Deputy-Speaker:** I will look into the previous ruling by the Speaker.

**Shri Khadilkar:** There is no ruling as such. So far as the allocation of time is concerned, it need not be considered as the ruling of the Speaker. It is just an adjustment of time. If we deal with this matter which vitally affects all of us in a casual and cavalier manner, it will create a wrong impression . . .

**Shri Hari Vishnu Kamath:** . . . in the country.

**Shri Khadilkar:** Therefore, after taking 2 hours on this, we may carry it over to the next session.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** This may be adjourned for the time being and my resolution may be taken up.

**Shri Khadilkar:** Everybody must have a full say if we are serious about the thing.

**Shri Sham Lal Saraf** (Jammu and Kashmir): When a request was made to the Speaker earlier that the debate be postponed to the next session, that was not agreed to, and the Speaker had explained the position thoroughly well. At that time, the Minister of State in the Ministry of Home Affairs did not say anything.

**Mr. Deputy-Speaker:** I would request hon. Members to bear with me for some time. The Minister of State in the Ministry of Home Affairs, Shri Surendranath Dwivedy and the Speaker are discussing this question, and I think that the Minister of Parliamentary Affairs is also there with them. After they take a decision, I shall give a ruling, if necessary. Meanwhile, we shall go on with the discussion.

**Shri Daji** (Indore): Meanwhile, Shri Prakash Vir Shastri's speech has been cut short.

**Mr. Deputy-Speaker:** He has already taken about half an hour.

**Shri Daji:** At least, let him be allowed to complete his speech.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय यदि आप द्वारा अन्तर्वाधा न हुई इस प्रकार में तो मैं पांच मिनट में ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा ।

मैं एक चर्चा यह कर रहा था कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा उपाय यह हो सकता है कि जितने भी सरकारी संगठन हैं उन में किसी एक व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराया जाय । अब तक प्रायः यह देखा गया है कि जब जब भी कोई बुराई पैदा हुई है तो किसी व्यक्ति विशेष पर जिम्मेदारी नहीं ठहराई गई है । इस का परिणाम यह हुआ है कि हम किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाते । उदाहरण के रूप में जब भाखरा चैम्बर में पानी भर गया तो किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया । रूरेकेला चम्बल कोटा बराज में भी इसी प्रकार की घटना हुई । पीछे इस दिल्ली में सन् १९६२ में जो बिजली की फेल्योर हुई उस समय भी यह पता नहीं लग सका कि कौन जिम्मेदार है । पंजाब गवर्नमेंट दिल्ली वालों को कहती थी ग्रीर दिल्ली गवर्नमेंट पंजाब को कहती थी । आखिर में जा कर कुछ चुहों को जिम्मेदार ठहराया गया । इसी तरह से वायेस आफ अमरीका का जो इतना बड़ा समझौता दूसरे देश के साथ टूटा, जिस से अपने देश की राजनीतिक प्रतिष्ठा को इतना बड़ा धक्का लगा, उस में आज तक यह पता नहीं लग सका कि किस व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी थी ।

मैं दो साल से पी० ए० सी० का सदस्य हूँ । वहाँ मैं देखता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी चर्चाएँ होती हैं लेकिन सब जा कर यहाँ एकती

हैं कोई कहता है कि जिम्मेदार अफसर रिटायर हो गया, कहीं पता लगता है कि अफसर मर गया, कहीं कहा जाता है कि अफसर पाकिस्तान चला गया। अगर कभी किसी को जिम्मेदार ठहराया भी जाता है तो किसी चपरासी या पहरेदार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस सम्बन्ध में मेरा कहना यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है, हर बार, हर एक रिपोर्ट में बड़ी सावधानी के साथ कुछ निर्णय दिये हैं कि व्यक्ति विशेषों पर जिम्मेदारी जरूर डाली जाय, इस को उपेक्षा की दृष्टि से न देखा जाय। साथ ही इस के लिए कोई सख्त निर्णय भी लिये जायें कि पब्लिक अकाउंट्स कमिटी की जो रिपोर्टें हैं उन को सामान्य समझ कर न छोड़ दिया जाय। दूसरे वर्षों में फिर उसी प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इस के लिए एक कठोर जांच कमिशन का निर्णय लेना आवश्यक है।

दूसरी बात जो मैं अन्त में कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरी अपनी इच्छा इस प्रकार की है कि जिस तरह से स्वेडेन में आम्बुइसमैन नाम की संस्था है जिस के सामने जा कर सब लोग अपना रोना रो सकते हैं, और उसी तरह से दूसरे देशों में, अर्थात् डेनमार्क, न्यूजीलैंड, कैनाडा, वेस्ट जर्मनी और अब तो अमरीका में और इंग्लैंड में भी इस बात पर विचार किया जा रहा है उसी प्रकार भारत में भी कोई संस्था बनाई जाये। भारत के ला इन्स्टिट्यूट ने कुछ विद्यार्थियों के एक संगठन को जानकारी हासिल करने के लिए वहां भेजा था। हम को इस तरह की कोई संस्था यहां भी बनानी चाहिये। जो सतर्कता आयोग है, जिस की चर्चा इस समय बहुत है, उस में मैं ने देखा है कि एक वर्ग विशेष को, जो देश के प्रशासन का सब से ऊंचा वर्ग है, अर्थात् मंत्रियों को, उस में से छोड़ दिया गया है। स्वेडेन की तरह हम को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिये कि उस से कोई भी न बच सके। यह बात मैं विशेष रूप से इसलिए भी कह रहा हूं कि आज हमारे देश में कोई

गांधी नहीं है। वह एक ऐसा दरवार था जहां छोटा बड़ा सब जा कर अपना रोना रो सकते थे और अपना दुःख कह सकते थे। इसलिए आज कम से कम केन्द्र में, या राज्यों में, इस तरह की किसी संस्था का स्थापित होना आवश्यक है।

अन्त में मैं दो तीन वाक्य पढ़ कर अपना वक्तव्य समाप्त करना हूं। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये इन उपायों को भी सरकार जान ले और काम में लाये तो अच्छा है।

१. सरकार और पुलिस से भी बहुत भय ईश्वर और धर्म का होता है इसलिये देश में जो नास्तिकता बढ़ रही है उसे रोकने के लिए शिक्षा में विशेषकर प्रारम्भिक श्रेणियों में धर्म या नैतिकता का ज्ञान आवश्यक कर दिया जाये।

२. न्यायालय जो आज अधिकांश में असत्य की रक्षा के केन्द्र होते जा रहे हैं, वह सचमुच न्यायालय ही रह सकें इस पर भी कुछ गम्भीर निर्णय लिये जायें।

३. मंत्रिगण बिना पुलिस और सरकारी अधिकारियों को साथ लिये सामान्य वेशभूषा में जनता में भी जा कर उन के दुःख को सुनें।

४. अपने सम्बन्धी और जात बिरादरी वालों को जहां तक सम्भव हो अपने विभागों में रखने से बचें। खास तौर से ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्तियों में जो परम्परा यह आज चल रही है उस से अवश्य ही बचें।

५. उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर मंत्री या विधायक किसी रूप में भी रह कर भ्रष्टाचार करने वाले व्यक्ति को सार्वजनिक जीवन के अयोग्य घोषित किया जाये।

**Shri Man Sinh P. Patel (Mehsana):**  
It has been accepted by one and all that corruption is increasing day by day and it has been rampant since the Second World War. All Members are agreed at least on this that corrup-

[Shri Man Sinh P. Patel]

tion has definitely increased year by year.

My hon. friend Shri Prakash Vir Shastri has tried to say that corruption may be mainly among the ministerial ranks, in other words, he has indirectly tried to attack the ministerial part of the ruling party. As far as the rooting out of corruption is concerned, we are more concerned with the steps to be taken, and we know the keenness of the new Home Minister to eradicate it, whether the corruption be at the ministerial level or at the ICS level or at the district level or among all classes of the ruling party as a whole.

It is also admitted that nobody can very confidently say that there is no corruption anywhere in the Ministry or that every politician is above corruption. It has also been accepted sometimes that some politicians are proved to be corrupt. But it has been difficult to take action against politicians as well as the civil servants.

In order to eradicate corruption, some steps are being suggested by my hon. friend Shri Prakash Vir Shastri. He says that the teaching of *dharma* or *Ishwar* and the removal of *naastikata* in the country may indirectly result in removing corruption.

12.27 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

I have my own different opinion namely that the people at large have no more patience now, and it will be too late to wait for the new generation to learn *Dharma* or *naitikata*. The steps should be taken just now and as early as possible. Otherwise, we shall only strengthen the overall impression about politicians which prevails among the people now. Today, the politicians as a class or as a whole are looked down upon with a contemptuous eye, and it is felt that they have some indirect motives on economic life. Therefore, their whole political life is looked down upon with

a contemptuous attitude. Why should this happen? There is a fear created amongst the people that they cannot get their work done unless some money is paid....

**Mr. Speaker:** Order, order. I have to bring to the notice of Members that the rule that Members should not come in between the Member who is speaking and the Chair is mostly being observed by flouting it. That rule is mostly ignored. At least after two years of this Parliament I would request hon. Members to observe that rule more strictly.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** Even those on the Treasury Benches are guilty sometimes.

**Shri Man Sinh P. Patel:** We are more concerned now with the steps taken to eradicate corruption. We had recently the announcement by the Home Minister about the setting up of the Central Vigilance Commission. Shri Prakash Vir Shastri has said, that he has no hope in the Central Vigilance Commission announced by Shri Nanda. That means that he has no hopes in the anxiety, zeal and enthusiasm which Shri Nanda has displayed in tackling this problem. We hope that the new Home Minister will be able to succeed, especially, when he has taken this attitude of saying that if within two years corruption is not rooted out, at least he will reconsider his political life.

**Mr. Speaker:** Is the hon. Member going to associate himself with those sentiments?

**Shri Man Sinh P. Patel:** Surely.

As far as I am concerned, I associate myself with those sentiments. I take pleasure in announcing that sometimes we politicians ourselves have to take some moral vows before the public that we can stand above corruption. As I was saying earlier, we politicians are often looked down upon with a contemptuous eye, and among the term 'politicians' I include

myself and one and all. Why is there this kind of contemptuous attitude? The Opposition Parties try to accuse the ruling party and the Ministers. The ruling party generally tries to accuse the officers as a whole. And sometimes, they in turn accuse the rural masses or the people as a whole.

It cannot be denied that corruption today is rampant all over the country, and it is existent at every farthest corner of society; it is only very few persons who are above corruption. I know that there are many who may not be corrupt by themselves, but when they know that corruption will help them to get their things done, they indirectly encourage corruption and they connive at it, at whatever level it may be.

My hon. friend tried to say that the Prime Minister has set an example and it should be followed by others. Only if a concerted effort is made by one and all, we can succeed in this.

What are the other steps he suggested? As I said, people have lost patience with the ruling party and the politicians. Unless corruption is reduced by a substantial percentage, say, 40, 50 or 60 per cent., political life in the country will be suspect and the people will have their own opinion of us. I do not think corruption can be totally eliminated; that is physically humanly impossible. But we can see that there is a substantial reduction in it.

We have a democratic government. A beginning should be made by Ministers. There I agree with him. There should be a code of conduct and behaviour for politicians. They should declare their assets. I go further and say that in the nomination form itself, there should be a solemn affirmation along with a statement of assets held by the candidate attached as appendix to it. The Constitution may be amended, if necessary, for the purpose. Now *prima facie* a politician is understood to be dishonest. Let us reverse this process; let there be an

oath or affirmation disclosing the assets so that people's suspicion may be removed.

It is not a crime to earn money, but it is a crime to earn it by dishonest methods, by exercise of undue influence or by misbehaviour or by cheating or corrupt methods.

Similarly for the services, the Public Service Commission should see that every government servant discloses his assets, his family's assets and the assets of close relatives. This will act as a check on accumulation of wealth by dishonest means.

Then there should be a Vigilance Commission appointed. The procedure of the work of the Commission should be simplified so that action is taken against corrupt ICS or other personnel quickly. In our experience after the second world war, we have found that whatever cases are reported by State or Central Governments are of officers below the second grade. There are very few cases of class I officers being involved and very few cases of high-class politicians being involved. The major attack should be on the big people, politicians, ICS people, traders and the business class. If some strong measures can be taken against such personnel, an impression can be created in the mind of the average man that we are keen on rooting out corruption. Therefore, if Shri Nanda is keen on rooting out corruption within two years, he must constitute a judicial authority or Commission to scrutinise the public life of politicians and Ministers. Till we do that, people will have no faith in our professions.

Why is corruption prevalent? It prevails for economic reasons. It is more rampant in the export and import field. Also in the police department, it prevails in connection with squaring up cases of murder, arson, dacoity etc. even in the preliminary registration stage. The whole department works as a homogeneous team. From the PSI to the DIG, they have a

[Shri Man Sinh P. Patel]

common interest in this transaction. Same is the case in the export-import department. From the fling clerk to the granting clerk, there is a common interest running through. So any action taken should embrace the whole range of this affair.

Then I would suggest that wherever possible advisory committees should be formed. Non-officials should be associated with such committees. No elective person should ever be associated with these committees. Otherwise, they will be indirectly connected with this and they are likely to connive at these things. These bodies should consist of non-officials who are above all politics. Their advice should be taken. Their advice can be relied upon as impartial.

Then we have to consider the economic barrier that at present exists between the higher class people and the lower class people. There is an inherent desire to profit oneself in order to maintain or enhance one's own status. This also contributes to corruption in public life. Some action should be taken to tackle this problem also.

As Shri Shastri said, the maximum measures should be taken, if possible, within the remaining period of the Third Plan, so that before the coming elections, the impression is created in the country that this Government as well as the Members of this House are very keen and desirous to root out corruption from our public life.

**डा० राम मनोहर लोहिया :** (फर्कवा-बाद) : अध्यक्ष महोदय, जो बहस आज देश में मुंह मुंह पर है और रोज हो रही है, जिस बहस को लोक-सभा में खुद सरकार को रखना चाहिए था, वह आज आखिरी दिन किस हालत में हो रही है, यह भी एक नमूना है गंभीर दुराचार का ।

अप्टाचार . . . . .

**श्री शिव नारायण :** माननीय अध्यक्ष महोदय, यह "दुराचार" का शब्द अनपार्लियामेंटरी है ।

**अध्यक्ष महोदय :** आइए, आइए आप बैठ जायें ।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** अब कोई जरा सी बात भी लोगों की समझ में नहीं आती । नियम होने चाहियें, अच्छे नियम होने चाहियें । कही कही बुरे नियम भी होते हैं । फिर उन नियमों के ऊपर कारंवाई ठीक तरह से होनी चाहिये । घूसखोरी होनी है, पक्षपात होता है । यह सब अप्टाचार में आता है । केवल घूसखोरी नहीं आती ।

**अध्यक्ष महोदय :** मगर मैं आप से यह दखवास्त करना चाहता हूँ कि जो भी नियम हैं वे हाउस के बनाए हुए हैं और हम उन्हीं के मुताबिक चल रहे हैं । अगर उन के अनुसार न चलें तो आप कह सकते हैं कि यह गलती है या बुराई है, यहाँ तक भी आप कह दें तो मुझे कोई ऐतराज नहीं । मगर अगर हम नियमों के अनुसार चल रहे हैं और उसको आप दुराचार कहें तो यह मुनासिब नहीं है । यह तो हाउस के ऊपर बहुत बड़ा रिफ्लेक्शन है । आपने कहा कि नियम अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं । आपको इन नियमों को बुरा नहीं कहना चाहिये था । अगर माननीय सदस्य को नियमों से इत्तिफाक नहीं है तो उनको हक है कि वह उनको तबदील कराने की कोशिश करें, उनके खिलाफ बेशक आवाज उठावें । लेकिन जब तक वे नियम हैं और उनक मुताबिक कारंवाई हो रही है, तो यह कहना कि यह दुराचार है, मुनासिब नहीं मालूम होता ।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** मैं उस बहस में नहीं पड़ूंगा, लेकिन अध्यक्ष महोदय, मैं आप की सेवा में यह कह देना चाहता हूँ कि दुराचार और करप्शन या अप्टाचार, ये सब एक से ही शब्द हैं और जब हम इस

प्रश्न पर विचार करें, तो सोचें कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर हो रहा है, इसलिए गंगा के निचले मैदानों पर सफ़ाई करना अब बिल्कुल व्यर्थ है। और जब गंगोत्री पर सोच-विचार करते हैं, तो मैं सभी माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि वे जरा नम्रता से बातें सुनें, गुस्सा मुझ पर न करें, गुस्सा करें उस हालत पर, जिस में आज हिन्दुस्तान सड़ता चला जा रहा है। मैं कोशिश करूँगा कि मेरा गुस्सा भी कुछ धमा हुआ रहे, लेकिन मैं चाहूँगा कि दूसरे माननीय सदस्य भी अपने गुस्से को कुछ धाम कर बैठें। अगर मेरे मुँह से कुछ शब्द निकल जायें, तो वे जरा इस बात पर ध्यान दें कि इस सड़ंध को दूर करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं सब मेम्बर साहबान से दरखास्त करूँगा कि जब तक डाक्टर साहब बोलते रहें, वे अपने गुस्से को धामे रखें। ( *Laughter* ) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं डाक्टर साहब से भी कहूँगा कि वह भी अपने आप को काबू में रखें। ( *Laughter* ) मैं हंसी की बात नहीं कर रहा हूँ। इस में मजाक नहीं आना चाहिए।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** आप जानते हैं, अध्यक्ष महोदय, जितना हुक्म मैं ने आप का माना है, एक आदमी को छोड़ कर मारी जिन्दगी में किसी और का हुक्म उतना नहीं माना है ( *Laughter* ) और इसलिए मेरा गुस्सा बिल्कुल रहा नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं भी आप को यकीन दिलाता हूँ कि जितना मैं मशकूर हूँ आप का, उतना बहुत कम आदमियों का हूँ। ( *Laughter* )

**श्री बागड़ी :** मेरा नाम काट दिया ?

**डा० राम मनोहर लोहिया :** मैं आशा करता हूँ कि यह सम्बन्ध आगे भी चलता रहेगा, हालाँकि कभी कभी बड़ी परेशानी हो जाती है।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरी कोशिश तो यही रहेगी।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** मेरी तरफ़ से रहेगी, लेकिन मैं आप से फिर प्रार्थना करता हूँ कि संसद् की इन प्रणालियों में मुझ जैसे आदमियों के लिए हमेशा दिल धाम कर बैठना पड़ता है। बहस नहीं हो पाती है, जिन पर कि होनी चाहिये।

और, मैं कह रहा था कि भ्रष्टाचार गंगोत्री पर है। कानून का राज्य हिन्दुस्तान में नहीं रह गया है, मनमानी का राज्य हो रहा है। नियम अच्छे नहीं हैं, या उन का पालन नहीं होता है। नतीजा होता है कि सरकार के कामों में पक्षपात भरा हुआ है। उस पक्षपात में लोगों को पैसे का फ़ायदा होता है या नहीं, यह दूसरे नम्बर का सवाल है। पक्षपात, मनमानी, घूसखोरी और नियमों की अवहेलना, ये सब भ्रष्टाचार में समझे जाने चाहिए।

और भ्रष्टाचार है क्या ? सिर्फ़ ईमान की कमी नहीं है, समझ की भी कमी है। मैं इस वक़्त संसद् में भी इस बात की कमी पाता हूँ कि लोग भ्रष्टाचार को केवल बेईमानी समझते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि यह केवल बेईमानी नहीं है यह नाममजी भी है। आज हिन्दुस्तान और दुनिया का जो स्वरूप हो गया है, उस में जब तक हम समझ का इस्तेमाल नहीं करेंगे और यह जानने की कोशिश नहीं करेंगे कि क्या अवस्था है, जिस में भ्रष्टाचार निकलता है, क्या है भ्रष्टाचार, क्यों है, उस के कौन से कारण हैं, कहाँ कहाँ हैं, क्या उस के रूप हैं, आदि तब तक हम भ्रष्टाचार को दूर नहीं कर पायेंगे। इसी समझ के फ़ौर को मैं अब भी सरकार में पूरी तरह से पाता हूँ क्योंकि जो आखिरी तरीका सरकार ने भ्रष्टाचार को दूर करने का निकाला है, केन्द्रीय निगरानी कमीशन का, उस के क्या



[डा० राम मनोहर लोहिया:]

मानी होते हैं ? यह कि जहां कहीं भ्रष्टाचार होगा, उस को केन्द्रीय निगरानी कमीशन पकड़ेगा। यह तो इलाज का तरीका है। जब कोई पाप हो जाये, तो उस पाप की सजा देने वाला तरीका है। वह तरीका अभी तक सरकार के सामने नहीं है कि भ्रष्टाचार का निरोध किया जाये, उस को रोका जाये।

भ्रष्टाचार की एक रोक की दृष्टि होती है और एक इलाज की दृष्टि होती है। मैं सब से पहली बात यह कहना चाहता हूँ कि केन्द्रीय निगरानी कमीशन में रोक की दृष्टि बिल्कुल नहीं है, केवल इलाज की दृष्टि है। और यह फ़ेल हो कर रहेगा, उस का एक बहुत बड़ा कारण मैं आप को बताये देता हूँ कि जब कभी कोई बड़ा आदमी पकड़ा जायेगा, तो वह छूटे जायेगा और मिफ़ छोटें छोटें लोगों को सजा मिलेगी। तो इलाज की दृष्टि में भी यह तरीका बिल्कुल नाकामयाब साबित होगा और जहां तक रोक का सवाल है, गृह मंत्री के मामले उस का तो कोई तरीका ही नहीं है।

मैं आप को एक बात और बताऊँ कि आज हिन्दुस्तान ने अच्छे अच्छे तरीके निकाल लिये हैं—एवजी सजा तक के तरीके निकाल लिये हैं। जब शराबबन्दी के मामले को ले कर लोग गिरफ्तार हुआ करते थे तो अवैध शराब बनाने वालों ने अपने बीच में से कुछ लोगों को इसलिए निकाल दिया कि भई, पुलिस को खुश करने के लिए इतनी तादाद में तुम पकड़े जाया करो, इस से पुलिस भी खुश रहेगी, मंत्री भी खुश रहेंगे और हमारा धंधा चलता रहेगा। अगर बहुत जरूरी हुआ, तो उसी तरह की एवजी गिरफ्तारी करवा कर लोग केन्द्रीय निगरानी कमीशन को बिल्कुल थोथा और बाझ बना डालेंगे।

उस के अलावा मैं आप का ध्यान गृह मंत्री के उस बयान की तरफ़ दिलाना चाहता हूँ, जिस में उन्होंने ने कहा कि साधु-सन्त और जनमत तथा समाज के नेता लोग इस सवाल को ठीक कर सकते हैं और हमारे यहां जो भी भ्रष्टाचार है, उस को दूर कर सकते हैं। आखिर यह नैतिकता है क्या ? क्या यह साधु-सन्तों की चीज है ? आज राजनीति और आर्थिक जीवन दुनिया में इतने पेंच हो गए हैं कि यह साधु-सन्तों वाला मामला नहीं रहा है कि जा कर लोगों को कहा जाय कि तुम सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, और उस में सब मामला सच्चा और ईमानदार हो जायेगा।

मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि जो मंत्री सब से ज्यादा सच्चाई की, ईमानदारी की, जात के खिलाफ़ बान करते हैं, वह सब से ज्यादा अपनी जात-विगदरी के पक्षपात का काम किया करते हैं। और आप जानते हैं कि कौन मंत्री हिन्दुस्तान में सभ से ज्यादा जात के खिलाफ़ बोलता है, वही मंत्री आज जात के मामले में सब से बड़ा दोषी है, यह मैं अच्छी तरह से कहना चाहता हूँ।

इसलिए यह मामला समझ का है और मैं आप को समझ का एक और उदाहरण दिये देता हूँ। बहुत दिनों पहले मैं ने भी उस प्रस्ताव को माना था—तब मेरी समझ भी कुछ कम थी—कि पांच सौ रुपये महीने से ज्यादा न तो किसी मंत्री को, और न किसी सरकारी नौकर को, दिया जाये। लेकिन बकील, डाक्टर, व्यापारी और जागीरदार, इन सब की आमदनियों पर कोई रोक नहीं लगाई गई। यह कैसे हो सकता है कि चारों तरफ़ तो लालच का

समुद्र बहता रहे और बीच में एक छोटा सा टापू मंत्रियों और सरकारी नौकरों के लिए बना दिया जाये—कर्तव्य का टापू। वह कर्तव्य का टापू बह कर रहेगा। लालच का समुद्र उस को बहा डालेगा। इसलिए यह बहुत बड़ा प्रमाण है कि यह मामला समझ का है।

इस के अलावा मैं आप का ध्यान इस तरफ भी दिलाऊँ कि लोग कहने लग गए हैं कि भ्रष्टाचार तो जीवन का अंग बन गया है और मैं फिर बड़ी नरमी से—अभी मेरे मुँह से शब्द निकल रहे थे “मेरे पुराने कांग्रेसी साथियों से”, लेकिन दिमाग नहीं कहता कि मैं उन शब्दों को कह दूँ, दिमाग नहीं कहता, मन कभी कभी फिसल जाता है—यह अर्ज करूँगा कि जरा सोचो कि गांवों में जा कर क्या क्या प्रचार किया करते हो। यह कि हमारा पेट तो भर चुका है और अगर आप उन को वोट दोगे, जिन का पेट खाली है, तो वे आ कर पेट भरेंगे। गांव वाले सोचते हैं, “हां, भई, बात तो सही है, न कांग्रेस वालों ने खा खा कर अपना पेट भर लिया है। अगर किसी और पार्टी को लायेंगे, तो वह नये सिरे से खायेंगी। इसलिए अच्छा है कि इन घूसखोरों को ही सरकार में रहने दो।” (Laughter) यह हंसने की बात नहीं है। यह इतनी लज्जा की बात है। मेरा मन भी व्याकुल हो जाता है कि सारे हिन्दुस्तान को आज भ्रष्टाचार का पाठ पढ़ाया जा रहा है निर्वाचनों के जरिये।

उस के अलावा एक बड़ा भारी सिद्धान्त निकाला गया। अर्थ-शास्त्रियों ने निकाला, हिन्दुस्तान के अर्थ-शास्त्रियों ने, कि जब कभी कोई पिछड़ी आर्थिक व्यवस्था तरक्की करेगी, आगे बढ़ेगी, माल ज्यादा होगा नहीं, पैदावार के ढंग पुराने होंगे, तो उस में भ्रष्टाचार लाजिमी है। मैं समझता हूँ कि बात तो मैंने बिल्कुल साफ़ कह दी, लेकिन

चूंकि अंग्रेजी को कम जानने वाले लोग हिन्दुस्तान में बहुत ज्यादा हैं, इसलिए वे “डेवेलपिंग इकानोमी” कहा करते हैं—कहा करते हैं कि डेवेलपिंग इकानोमी में तो भ्रष्टाचार आवश्यक है। मैं कहना चाहता हूँ कि यह बिल्कुल झूठा सिद्धान्त है। अगर कोई आर्थिक व्यवस्था सुधारनी है, जोकि कमजोर है, पिछड़ी है, तो उस में भ्रष्टाचार बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और उस का एक नमूना मैं आप को दिये देता हूँ। हालांकि महात्मा गांधी का देना चाहिए, लेकिन मैं रूस का देता हूँ।

रूस ने लगातार चालीस, पचास बरस तक इस बात का खयाल नहीं किया कि उस के यहां इस्तेमाल की चीजें कैसे बनती हैं। उस्तरा वे ऐसा बनाते थे कि जिस से दाढ़ी बनाते हुए छिल जाये। विदेशी लोग यहां की यात्रा कर के आ कर कहते थे कि रूस में तो खपत की चीजें बहुत खराब हैं। लेकिन वे अपनी पैदावार की बुनियाद को बना रहे थे, खपत में अपने पैसों को बर्बाद नहीं कर रहे थे। इस तरह से अगर हम भी अपने देश में खपत के ऊपर जोर न दे कर के पैदावार पर जोर दें तो यह भ्रष्टाचार का मामला इतना किसी भी मूल में नहीं बढ़ सकता था।

सिंहासन और व्यापार के सम्बन्ध की तरफ भी मैं आप का ध्यान खींचूंगा। यह संबंध जितना हिन्दुस्तान में दूषित, भ्रष्ट, बर्दमान हो गया है, उतना दुनिया के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। व्यापार और सिंहासन का सम्बन्ध अमरीका इंग्लिस्तान, जर्मनी आदि किसी भी देश में इतना नहीं बिगड़ा जितना यहां बिगड़ा है। सिद्धान्त बतलाने के बजाय मैं आपको एक मिमाल देता हूँ। नेशनल मोटर्स पंजाब की एक कम्पनी है। उस कम्पनी को चलाने वाला मंत्री का

[डा० राम मनोहर लोहिया]

बेटा है। उसे सरकार से लाइसेंस, सरकार से कोटा आदि मिल जाया करता है। वह बंसा बनाया करता है। जब सवाल उठता है तो कहा जाता है कि तुम इस उदाहरण को क्यों साते हो, क्या पंजाब के मुख्य मंत्री ने कहीं किसी से सिफारिश की है कि तुम मेरे बेटे के लिए फलां फलां लाइसेंस दो, कागज दिखाओ कि उसने ऐसा किया है, दूसरी बातें बतलाओ। मैं एक विशेष बात कहना चाहता हूँ। हमें केवल यह देखना है कि क्या किसी बेटे या बेंटी या रिश्तेदार ने तथा मेरी तो यह राय है कि दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों ने, उनके सम्बन्धी के सिंहासन पर बैठने के कारण कोई लाभ उठाया है या नहीं। आज हिन्दुस्तान में यही कसौटी रहनी चाहिये कि सिंहासन पर बैठे हुए लोगों की मदद ले कर के क्या किसी ने लाभ उठाया है व्यापार में।

और कसौटी में आप के मामले रखना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा कहा जाता है कि क्या मंत्रियों के बेटे नहीं हैं? इस का पहला जवाब दतो यह है कि क्या दूसरों के बेटे नहीं हैं, क्या खाली मंत्रियों के ही बेटे हैं जो हमेशा हमेशा हर तरह से फायदा उठाते रहेंगे।

लेकिन आज की स्थिति में हमारी आर्थिक व्यवस्था में, एक हिस्सा है होड़ वाला, खाली होड़ वाला और दूसरा हिस्सा है, परमिट, कोटा, लाटिंग आदि वाला। इन दोनों में में अन्तर करना सीखना चाहिये। स्वतंत्र देशों की बात कही जाती है, जर्मनी, इंग्लिस्तान वगैरह की बात कही जाती है, जो खाली होड़ वाले हैं, ज्यादा तर खुला होड़ वहां होता है, सरकारें कोई दखल नहीं देती हैं। ज्यादा तर वहां यही स्थिति है। अगर यहां पर मंत्रियों के बेटे ज्यादा अक्लमन्द हैं बेटियां ज्यादा अक्लमन्द हैं और इस में मैं उनके रिश्तेदारों को भी शामिल करता हूँ तो उन्हें खुले व्यापार की होड़ में डाल दो और अगर तब कोई उस का लड़का तरक्की कर सके

तो करे। लेकिन ऐसा कोई व्यापार जहां पर कि मंत्री को कोई कोटा या परमिट या लाइसेंस देना पड़ता हो, उस में मंत्री के दो पीढ़ी तक के रिश्तेदारों को बिल्कुल नहीं आना चाहिये। जब तक यह सिद्धान्त आप नहीं अपनाते हैं, तब तक सिंहासन और व्यापार का सम्बन्ध बिगड़ा हुआ ही रहेगा।

अब मैं दूसरी चीज नौकरी के बारे में कहता हूँ। कोई भी सिंहासन पर बैठा हुआ आदमी अपने रिश्तेदारों को ऊंची ऊंची नौकरियां न दिलवा सके, इस के बारे में भी कोई तरीका निकाला जाना चाहिए। आप इसका भी सबूत पूछेंगे। सबूत यह है कि उसको और तरीके से वह नौकरी नहीं मिलती है, पहले नहीं मिली थी, ज्यों ज्यों अब्बा जान तरक्की करते हैं, अपने मंत्री पद में, त्यों त्यों बेटा जान भी तरक्की करते हैं व्यापारी महकमे में। यह इतना बड़ा सबूत है कि इस को झुटलाया नहीं जा सकता है। इस सम्बन्ध में भी कोई नियम अच्छी तरह से बना दिया जाना चाहिये।

चन्दे का जो तरीका है, व्यापारी संस्थाओं

श्री क० ना० तिवारी (बगहा) : आप की पार्टी भी तो पानी है।

डा० राम मनोहर लोहिया: जरा जोर से बोलिये।

एक माननीय सदस्य : आपकी पार्टी भी तो इसी तरह से चल रही है।

डा० राम मनोहर लोहिया : कैसे चलेगी? कहां चल रही है? मैं तो चाहता हूँ कि आप लोगों को मिनटों में खत्म कर दूँ। लेकिन कहां चल रही है।

अध्यक्ष महोदय : डाक्टर साहब, आप मेरी तरफ देखिये।

डा० राम मनोहर लोहिया : आप की ही तरफ देख रहा हूँ। लेकिन कभी कभी...

अध्यक्ष महोदय : सिर्फ देखें ही नहीं बल्कि कान भी दूसरी तरफ न रखें।

डा० राम मनोहर लोहिया : क्या करूँ। थोड़ी सी रुई मिल जाय तो कान में डाल लूँ। बड़ा मुश्किल हो जाता है।

मैं अर्ज करूँ कि मैं पुराने हिन्दुस्तान की आखिरी राजधानी का नुमाइंदा हूँ। पुराने हिन्दुस्तान की आखिरी राजधानी जिस को कन्नौज कहा जाता था, उस के नुमाइंदे की हैसियत से मैं इस नई राजधानी के मुनाल्लिक कुछ साहित्यिक शब्द कहने वाला था लेकिन मुझे डर लग रहा है कि शायद ठीक समझें या न समझें।

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी अक्ल पर मुनहसर है।

डा० राम मनोहर लोहिया : दिल्ली की राजधानी बहुत नई है, कुल सात आठ सौ बरस समय की सब से खूबसूरत कुलटा है। इस में कोई सन्देह नहीं है क्योंकि वह कभी भी विदेशी हमलावरों के सामने टिक नहीं पाई। सात आठ सौ बरस का इतिहास राजधानी का है, इसको मैं संदेश देना चाहता हूँ। कन्नौज से अभी मैं आया हूँ, उसको देख कर आया हूँ। वहाँ नाला था। उससे पानी बहा करता था, गन्दगी दूट जाती थी, बरसात या बाढ़ के मौके पर लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, नाला कोई छः सात सौ साल बरस पुराना है। वह अब नाला भर गया है, समय ने नुकसान किया है। मिट्टी आ गई है। साथ ही एक नुकसान यह भी हुआ है कि ५०-६० आदमियों ने वहाँ की जमीन पर अवैध कब्जा कर लिया है, खेती करने लग गए हैं, कुछ सब्जी बगरह बोनने लग गए हैं। इस लिय मैं निवेदन करूँगा कि मामला एक तरह से हजार डेढ़ हजार बरस के रोग

का है और दूसरे पन्द्रह बरस के कोढ़ का है डेढ़ हजार बरस का जो रोग है, मैं चाहता हूँ कि हमेशा उसी के बारे में ज्यादा बोवूँ क्योंकि यह जो पन्द्रह बरस वाली चीज यह तो केवल वक्ती चीज है। ये सब मंत्री प्रधान मंत्री, मुख्य मंत्री आते जाते रहते हैं, करोड़ों की तादाद में आते जाते रहते हैं। मैं अपने मन को कभी कभी अच्छी तरह से रोक नहीं पाता हूँ। उसका कारण यह है कि वक्त कम देते हैं वरना अभी तक डेढ़ हजार बरस के रोग का इलाज जोकि आज इस पन्द्रह बरस के कोढ़ में जा कर जमा हुआ है, उसको मैं विस्तार से बताता कि डेढ़ हजार दबरस वाला रोग क्या है? हिन्दुस्तान एक घर नहीं है, एक हजार या दस हजार घर बन चुका है। जितनी जातियाँ हैं, उन में लूट मची हुई है, उन जातियों की अपनी अपनी सोचने की दृष्टि हो गई है, उनका स्वार्थ, उनका धाय, उनका सोचना, उनका विवेक आदि जो हैं, इन सब का मतलब बदल गया है। सोचने और बोलने की भी दीवाल, ईसाफ और ना-ईसाफ के बीच की दीवाल, ईमानदारी और बर्झमानी के बीच की दीवाल ऐसे वक्त में गिर जाया करती है, जहाँ अपने खुद के घर का सवाल उठाता है। इन दस हजार घरों में यह हिन्दुस्तान लुटा हुआ है, पिछले डेढ़ हजार बरस से लुटा हुआ है। जब तक आप फर्क नहीं करेंगे तब तक भ्रष्टाचार बन्द नहीं हो सकता है क्योंकि हर आदमी संवेगा कि मैंने अपनी जात, अपनी बिरादरी, अपने बेटों आदि के लिये कुछ किया तो इस में क्या बुरा किया, अच्छा ही किया। हमारे पुराने जो ग्रन्थ हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। उन से यह परम्परा चली आई है कि अगर कोई आदमी बड़ी जगह पर पहुँच जाए तो अपने लोगों को फायदा पहुँचाय। अभी तक वह चीज चली आ रही है।

उसी के साथ साथ मुझ पर लांछन लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि मैंने प्रधान मंत्री के बारे में कुछ नहीं कहा है और

## [डा० राम मनोहर लोहिया]

बहुत कम मैं कहा करता हूँ। लेकिन जब मुझ पर लांछन लगाया जाता है तो मैं बक्ती बात उठाता हूँ। बड़े अदब के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने अपनी सारी जिन्दगी में माननीय प्रधान मंत्री के बारे में एक भी वैयक्तिक बात नहीं उठाई है। हमेशा वह बात उठाई है जो शासन से सम्बन्ध रखती है। अब अगर उनके शासन काल में उनके कुटुम्ब, उनकी बिरादरी के लोग हमेशा तरक्की पाते रहें तो यह वैयक्तिक चीज नहीं, यह सार्वजनिक चीज है। इसके जवाब में कह दिया जाता है कि क्या करें अगर उन में योग्यता है तो। अगर आप प्रधान मंत्री होते तो इस वक्त सब से ज्यादा योग्यता कहाँ होती। अगर वित्त मंत्री प्रधान मंत्री बन जायें, जैसे अभी भी कभी कभी सुना जाता है कि शायद हो जाएं तब आप देखेंगे कि हिन्दुस्तान के सब से ज्यादा योग्य आदमी तमिल, अयंगर हो जायेंगे, इस में कोई सन्देह नहीं है। इस तरह से योग्यता की कसौटी अपने देश में चलती रहती है। जब कोई बड़ा आदमी उससे भी बड़ी जगह पर पहुँच जाता है तो उसके कुँबे के सारे लोग, बिरादरी के सारे लोग इतने लायक बन जाते हैं कि उनके सामने कोई टिक नहीं पाता है, बाकी लोग कोई हैसियत ही नहीं रखते हैं। यह जो सिलसिला है इसको हमें बदलना पड़ेगा। जब तक हम चार हजार या दस हजार घरों की अलग अलग दीवारों को नहीं तोड़ें तब तक अष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है।

एक तरफ तो जबर्दस्त भूख है। साढ़े ४३ करोड़ लोगों की भूख है और दूसरी तरफ पचास लाख लोग यूरोप और अमरीका की नकल करते हुए लगातार अपने जीवन स्तर को बढ़ाने की सोचते हैं, आज हिन्दुस्तान का क्या आदर्श बन गया है। कुर्सी बढ़िया लो, फर्निचर बढ़िया लाओ। ये कह देते हैं कि फलों के यह चूँकि बड़ा बढ़िया सोफा

देखा है, यहां क्यों नहीं आ जाता है। जब मंत्रियों और उनकी बीवियों के मन में ऐसे विचार बनते और पनपते रहेंगे तो कहां से सदा पर कायम रह सकता है। एक तरफ साढ़े ४३ करोड़ की भूख, इतनी जबर्दस्त भूख कि उस के सामने ई अनदारी और बई-मानी कुछ नहीं रह जाती। मैं आप से कहना चाहता हूँ कि दो पैसे और चार पैसे के लिये साढ़े ४३ करोड़ भी बईमान हो सकते हैं लेकिन ५० लाख लोग लाखों करोड़ों लोगों के लिये बईमान होते हैं। एक तरफ तो ऐसे लोग हैं जो अपनी तन्खाह से सौ गुना, पांच सौ गुना ज्यादा खर्च किया करते हैं और दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि प्रशासन में लगे हुए जितने भी आदमी हैं वे कम से कम चौगुना अपनी तन्खाह का खर्च किया करते हैं। इस तरह से यह जरूरी हो गया है कि हम ने पन्द्रह वर्षों में जो कोड़ इकट्ठा किया है उस को हम धोयें। मैं इस बात को माने लेता हूँ कि एक अच्छा आदमी भी आता तो भी शायद यह सिलसिला चलता। यह तो देश का दुर्भाग्य है कि यहां के बड़े आदमी, और मैं आप से कह दूँ कि हुजूर को तो मैं ज्यादा जानता नहीं इस लिए शायद आप को भी शामिल कर लूँ लेकिन महात्मा गांधी को छोड़ कर मूझे अभी तक . . . . .

13 hrs.

**अध्यक्ष महोदय :** जरा एक मिनट माननीय सदस्य बैठ जायें। मैं मेम्बर साहबान से दरखास्त करूंगा कि सिर्फ डाक्टर साहब के लिये ही नहीं, कई दफे बात चीत आई है स्पीकर की।

No comments should be offered, whether complimentary or critical so far as the Speaker is concerned. Complimentary remarks can be offered only when he is elected and critical only when there is a motion for his removal. There are the only two points. Otherwise, he should be left alone and never referred to.

**Shri Tyagi (Dehra Dun):** We have to acknowledge it when a fair and just ruling is given.

**डा० राम मनोहर लोहिया :** मुझे माफ कीजियेगा । कोई बहुत बड़ी तारीफ नहीं की थी, फिर भी मुझे माफ कीजियेगा । तो जरूरी हो जाता है कि हम इन दोनों अवस्थाओं का इलाज निकालें । एक तो महान गैरबराबरी, ऐसी भूख जो लोगों को बेईमान बनाती है और दूसरी जीवन स्तर को लगातार ऊंचा करते रहने की इच्छा जो लोगों को बेईमान बनाती है । मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा ध्यान देना । मैं सदन के सदस्यों से कह रहा हूं, आप तो ज्यादा ध्यान दीजियेगा ही । महात्मा गांधी का युग तो सादगी और कर्तव्य का युग था, माननीय प्रधान मंत्री का युग फैशन और विलासिता का युग है । इन पचास लाख लोगों के लिये आप इस बात का ख्याल नहीं करते कि सारे देश की सामान्य अवस्था क्या है । जब केवल योरोप और अमरीका के जीवन स्तर की नकल किया करते हैं, जब इस बात को नहीं सोचते कि योरोप और अमरीका ने अपना जीवन स्तर, आज वाला, हासिल किया है ३०० वर्षों की लगातार मेहनत से, अपनी खेती और कारखानों को सुधार कर, अपनी पैदावार को बढ़ा कर, बिना पैदावार बढ़ाये हुए हम उस खपत की जब नकल करते हैं तो भ्रष्टाचार आवश्यक हो जाता है । इस लिये यह दो खास बातें मैं आप के सामने रखना चाहूंगा ।

इसी तरह से इस सरकार ने सत्य का मुंह धिप्य के पात्र से ढक कर रक्खा है । मैं इस तरह दो या ढाई हजार वर्ष पुराना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं । सत्य का मुंह सोने के बरतन से ढक कर रखा गया है । आप देखें कि जीवन की हर एक दिशा में चाहे वह सेवक हों, चाहे साधु हों, चाहे वह सुधारक हों और चाहे एकेडेमी वाले हों, चाहे और किसी पढ़ाई लिखाई के दायरे में हों, जो लोग मंत्री नहीं बन सकते या बनना नहीं चाहते,

उन लोगों का मुंह आधा या पूरा बन्द रखने के लिये सरकार बहुत ज्यादा रुपया खर्च किया करती है । मेरा अनुमान है कि पंच-वर्षीय योजना और सरकार से सम्पूर्ण खर्च में से जो कुल ५० अरब रुपया साल भर में है, यह सरकार कम से कम २ अरब रुपया केवल सत्य का मुंह सोने से ढकने के लिये खर्च किया करती है । अगर उन का मुंह बन्द न किया गया होता, तो मेरी बातें जल्दी फैलतीं । उन के ऊपर विवाद होता, उन पर सोच विचार होता । लेकिन चारों तरफ से विचार का गला घोट दिया जाता है क्योंकि यह लोग खुश रह जाया करते हैं ।

**अध्यक्ष महोदय :** अब माननीय सदस्य खत्म करने की तरफ आयेंगे । मैंने उन को काफी वक्त दे दिया ।

**श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :** अध्यक्ष महोदय, मेरा भी नाम इस चर्चा में है । इस लिये मैं अपना समय उन को देता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसे तो मेम्बर एक दूसरे को समय नहीं दे सकते । आप पांच मिनट और ले लीजिये ।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** सिर्फ उन का वक्त दे दीजिये । मैं और किसी का वक्त नहीं लूंगा । मैं श्री उटिया और बागड़ी का वक्त नहीं लूंगा । सिर्फ श्री किशन पटनायक का वक्त लूंगा ।

**अध्यक्ष महोदय :** आप ने तो यह पहले ही फर्ज कर लिया कि उन में से हर एक को वक्त मिलना है ।

**श्री बागड़ी :** अध्यक्ष महोदय, मुझे तो मिलना है ।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** अब मैं आप से अर्ज करूंगा कि सच बोलना तो बहुत जरूरी होता है । उस के बिना सदाचार आ ही नहीं सकता । सच बोलना आज राजनीति में प्रायः खत्म हो रहा है । मान लीजिये

[डा० राम मनोहर लोहिया]

मैं किसी चीज में फंस गया हूँ और अगर मैं सब बोलूँ तो मेरी गलती सामने आ जाये, तो अपनी गलती को छिपाने के लिये मैं झूठ बोल कर भ्रमण हट जाना चाहता हूँ। लेकिन झूठ बोलना एक फंसान हो जाता है। समझ लीजिए कि मुझे वाशिंगटन पहुंचना है सोमवार को सुबह, दस बजे। लेकिन मैं देखता हूँ कि मैं वहां पहुंच नहीं सकता हूँ, और यह कह कर एक फंसान नकाल सकता हूँ, तो झूठ से कह देता हूँ कि मेरी वहां जाने की इच्छा थी लेकिन जा नहीं सकता था क्योंकि मेरे पास कोई साधन नहीं थे। लेकिन आम तौर से जो झूठ बोला करता है वह ऐसी बात कहता है कि उसी में वह फंस जाया करता है, क्योंकि वाशिंगटन और लन्दन में कम से कम पांच घंटे का समय भेद है। जब मैं यह कह दूँ कि मैं लन्दन तो सुबह पहुंच जाता तो उस के साथ मैंने यह भी कह दिया कि मैं वाशिंगटन भी उसी वक्त पर पहुंच जाता। इसी तरह से ...

श्री त्यागी : यह ठीक नहीं है। छिप कर बात करनी ...

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी गड़बड़ा रहे हैं

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूँ त्यागी जी। मैं डाक्टर साहब से दरखवास्त करूंगा कि जिस को मैंने एक तरह से नामनज़ूर कर दिया, तो क्या वे मुझ को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि उस को वे दूसरे ढंग से पेश करेंगे तो मैं नहीं समझूंगा। वे ऐसा न करें।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं बहुत सीधा आदमी हूँ और इस लिये मुझ को थोड़ी सी चालाकी इस्तेमाल करनी पड़ी। यह मैं आप से कहता हूँ ...

अध्यक्ष महोदय : जिस बात के लिये मैंने कह दिया कि इस की इजाजत नहीं देता फिर भी ...

डा० राम मनोहर लोहिया : मैंने उसे अपने ऊपर ले लिया।

अध्यक्ष महोदय : इस बात से मेरी वरिष्ठता तो नहीं होगी उस फैसले से जो मैंने दिया।

डा० राम मनोहर लोहिया : त्यागी जी आप भी क्यों इतनी ज्यादा नौकरी करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे ऊपर एक और रिफ्लेक्शन यह है कि अगर त्यागी जी नहीं कहते तो मैं इस बात को न समझता।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं एक सैंकड़ के लिये भी ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। मेरा बिल्कुल यह इरादा नहीं था, मैंने आप से पहले ही कह दिया है। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। बहुत कम मौकों पर मुझे चालाकी का इस्तेमाल करना पड़ता है लेकिन कलूँ क्या, यहां दवाया जो इतना जा रहा है। इस लिये अब मैं प्रधान मंत्री के बारे में

अध्यक्ष महोदय : एक बात मैं कह दूँ, हालांकि बार बार दखल देना ठीक नहीं। जैसा आप ने कहा कि बहुत कम मौकों पर आप चालाकी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप किया करें तो यह समझ कर के कि वह चालाकी छिपी नहीं रह सकती।

डा० राम मनोहर लोहिया : इसी लिये मैं उस का इस्तेमाल करता हूँ, वरना कलूँ क्यों। आप ठीके समझें।

मैं प्रधान मंत्री जी के बारे में आप से बतलाना चाहूंगा। यह समझ का फेर नहीं। वह जरा मेरी बात पर ध्यान दें, मुझ पर गुस्सा न करें और मेहरबानी कर के अपनी तीन मदों के खर्च को वे अच्छी तरह से समझ लें। एक तो अनुदान की मद, दूसरी कोश की मद और तीसरी निधि की मद, जो अनुदान

विभिन्न मंत्रालय दिया करते हैं। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि अगर माननीय गृह मंत्री एक बार प्रधान मंत्री के घर में जा कर देख लें कि अनुदानों से क्या क्या मिला करता है तो उन्हें पता चलेगा कि जो दूसरे मंत्री और मुख्य मंत्री लोग और किसी जरिये से हासिल करते हैं वह प्रधान मंत्री कोयदे के मुताबिक हासिल कर लेते हैं। इस के अलावा मैं आप से यह भी अर्ज करूँ कि जो कोष हैं, जैसे कि प्रधान मंत्री का राहत कोष है, पिछले दस पन्द्रह वर्षों में उस में से डेढ़ करोड़ रुपया खर्च हुआ। उस के लिये कोई नियम नहीं है इन लिये खाली उन की स्वेच्छाचारिता चलती है। यह जवाब उन्होंने सदन में दिया था। ऐसे कोषों का इस्तेमाल कर के कोई भी आदमी अपनी राजकीय स्थिति को सुधार सकता है। अगर मेरे पास उस का सीबा हिस्सा भी हो जाए तो मैं आप से अदब से कहना चाहता हूँ कि मेरे चारों तरफ भी न जाने कितने प्रकार के लोग होते और मेरी शक्ति भी कुछ बढ़ी हुई होती। राजनीतिक शक्ति को बढ़ाने का यह जरिया है।

इसी तरह से जन हित निधि के बारे में बताऊँ। करीब डेढ़ करोड़ की यह निधि है, इसका जगह जगह इस्तेमाल किया गया है, प्रधान मंत्री के घर के लोग इसके ट्रस्टी हैं, और इस सम्बन्ध में एक चीज और भी मैं कहना चाहूंगा। इस को पता लगाया जाए कि पंजाब के मुख्य मंत्री या उनके लोगों ने किस हद तक इस निधि में पैसा जमा करने में मदद पहुंचायी है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा चीजें ख़ुल सकती हैं।

इसी तरह से मैं आप को एक बात और बताऊँ...

**अध्यक्ष महोदय :** अब तो आप को खत्म करना चाहिये।

**डा० राम मनोहर लोहिया :** आप मुझे पांच मिनट और दे दें, मैं खत्म करता हूँ। और बाकी चीजों को छोड़ देता हूँ।

मैं आपको एक दिल का दर्द बता दूँ, और वह यह कि लोक सभा में इस के ऊपर विचार होना चाहिए था—यह आप देखें कि नियमों को किस तरह से इस्तेमाल करना है—कि हिन्दुस्तान के आगे आज एक भयंकर खतरा खड़ा हो गया है। यह संसदीय सदाचार है। हमारे दोनों मोर्चों पर तनाव बढ़ गया है। लेकिन लोक सभा के इस सत्र में खाली एक तनाव की बार बार चर्चा हुई है। सरकार के हाथ में यह जरिया रहता है कि जो चाहे अखबारों को खबर देती रहे। वह उनको कल्लों की, डकैतियों की, लूट की, गोलीबारी की खबरें दे कर जनता को उत्तेजित करती है। पाकिस्तान की सरकार तो पाजी है ही, लेकिन अगर हिन्दुस्तान की सरकार भी इन सब बातों को नहीं सोचती और ऐसी संसदीय हालत पैदा कर देती है तो यह अच्छा नहीं हुआ करता। यह भी नियमों की बात है।

इसी तरह से मैं आप से अर्ज करूंगा। मुझे तो खैर कोई ताकत की जगह पसन्द नहीं है। लेकिन अगर सचमुच कोई केन्द्रीय निगरानी कमीशन—सच्चा कमीशन—बनाया जाए जिसको बहु अधिकार मिले कि वह दो चेतावनियाँ देने के बाद उसी ढंग के भ्रष्टाचारी मामले में हर किसी को गिरफ्तार कर सके—अध्यक्ष महोदय मैं “हर किसी को” कह रहा हूँ—चाहे वह मुख्य मंत्री हो या प्रधान मंत्री हो या कोई हो, और यह अख्तियार मिले कि हिन्दुस्तान की आर्थिक व्यवस्था को अजसरेजों बदल सके, जो महान गैर-बराबरी इस देश को खाए जा रही है, उसको खत्म कर सके, खपत के ऊपर ध्यान न देकर पैदावार पर ध्यान दिया जाए, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि दो वर्ष के अन्दर अन्दर मैं तो क्या माननीय महावीर त्यागी जी भी हिन्दुस्तान से भ्रष्टाचार



[डा० राम मनोहर लोहिया]

को खत्म कर सकते हैं, लेकिन श्री नन्दा कभी भी नहीं खत्म कर सकेंगे यह बिल्कुल तै बात है ।

मैं यह भी कह दूँ कि पंचवर्षीय योजना, जिसके तहत २७ करोड़ आदमी सिर्फ तीन आने रोज पर रहते हैं और साढ़े १६ करोड़ आदमी एक रुपए मीसत पर, तो मैं सात बरस के अन्दर अन्दर २७ करोड़ को तो आठ आने रोज पर ले आऊंगा और इन साढ़े १६ करोड़ को कम से कम डेढ़ या पीने दो रुपए रोज पर ले आऊंगा ।

**Shrimati Vimla Devi (Eluru):** Mr. Speaker, Sir, I could not follow what was said by my brothers, Shri Prakash Vir Shastri and Dr. Lohia, because they were speaking in Hindi. I congratulate Shri Shastri for bringing forward this discussion on corruption. Corruption, Sir, is no more a moral question, but it has become a first class political question. In the villages and towns, on buses and trains, in hotels and cinema houses.....

**Mr. Speaker:** The hon. Member may kindly resume her seat. There was a question raised in my absence about the extension of time for this discussion. Those enthusiasts are not here now, I find. I had decided that we will continue this discussion till two o'clock when I will call the hon. Minister to reply. I want to make it clear that I intend doing that even now.

**Shri P. K. Deo:** May I submit, Sir, that the proposal was that this discussion be carried over to the next session and, therefore, the Minister may be called to reply in the next session.

**Mr. Speaker:** The rules are clear. This is a discussion under Rule 193. The time allowed is 2 hours, 2 hours 30 minutes at the most. Sometimes the House has relaxed it a little, but even if it is desired that it should be

extended to the next session, then a new notice shall have to be given and we cannot continue the discussion on this one. In that case we can only adjourn the discussion and a fresh notice shall have to be given for taking up a discussion on this subject. Hon. Members ought to be clear in their mind. If some hon. Member wants to move that this discussion be adjourned, he can do so. But in that case, as I said, a fresh notice shall have to be given in the next session if they want to take up this discussion.

**Shri P. K. Deo:** Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned to the next session."

**Mr. Speaker:** That is not in order.

**Shri P. K. Deo:** Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned and fresh notice be given in the next session."

**Mr. Speaker:** He need not say that. He need move only the first part.

**Shri P. K. Deo:** Sir, I beg to move:

"That this discussion be adjourned."

**Mr. Speaker:** What is the reaction of the Government?

**Shri Hajarnavis:** I accept it.

**Mr. Speaker:** The question is:

"That this discussion be adjourned."

*The motion was adopted.*

**Shrimati Vimla Devi:** The time up to 2:30 today is there for this.

**Mr. Speaker:** So further discussion on this is adjourned. New notice shall have to be given before I can allow Shrimati Vimla Devi to speak.

**Shri P. K. Deo:** In this regard, Sir, I beg to submit that it has been agreed that 5 hours be allowed for this discussion. I would suggest that it should

be taken up in the first week of the next session.

**Mr. Speaker:** That we will see. We shall now take up the next item.

## (ii) SUGAR-CANE PRICES

**Mr. Speaker:** This is the last day of this session. I hope everything will conclude by Five o'clock, including even the Half-an-hour Discussion. Therefore, at the most I can extend this discussion upto 4.30 and at 4.30 I will take up the Half-an-hour Discussion and conclude it at Five o'clock.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Mr. Speaker, Sir, it is with deep and serious sense of duty to my constituents, to the State and to India as a whole, that I and 49 of my friends from all sections of this House have given notice for this discussion.

It is really regrettable, Mr. Speaker, that a Ministry which happens to be presided over by an exceptional a man of exceptional talent, a man of character and competence in the person of Sardar Swaran Singh, should be subject to such critical discussion within so short a time after he has made a statement in deference to the wishes of the House.

**Shri Inder J. Malhotra** (Jammu and Kashmir): Sir, there is nobody representing the Food and Agriculture Ministry.

**Mr. Speaker:** He is coming. I have sent for him.

**The Deputy Minister in the Ministry of Railways** (Shri Shah Nawaz Khan): I am here.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** I would request the hon. Deputy Railway Minister to convey my feelings to him.

The hon. Minister was pleased to state that there was a uniform demand for raising the sugarcane prices to Rs. 2 per maund with 9 per cent

recovery, and the Minister has added his own appreciation of the situation and attributed certain utterances to Members, which was not the purport of the demand of this House, that this demand was particularly from the Members of Uttar Pradesh and Bihar. I must say duty bound to my hon. colleagues from Uttar Pradesh and Bihar that when they made this demand of Rs. 2 as the minimum price of sugarcane their intention, expressed in words and by their feelings, never was that this should be restricted only to U.P. and Bihar. By saying so the hon. Minister would be doing an injustice to the Members of both U.P. and Bihar and also to those who unanimously made the demand that Rs. 2 should be the minimum price of sugarcane with 9 per cent recovery.

Mr. Speaker, I must humbly draw your attention to this fact that the hon. Minister in the same breath, in the same statement, said that this was not a permanent assurance to the Members that this price of Rs. 2 shall remain for ever as the minimum price of sugarcane and that it was likely to be reduced or increased as the circumstances demanded.

11-20 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO in the Chair]

I think that the tenor of argument that he has used amounts to a threat to cane growers and also to those who represent cane growers here that they need not rest assure that this Rs. 2 will be the minimum price on a permanent basis. I think the Ministry should consider this Point on the background that the very argument that has been placed on the floor of this House revolves on this factor that sugar policy or the so-called sugar policy of the Government of India has been a tragic failure not because of any faults in the policy but because there has not been any sugar policy as such. There has been a persistent demand that a definite sugar policy, if I may say so, if necessary in the form of an Industrial Policy

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

Resolution or in the form of an amendment to the Industrial Policy Resolution is the prime need of the day and I feel that even if the solemn assurances given on the floor of this House by no less a person than the Minister of Food and Agriculture are not upheld or in practice are not observed by the Directorate of Sugar, then, I think there exists a case where the working of the Directorate of Sugar and, if necessary, the general working of the Ministry of Agriculture should also be subjected to scrutiny by a high-level committee including the Members of Parliament presided over by an independent authority. The Minister of Food and Agriculture was pleased to make a statement . . .

**Mr. Chairman:** I should like that one of the concerned Ministers should be present here.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** The Minister of Food and Agriculture is not here. Anyway, with deference to . . .

**श्री देवराव शि० पाटिल (यवतमाल):**

सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि गन्ने की कीमतों के बारे में १२ दिसम्बर, १९६३ को खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य पर इस समय चर्चा शुरू है। यह एक स्पेसिफिक सबजेक्ट है। लेकिन हम देखते हैं कि खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का कोई भी मिनिस्टर, डिपुटी मिनिस्टर या पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी यहां पर हाजिर नहीं है।

**Mr. Chairman:** I have raised this very point.

**श्री देवराव शि० पाटिल :** कैबिनेट की ज्वायंट रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हेल्थ मिनिस्ट्री या रेलवे मिनिस्ट्री का इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

**Mr. Chairman:** There is no point of order.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** There is no point of order; there is still a point of courtesy.

**Shri Warior (Trichur):** Maybe, they do not know that this discussion has started so early.

**Mr. Chairman:** The discussion on the previous motion came to an end abruptly. Probably, they may not have the information. They will be coming now.

**Shri Hari Vishnu Kamath:** You may kindly inform them.

**Mr. Chairman:** A word has gone to them.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** The hon. Minister of Food and Agriculture made a statement on the floor of this House on 8th September, 1963. In that statement the hon. Minister has made a specific promise to this House that all the sugarcane prices that were fixed for 1962-63 season will be increased by 18 np. and it is surprising to find that this promise has not been executed. I will quote the Minister himself. He says:

"Bearing these aspects in mind, Government have decided that a Sugarcane Control Order should be promulgated authorising State Government to regulate the utilisation, purchase and distribution of sugarcane principally to factories and, where considered necessary by State Government's, to power crushers. The factories in areas where the competition with gur and khandsari is intense and where the minimum price is less than Rs. 1.75 per maund or Rs. 4.69 per quintal should be authorised to pay a price of cane upto that amount and the price actually paid should be included in calculations of ex-factory prices."

Now, this specific promise by the Minister of Food and Agriculture has not been executed by the subsequent notifications which were issued. When

the Minister makes a statement that there will be a flat increase of 18 nP. it necessarily follows that all those factories who were getting sugarcane in 1962-63 should pay a minimum increase of 18 nP. on the basis of sugarcane available to them. I say, there is at least one factory in the co-operative sector where there has not been an increase of even one single nP. There are as many as 13 factories in the co-operative sector alone where the promised increase of 18 nP. has not been allowed.

Further than that, the Minister has also made a statement that this fixation in north Bihar and south Bihar and in eastern U.P. and western U.P. on the basis of minimum sugarcane price at Rs. 2 and Rs. 1.75 nP. is necessary because there is competition from gur and khandsari. I think, it was unanimously argued on behalf of all sections of this House that gur and khandsari are not a menace and that it is something by which the cane growers get, I should say, a reasonable price immediately without any middle man. If there should be any necessity for cane supplies, or assurances of cane supplies to the factories, then the emphasis should not be to eliminate gur manufacture but it should be to pay a reasonable price for cane meant for use by the sugar factories and there should be some comparison between the two. Therefore, when the Minister made a distinction between region and region and between north Bihar and south Bihar, between eastern U.P. and western U.P. there was a clamour that this discrimination should go and the Minister of his own accord thought that this clamour was restricted to north Bihar and south Bihar and eastern U.P. and western U.P. and that is why he again said that he would consider this and on the 12th of December he made a statement making Punjab and UP and Bihar entitled to a uniform minimum price of Rs. 2 at 9 per cent recovery. Here, I wish to say that the only argument given by the Ministry is that in view

of the particular circumstances there, this increase is essential. What are the circumstances? They are worth considering. He has said:

"After a very careful consideration of these issues, Government has come to the conclusion that the extra-ordinary conditions that prevail in the sugarcane producing areas of Bihar and Uttar Pradesh in the current year and repercussions of increase in the neighbouring areas of factories have to be given special consideration."

Now, the extra-ordinary conditions calling for special considerations in U.P. and Bihar, according to the Minister himself, are restricted to the demand by U.P. Ministers and the Bihar Chief Minister of Rs. 2 as a minimum price, demand by cane-growers, the threatened strike by cane-growers, the movement of *satyagraha* that was launched in U.P. and Bihar and perhaps the demand made on the floor of this House. Now, in the sequence of things, what is more apparent is that to the Ministry of Food and Agriculture what seems to matter is *satyagraha*, threats, strikes, demands and not the utterances of the hon. Members of this House. Therefore, if the utterances of the hon. Members of this House have any bearing, if they deserve any serious consideration, if everyone of us who has been elected by adult suffrage has some knowledge as to the existence of conditions in his own respective area and constituency, then the Ministry of Food and Agriculture, by way of elementary courtesy to this House, should definitely give sympathetic consideration to the views advanced on the floor of this House. When there has been a uniform demand that without any discrimination, the minimum Rs. 2/- formula should be applied at 9 per cent recovery, the Ministry makes a distinction between region and region and between State and State. The

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

same organisation, I think, deserves to be very critically observed from this point of view that at least in the interest of national integration, in the interest of economic integration, this discrimination goes a long way and this discrimination goes not to help the cane-growers from any region, in whose favour this discrimination is alleged to have been enforced, but it ultimately goes to private interests, to middlemen, to profiteers and to black-marketeers. Therefore, I say that this Directorate of Sugar which has been since long presided over by a non-technical man—I do not know even the name of the person; I do not know whether he is a titular head or he is an effective head—has been for so many years only a sub-office of the Indian Sugar Mills Association and their manipulations and their own trade interests have always been upheld by this Directorate of Sugar and the Ministry of Food and Agriculture has throughout been the victim of the manipulations executed by their own officers. Therefore, I say that there should be an introspection from the Food and Agriculture Ministry side on the working of this Directorate of Sugar. The reason for my saying this is this that the history of sugar policy is one of periodical control and decontrol, exfactory prices and distribution of sugar, regulation of production of sugar, grant and withdrawal of incentives to both cane-growers and manufacturers resulting in cycles of shortages and over-production, and these cycles of shortages and over-production have been engineered by the Directorate of Sugar and have been artificially created by the Directorate of Sugar, and, therefore, this factor also reserves to be gone into.

For instance, in 1951-52, the minimum price of sugarcane was Rs. 1.75. Even today, in 1963, the hon. Minister has given the threat that this minimum price of Rs. 2 or Rs. 1.75 is not a permanent thing. Then, the only inescapable conclusion that we can arrive at

is this that the policies of the Food and Agriculture Ministry are *ad hoc*, there are no permanent solutions, there is no permanent thinking, and their policies, to say the least, are situation-oriented. The hon. Minister was pleased to say on the floor of the House that it was not bad to be situation-oriented. I wish to know from the hon. Minister whether it is good to be situation-oriented when the situation is created by interested parties. Is it good to be situation-oriented when the situation created is going to kill the cane-growers? Is it good to be situation-oriented when the situation created is against national interest?

The Ministry applied a uniform ten per cent cut when there was a slight excess in production. Is it the policy of the Food and Agriculture Ministry that if the sugar production increases even by one bag, a cut of one bag should be applied? Is it policy that if the production increases by 10 per cent, immediately a 10 per cent. cut should be applied? Is it the policy of the Food and Agriculture Ministry that the cane-growers should suffer a uniform and recurrent loss every year?

I feel that the Ministry should concentrate their efforts on the distribution pattern of sugar. I know that the interests of the consumers are uppermost, but the interest of the consumers cannot be guarded by killing the cane-growers, because ultimately if the cane-growers do not get the incentives, or even leaving apart incentives, if they do not get even their input in cane cultivation, then there will not be cane for being supplied to the sugar factories. If we are very keen to get cane supplies to the factories, let us not discriminate between one State and another, between one region and another, between one factory and another.

The hon. Minister has said that because of gur and khandsari competi-

tion, this discrimination is essential. But to what length this discrimination is allowed deserves to be gone into.

In Andhra Pradesh, there is a place called Anakapalle which is supposed to be the biggest or the second biggest gur market in India. Sugar factory there has to pay Rs. 1.75 per maund of sugarcane as the minimum price. But six miles away from that place, there is another factory which has to pay Rs. 2 as the minimum price. So, if we are led into discriminations of this sort, then there is no end where we are going to stop, and the best way to avoid this is to avoid the discrimination itself.

When the Ministry has come to the firm conclusion that the sugar price-linking formula is economic and it is in the best interest of the cane-growers as well as the sugar industry as a whole, then no step should be taken which gives a go-by to the sugar linking formula.

When this uniform demand for Rs. 2 as the minimum price for cane was made, was it from the blue that this demand was made? Was it so unrealistic that the Ministry thought it impossible to accede to it? When we discussed this matter here on the last occasion, the tenor of my argument was that a sugar factory in India was making a profit on an average of Rs. 40 lakhs per year. Today, I stand corrected and I would say that though the profit remains Rs. 40 lakhs per year, the investment is not Rs. 2 crores but it is only Rs. 40 lakhs. So, here is an industry where the investment is Rs. 40 lakhs, and where there is also a return of Rs. 40 lakhs per annum. I think that the Food and Agriculture Minister should step in and see that no factory is allowed to make such a huge profit, and at least a part of the profits is diverted to the cane-growers. If you see the balance-sheet of the Belapur Sugar Mills, you will find that they have declared a profit of Rs. 43 lakhs on an investment of Rs. 40 lakhs.

When I am saying this, I am also sure that the economics of sugar production is such that the cost of production in UP and Maharashtra, Madras and Andhra Pradesh does not appreciably differ. It may differ to a slight extent only. But when there is no uniform cane supply, when there is no uniform capacity for cane-crushing, then all efforts should be directed to the growth of an assured cane supply rather than to an increase in the capacity. I feel that if the profit margin of the sugar industry is to be reduced, then the only way to do so would be by declaring a minimum sugarcane price. If we have to do this, then as a first step, I would suggest that the demand for Rs. 2 as the minimum price for 9 per cent recovery, which is most reasonable, should be immediately acceded to, not because this demand is purely based on the discriminatory announcement which the hon. Minister has made, not because this demand is not unrealistic, but because this figure of Rs. 2 can fit in in the cost structure of sugar, as declared by the hon. Minister.

We find also that every statement that is made on the floor of the House discriminates between region and region. For instance, when the minimum sugarcane price in UP and Bihar was Rs. 1.75, the cost of sugar was about Rs. 118. Then, the cost of sugar in Maharashtra on an average was Rs. 113. That means to say that there was a slab of Rs. 5. Then, the minimum price was raised to Rs. 2. And the cost of sugar in UP rose from Rs. 118 to Rs. 125 or Rs. 127, and there was then a slab of Rs. 12 or 13 between the cost of sugar produced by the southern factories and that produced by the northern factories. Is it the thinking of the Agriculture Ministry that the consumer of UP and Bihar is so rich that he can afford to pay Rs. 127 per quintal of sugar at ex-factory rates, and the consumer of Madras, Maharashtra and Andhra Pradesh is so poor that he has to pay only Rs. 113 per quintal?

[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

Another argument in this regard is that whatever may be the Food and Agriculture Ministry's policy in regard to the fixation of the cost of sugar, their policies in regard to the fixation of the cost of sugarcane must be farmer-oriented. As long as they are not farmer-oriented, as long as the Directorate of Sugar sits in the lap of private sugar industry and forces the Ministry of Food and Agriculture to allow a huge diversion of resources and profits to private sugar industry or to the coffers of the big lords of the sugar industry, I feel that the intervention of this House is called for, and it is because of this that this notice for this discussion has been given to the Food and Agriculture Minister.

Further, let us think over the discriminations which have been enforced by the Ministry. In one breath, the Ministry says that the price-linking formula is there but in the next breath, the price-linking formula is given the go-by, because whereas in a particular region, Rs. 1.75 is announced as the price of sugarcane for 9 per cent recovery, in another region, we find that Rs. 2 is announced as the minimum price for 9 per cent recovery.

This discrimination goes further when we take into account the so-called traffic or transport concessions which the Ministry has announced. For instance, the co-operative sugar factories in Maharashtra purchase sugarcane ex-field giving the sugarcane-growers ex-field prices, and they bring the cane to the factory at factory cost, and at the factory gate the cane is weighed and payments are made. The persons concerned with the Directorate of Sugar argue that the sale is made at the factory, and, therefore, the factory cannot get the transport cost which it incurs, and they say this simply because the cane is already in the factory compound. Simply because payment is made at the factory premises or at the factory office, the contract for sale does not start at the factory, but it begins at

the field from where the cane is brought. Weighing of cane and payment for cane are only details of the contract for sale. This is a simple proposition which the people concerned with the Directorate of Sugar are not in a position to appreciate, and even if they are in a position to appreciate it, they are not in a position to enforce this, because they think that this will be contrary to the interests of the private cane-growers.

With your permission, I would like to quote to you a cutting from *The Times of India (Bombay Edition)*, dated the 18th December, 1963. It says:

CANE CROP IN 20 VILLAGES TAKEN OVER BY GOVT. SEQUEL TO MILL'S REFUSAL TO PAY EX-FIELD PRICES

Shrirampur, December 17,

The sugarcane crop in 20 villages in Kopergaon taluka has been taken over by the Government of Maharashtra under the Defence of India Rules. The action followed the refusal of the Changadev Sugar Mills—to which the cane is usually supplied—to pay ex-field delivery prices to the growers.

State Government employees arrived here yesterday and issued notices to the growers in the Puntamba area about the taking over of the crop.

Under instructions from the Government, 35,000 tons of cane in the fields will be supplied by the growers to the Belapur Sugar Company at Harigaon, instead of the Changadev Mills, Puntamba.

The growers in the Puntamba area had started an agitation a fortnight ago demanding that the Changadev Mills should pay them ex-field prices.

The demand was refused by the management. A deputation of the growers met the Chief Minister, Mr. V. P. Naik, and the Minister for Agri-

culture, Mr. P. K. Sawant and sought their intervention.

The State Government's suggestion to the management of the Changadev Mills that it should pay ex-field prices to the growers is also said to have gone unheeded.

The State Government, therefore, applied the Defence of India Act to the cane-growing regions in Shrirampur, Rahuri and Kopargaon and took over the cane crop in the Puntamba area.

The Belapur Sugar Mills, to which the cane from Puntamba is to be diverted, will pay ex-field price to the growers who receive an additional Rs. 5 lakhs on account of the new price formula.

As the cane from the Puntamba area has been diverted to the Belapur Sugar Mills, the Changadev Mills will close its crushing season two months earlier than schedule.

The growers in the Maharashtra Sugar Mills, Tilaknagar, the Godavari Sugar Mills, Laxmiwadi, and Sakharwadi areas have also demanded that the three sugar mills should be compelled to pay them ex-field delivery prices.

The three factories receive 125,000 tons of cane from growers every year".

Here is an instance where for the first time the DIRs are being used by Government to enforce cultivator's right to part with their rop at the ex-factory price. In the background of all this, I wish to draw the hon. Minister's attention to this fact that this reasonable demand for minimum cane price announced by the Minister to be made the ex-field price is not appreciated or accepted by the Ministry on the ground that transport concessions have been announced by them. Where is the fun in announcing transport concessions and denying the demand of growers for the ex-field price

and saying that it shall be ex-factory price?

Further, the excise rebate announced from time to time, which is 30-50-30 per cent and which is worked out by the Director of Sugar works very drastically against the co-operative sector. There was a specific promise made by the Minister on the floor of the House that those factories which start production earlier on a specified date would positively get a rebate on excise duty. This was reiterated by Shri A. M. Thomas in Bombay when he was invited by the State Federation to a dinner. At the dinner, pleased with the reception, he reiterated the promise that all the factories which started crushing earlier would get an excise concession which was announced on the floor of the House. Now in the notification which has been issued, there is no such announcement.

**Shri Inder J. Malhotra:** Give him another dinner.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** In Delhi—very good.

What I am driving at is that solemn promises given on the floor of the House by the Ministry from time to time are not kept. On the contrary, the Director of Sugar works in a way that the high-ups in the Ministry are not in a position to control his activities. A drastic remedy is called for instead of the 25 nP. or marginal increase which has been the subject matter of this discussion.

There is another point. Even on the basis of present licensing capacity, it is impossible to achieve 33 lakh tons. The only possible way to achieve it would be to announce a minimum price of Rs. 2 for 9 per cent recovery, to announce a flat excise duty rebate, as was done earlier on the basis of average production, and to announce that as an incentive mills would be free to sell 25 per cent of their increased production in the open



[Shri Shivaji Rao S. Deshmukh]

market. These steps have proved successful in the past. The Director of Sugar refuses to take any of these steps. If these steps are not taken, it comes to this that the Ministry agrees that the sugar mill industry or particularly the private sugar mill interests should be supported at the cost of the interests of the cane growers, not only at the cost of the growers' interest, but at the cost of the interest of the consumers whose interests they pretend to protect.

That is why I say that if the consumers' interests are to be safeguarded, if the cultivators' interests are to be safeguarded, if the industry as a whole is to get incentive, the reasonable approach should be to fix Rs. 2 as minimum price for cane with 9 per cent. recovery without any discrimination.

I have expressed the view that the present discrimination will be unconstitutional and illegal. I humbly request the Ministry to consult the Law Ministry and Attorney-General on this issue. Let him get the opinion of our legal luminaries on this issue and place it on the Table. Let us know whether they also do not regard it as illegal and discriminatory. In an industry where every step which the Ministry takes is subject to critical scrutiny by all interests concerned, in a field where every step taken by the Ministry is challenged before the competent court—if the competent courts do not act as an adequate forum,—those decisions are challenged by *satyagrahas*, strikes and popular demands—the Ministry has to be careful in seeing that neither the interests of the consumers, nor the interests of the cane growers nor even the interests of the industry suffer. Therefore, I again appeal to the hon. Minister to consider this reasonable demand.

With regard to licensing, the present capacity is 28 lakhs tons. With this the Ministry expect to produce 3.3 million tons.

**The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh):** The licensed capacity is much more; it is 28.6 lakh tons. He is using strong language, which should be buttressed by good facts at any rate. He should be sure of his facts.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** I thought I said 28 lakh tons. I stand corrected.

They say that 5 lakh tons is the remaining capacity under the Third Plan. For this, there have been applications to the extent of 20 lakh tons and out of these, applications for 5 or 6 lakh tons are from the co-operative sector—the remaining are from the private sector. Under the plea of expansion of existing units, under the plea of making the so-called uneconomic units into economic ones, under the plea that it is likely to reduce the cost of manufacture—none of which is true—the Ministry seems to labour under the impression that the only alternative is to absorb these 5 lakh tons in the private sector.

**Shri Swaran Singh:** I would very strongly repudiate any such suggestion. I do not know wherefrom he has got all this information, because no licensing has been announced. I have told the hon. Member that, that is not my intention. Still if he persists in making such statements, it is my duty to point them out.

**Mr. Chairman:** The hon. Member should conclude now.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Vehement denials would have meaning if promises made were kept. Where what has been promised is denied, where what has been stated is subsequently corrected, where what has been stated is not followed, I think mere vehement denials will not go a long way. This is the definite apprehension of the co-operative sector which has got 1/4th of the licensed capacity, which is responsible for about 20–30 per cent of the production, that

it will suffer unless it is allotted the proposed capacity. Therefore, the Minister should state that out of the 5 lakh tons, only after licences have been given to the co-operative sector whether for expansion or for establishment of new units, will there be any licences considered for the private sector.

**Mr. Chairman:** Order, order. The hon. Member must conclude now....

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Therefore, I say....

**Mr. Chairman:** Order, order. He does not listen to me. When I am on my legs, he does not even give in.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** I was finishing my last sentence.

**Mr. Chairman:** He must definitely conclude in a minute.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** Therefore, I reiterate for the consideration of the Minister that a minimum of Rs. 2 should be given for cane for 9% recovery, the excise rebate to be meaningful should be given on the basis of average production uniformly and this 20-30-50% formula should be completely given up and if necessary, a fixed percentage—I suggest 25 per cent—of the increased production should be allowed to be sold in the open market.

Regarding raw sugar, where the performance of the co-operative sector has been *par excellent*, the Ministry recently called for tenders and insisted on payment for sugar meant for export at ex-factory price. To the cane grower who demands the ex-field price, the Ministry insists on ex-factory rates, where the industry demands the ex-dock rates for export, the Director of Sugar gives the ex-factory price. So I think the overheads on transport and this uneconomic working of export is not likely to help the industry. It is not likely to achieve

the requirements of foreign exchange earnings in slipshod manner. The hon. Minister may leave aside the strong words as they arise out of a genuine desire to protect the interest of the cane grower without affecting the industry or the consumer.

**Shri M. S. Murti (Anakapalle):** Mr. Chairman, I associate myself with the sentiments expressed by my friend, Shri Shivaji Rao Deshmukh. Three statements were made in this House by the hon. Minister. On the 8th September 1963, a statement has been made assuring a minimum price of Rs. 1.68 per maund. But there has been no increase in many of the factories. It was said that where there is competition between khandsari and gur the minimum price will be Rs. 1.75. That was not adhered to. Later on this price was increased to Rs. 2 as per the statement made on 19th November, 1963. Only 69 out of 200 and odd factories have given this Rs. 2 per maund. Again on 12th December, 1963 in this House the hon. Food and Agriculture Minister said that because of pressure from U.P. and Bihar Chief Ministers, the price of cane has been raised in those areas to Rs. 2 per maund. If there is similar pressure from others also, perhaps they would raise the price. The Andhra Government has written that in all the factories the price should be Rs. 2 because of competition with khandsari and gur. But only 6 factories out of 19 have given this. Not only that. Anakapalle is not giving this price but Chodavaram which is only 9 miles away gives Rs. 2. Sitanagaram has been allowed to pay whereas Bobbili, four miles away, has not been allowed. Similarly, Samalkot is allowed while Pithapuram only four miles away is not allowed. Is there any logic? Is this not discriminatory? If only similar pressure is brought will the Minister agree? I wrote a reply. The Ministry has not implemented its policies. I wrote to the Food and Agriculture Minister but they have not been good enough to reply to me. A memorandum signed by fifty Members has been

[Shri M. S. Murti]

sent for that also we did not get any acknowledgment.

I do not know whether the Directorate there implements the policies announced by the Minister here. When the Minister says that there should be 18 nP increase in price over last years, they consider the recovery formula. Whenever they get 1.68 nP they do not increase it by 18 nP. In gur khandsari competition areas, they say that the minimum must be Rs. 1.75 but there also recovery formula is brought in, but not floor prices. There should be a thorough enquiry as to why the policies are not implemented.

The cost of production of cane is not taken into consideration. In Maharashtra, the cane grows for 18 months. What will be the cost of watering, bamboos, labour at the agricultural wage rates? In Andhra also, bamboos and other things are used. Considering all this, a very low price has been fixed. The rebate to be given in respect of cane transported from fields of a certain distance to the factory has been reduced. These things must be set right so that the production could reach the 33 lakh ton figure from all these 28.6 tonnes capacity factories. Factories must be allowed to pay Rs. 2 uniformly irrespective of the recovery formula. They say by this formula the growers will get increased prices. But in effect the prices have been reduced as the floor price has been fixed at a lower rate than for factories in U.P. and Bihar. Mr. Deshmukh referred to the Defence of India Rules under that people are punished for producing more and for being more efficient. Can it be so anywhere else in the world? They are not rewarding efficient people, which is something peculiar. Proper incentives should be given and production will only then go up as expected by this Ministry.

Factories in the northern region are given a higher price than in the southern region. The rate should be uni-

form for all. I refer to sugar price. In Punjab, U.P. and Bihar the price per bag is Rs. 125—128 while for the southern region it is Rs. 115—117. I do not know why it is so in spite of the promise given by the ex-Minister, Shri S. K. Patil in Bombay that this has been mopped off. They say the Tariff Commission rates have been followed in fixing these prices. They gave this verdict in 1959 and conditions have changed much since then. It is ridiculous to apply the same rate after four years. Sugar prices in the southern region factories were not allowed to get the rebate advantage. There is a difference of 5 nP there. That should be allowed to the southern factories also so that there may be incentive to produce more.

14 hrs.

**Mr. Chairman:** Shri Ram Sevak Yadav. I would request hon. Members not to take too long a time for their speeches. There are a large number of Members who want to speak. But I think everybody can be accommodated if there is not much repetition.

**श्री रामसेवक यादव:** सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने १२ दिसम्बर, १९६३ को गन्ने के मूल्य बढ़ाने के शिलसिले में जो घोषणा की, सब से पहले मैं उस की तरफ ध्यान खींचना चाहता हूँ। मंत्री महोदय ने उस समय दो बातें कहीं—एक तो यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहाँ गन्ने का मूल्य दो रुपये मन से कम है, वह मूल्य दो रुपये किया जाता है।

**एक माननीय सदस्य :** उस के लिए माननीय सदस्य को बधाई देनी चाहिए।

**श्री राम सेवक यादव:** उस के लिए बधाई। श्री: ज्यादा बधाई देने का मन चाहता है, अगर दूसरी बात को भी मंत्री महोदय पूरा कर दें। मैं ने उस दिन भी यह प्रश्न उठाया था, लेकिन उस की सफाई नहीं हुई। प्रश्न यह था कि जो दाम बढ़ाए जा रहे

हैं, वे उस तारीख से बढ़ेंगे, जिस दिन वह घोषणा हुई या जिस दिन से चीनी मिलें चलीं।

**श्री स्वर्ण सिंह :** वह मूल्य रेड्रास्पेक्टिव इफ़ेक्ट से दिया जायेगा।

**श्री रामसेवक यादव :** बहुत सुन्दर। मंत्री महोदय ने इसे साफ कर दिया। इस लिए मैं उन का शुक्राञ्जलि हूँ और उन को बधाई देता हूँ।

इस मिलनिले में एक दूसरी बात रह जाती है। यह सदन, सरकार और मंत्री महोदय, सब कहते हैं कि चीनी का उत्पादन बढ़ाया जाये और चीनी का उत्पादन तभी बढ़ेगा, जब कि गन्ने का उत्पादन बढ़ाया जाये। बिना गन्ने के अगर चीनी मिलें चीनी का उत्पादन बढ़ाना चाहें, तो वह सम्भव नहीं है। इस लिए जो प्रश्न सब से पहले खाद्य मंत्री महोदय के दिमाग में आना चाहिए, वह यह है कि मन्ना-उत्पादक को यह विश्वास हो कि दामों का सम्बन्ध में उस को न्याय मिलेगा, उस का लागत-खर्च मिलेगा और कुछ मुनाफ़ा भी मिलेगा, जिससे वह अपने जीवन को चला सके। अगर मंत्री महोदय इस बात का ध्यान नहीं रखते, तो चाहे वह कितनी अभिलाषा रखें कि चीनी का उत्पादन बढ़ जाये, उस अभीष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकती है।

उस घोषणा में मंत्री महोदय ने डर की यह तलवार भी लटका दी कि दो रुपये मन का भाव केवल इस समय के लिए किया जाता है, लेकिन यह हरगिज़ न समझा जाये कि वह भाव आगे भी रहेगा, उस की घोषणा शायद बाद में होगी। इस घोषणा के कारण हमेशा यह भय रहेगा कि दाम गिर भी सकता है और उस का असर अगले वर्ष में गन्ने के क्षेत्र पर और उस की तरफ़की पर पड़ सकता है। इस लिए मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि जिस तरह उन्होंने यह घोषणा की है कि यह दो रुपये की बढ़ोतरी शुरू मौसम से है, जब से चीनी मिलें चलीं, उसी तरह उन को यह भी साफ़ घोषणा करनी चाहिए कि अगले वर्ष 1880 (A) LSD—4.

भी गन्ने का दाम दो रुपये मन से नीचे नहीं जायेगा, वह बढ़ भले ही जाये। अगर यह घोषणा साफ़ तौर से की जाती है, तो आने वाले वर्ष में चीनी के उत्पादन में वृद्धि लाजिमी तौर से हो जायेगी।

मैं आप के जरिये मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि गन्ने और चीनी के दाम को ले कर इस देश में एक पुराना सिद्धान्त चला आ रहा था। जब हम गन्ने के दाम की बात करते हैं, तो सरकार की तरफ़ से या कुछ निहित स्वार्थ वाले लोगों की तरफ़ से बड़ी आसानी से एक तक यह दिया जाता है कि अगर गन्ने का दाम बढ़ाया जायेगा, तो चीनी का दाम अपने आप बढ़ जायेगा। लेकिन मैं यह नहीं चाहता। जब मैं गन्ने के दाम को बढ़ाने की बात करता हूँ, तो उस के साथ साथ मैं एक नियम और सिद्धान्त भी देना चाहता हूँ कि चीनी और गन्ने के दामों में एक नियत और एक रिश्ता कायम किया जाये—वह रिश्ता इस देश में चल भी रहा था—और वह यह था कि जितने रुपये मन चीनी बिकती थी, उतने ही आने मन गन्ना बिकता था। इस से गन्ने के उत्पादकों को भी नुकसान नहीं होता था, चीनी बनाने वाले कारख़ानों को भी इस से कभी नुकसान नहीं हुआ और चीनी की खपत करने वालों, उपभोक्ताओं, को भी कभी नुकसान नहीं हुआ।

उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि १९४८-४९ के करीब इस देश में गन्ने का भाव पीने दो रुपये मन, दो रुपये मन, सवा दो रुपये मन और ढाई रुपये मन भी चला और कंट्रोल से चीनी नौ आने सेर तक बिकी।

14.05 hrs.

[Mr. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

लेकिन उस के बाद हम ने देखा कि १९५१-५२ में चीनी का दाम लगातार चढ़ता गया और गन्ने का दाम बराबर गिरता गया। कारख़ानेदारों की तरफ़ से यह दलील

[श्री गम मेवक यादव]

दी जा सकती है कि कई तरह के टैक्स बढ़ गए हैं, जिस से चीनी का दाम बढ़ाना लाजिमी हो गया है। यह मैं उन सालों का जिक्र कर रहा हूँ, जब शीरे, मैनी और खोई आदि बाई-प्राइवट्स का इस्तेमाल चीनी मिलें किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर पाती थीं और इस कारण ये चीजें बहुत सस्ती बिकती थीं। लेकिन अब तो इन बाई-प्राइवट्स से वे काफी मुनाफ़ा कमा रही हैं और इस लिए वह तर्क भी नहीं चल सकता है।

इस लिए मेरा निवेदन यह है कि किसान गन्ने का दाम सहर्ष दो रुपये मन देने के लिए तैयार है। उसे कोई शिकायत नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू है चीनी के दाम का। चीनी का दाम ३२ रुपये मन से अधिक न हो। अगर कर का तर्क दिया जाये, तो मैं एक और सिद्धान्त बता दूँ। मैं मंत्री महोदय और सरकार से यह निवेदन करूँगा कि बिन्दगी की जरूरी चीजों के मूल्य निर्धारित करते समय यह सिद्धान्त माना जाना चाहिए कि किसान के कच्चे माल के दाम, लागत-खर्च और उस पर मुनाफ़ा दे कर ही मूल्य निर्धारित किया जायें। इसी तरह से कारखाने में बनी चीजों के दाम निर्धारित करते समय यह ध्यान रखा जाये कि उपभोक्ताओं के पास चीजें सस्ते दामों पर पहुँचें और इस लिए उन चीजों के दाम लागत-खर्च के डेढ़ गुने से आगे न बढ़ने पायें। अगर यह सिद्धान्त मान लिया जाये, तो यह समस्या निश्चित रूप से हल हो सकती है। कर का नियम भी इन्हीं दो नियमों में बंध जाये, इस में बाहर न जाये।

जहाँ तक रिकवरी वाले सिद्धान्त का प्रश्न है, इस से तो हमेशा किसान को नुकसान होगा। इस से किसान को फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं है। रिकवरी के सिद्धान्त से तो केवल मिल-मालिकों को ही फ़ायदा पहुँच सकता है, क्योंकि जिस तरह का इस देश में वातावरण है—भ्रष्टाचार है और

भ्रष्टाचार शुरू से लेकर आखिर तक पहुँच गया है—उस में इस बात का अन्दाज़ा कौन लगाता है कि कारखानों में रिकवरी क्या होती है, किस तरह का गन्ना जाता है, कौन पंच होंगे, किस की देख-रेख में यह कार्य होगा, ये सब ऐसी बातें हैं, जिन में भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाता है और नतीजा यह होता है कि किसान हमेशा नुकसान उठाता है।

जब से रिकवरी का सिद्धान्त चला, जो आंकड़े सामने आते हैं उन से मालूम होता है कि रिकवरी कम होती है और किसानों को नुकसान होता है। लेकिन जब यह सिद्धान्त नहीं था और चीनी का दाम कायदे कानून के हिसाब से आज़ के मुकाबले में कम था और गन्ने का दाम आज़ के मुकाबले में ज्यादा था तब भी चीनी मिलें फ़ायदा उठाती थीं, तब भी उन का नुकसान नहीं होता था। रिकवरी का सिद्धान्त लागू होने के बाद किसानों को संतोष दिलाने के लिये कहा जाता है कि जब रिकवरी ज्यादा बढ़ जायेगी, तो उन को उस का मुनाफ़ा मिलेगा, लेकिन असल में रिकवरी बढ़ नहीं पाती है, उस का लाभ नहीं होता है।

इस लिये मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करूँगा कि अगर यह सिद्धान्त चलेगा कि जितने आने मन गन्ना, उतने रुपये मन चीनी तो उस से किसानों को प्रोत्साहन भी मिलेगा, क्योंकि जब गन्ने के क्षेत्र में उस की पैदावार बढ़ेगी, उस का वज़न बढ़ेगा, तो उस से किसानों को भी मुनाफ़ा मिलेगा। इस से किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। उस सिद्धान्त को लाभ करना चाहिये, क्योंकि वह सिद्धान्त सार्वजनिक हित में है, जब कि रिकवरी वाला सिद्धान्त सार्वजनिक हित में, किसानों के हित में और उपभोक्ताओं के हित में न हो कर केवल मिल-मालिकों के हित में है।

६ सितम्बर, १९६३ को मंत्री महोदय ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के बारे में घोषणा की थी और उसमें उन्होंने पचास, पचास प्रतिशत और बीस प्रतिशत एक्साइज की तीन तरह

की छूट का एलान किया था और यह भी कहा था कि उस छूट का लाभ किसान को मिलेगा। कोल्हू और खंडसारी के जो कुटीर उद्योग हैं, घरेलू उद्योग हैं, उनको पनपाने का बत हम ने लिया है — कम से कम उस सरकार ने तो अवश्य लिया है, जो अपने आप को समाजवादी कहती है। उन पर रोक लगाना और प्रतिबन्ध लगाना समाजवादी सिद्धान्त के बिल्कुल विपरीत है। उस एलान में मंत्री महोदय ने साफ घोषणा की थी कि उन का हरादा कोल्हू पर रोक लगाने का नहीं है, क्योंकि लोग उस का विरोध करेंगे। इस सम्बन्ध में उन्होंने सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का हवाला दिया था। लेकिन होता क्या है? अभी आज मुझे मालूम हुआ कि उस कानून के तहत जो अधिकार केन्द्रीय सरकार ने डेलीगेट किये थे, उन का उपयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ ऐसी घोषणायें की हैं, कुछ ऐसे कानून बना डाले हैं, जो कि घोषित नीति के बिल्कुल विपरीत हैं। फैक्टरी के अलावा जो उन का क्षेत्र होता है, जहां भी गन्ना है, उस को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिजर्व एरिया घोषित कर दिया है। मैं मिसाल देना चाहता हूं। फर्रुखाबाद में एक न्यूली चीनी मिल है। उसके अन्तर्गत ऐसे इलाके भी शामिल कर दिए गए हैं, कि जहां पहले ढाई तीन लाख मन गन्ना मिल को जाता था, अब पचास लाख मन गन्ना उस इलाके का इसके अन्तर्गत दे दिया गया है। कौन कौन से गांव हैं, यह क्लियर नहीं है। जान बूझ कर ऐसा किया गया है ताकि कोई जिम्मेदार न बन जाए। इस तरह से वहां पर एक प्रकार से गुड़ खण्डसारी आदि पर प्रतिबन्ध लग गया है। इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, इनकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए। यह खुला खण्डसारी पर प्रतिबन्ध है, जबकि मंत्री महोदय ने साफ घोषणा की है कि उस पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा। यह सारी चीज चल रही है इस तरह से खण्डसारी पर जो प्रतिबन्ध लग गया है, गुड़ पर लग गया है, इसको हटाया जाए।

यह घोषणा भी की गई है कि गुड़ बाहर नहीं भेजा जा सकता है। मैं पूछना चाहता हूं कि बताया जाय कि इस का लाभ कौन लोग उठा रहे हैं और कौन लोग उठावेंगे। इस का नतीजा क्या हो रहा है। इस को भी आप देखें। उस के दाम गिर रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि इस का लाभ उपभोक्ता को मिल जाता है तो भी आप गलती पर हैं। सस्ते गुड़ का फायदा बीच का आदमी उठा लेता है। वह स्टोक करेगा और जब फिर दरवाजा खुल जायेगा और बाहर भेजने पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाएगा तो वह बड़े हुए दामों पर इस को बेचेगा। इस का नतीजा यह होगा कि न तो उपभोक्ता को फायदा इस का मिलेगा और न ही किसान को, बीच वाला आदमी ही इस का लाभ उठायेगा। उपभोक्ता भी इस में पिसता है और पैदा करने वाला भी। बिना किसी मेहनत के स्ट्रेबाजी के जरिये ज्यादा से ज्यादा मूनाफा कमाने की कोशिश की जाती है। और एक नकली लड़ाई खड़ी कर दी जाती है। किसान और उपभोक्ता के बीच में। उपभोक्ता को कह दिया जाता है कि किसान दाम बढ़ा रहा है और किसान को दत्ता दिया जाता है कि उपभोक्ता हल्ला खा रहा है, इसलिये इस तरह से जो बीच का आदमी होता है, दम्पान का आदमी होता है, जो कोई मेहनत नहीं करता है, जो किसान को भी चूसता है और उपभोक्ता को भी, वह ही इस का लाभ उठाता है। इस प्रतिबन्ध से बहुत नुकसान हुआ है। अण्टाचार भी बहुत फैल गया है। आप उत्तर प्रदेश की सरहद पर जायें जहां पर सत्याग्रह चल रहा है। वह अगर लायेगे तो पकड़े जायेंगे। जेल में बन्द कर दिये जायेंगे। लेकिन सरकारी मशीनरी, पुलिस, रुप्लाई विभाग ये सब मिल कर के साहूकारों के जरिये उत्तर प्रदेश का गुड़ पंजाब में भी जाने देते हैं। दिल्ली भी जाना जाता है, राजस्थान में भी जाता है, मध्य प्रदेश में भी जाता है। इस तरह से जो अण्टाचार चल रहा है, उसे सरकार रोक नहीं पा रही है। यमूना के नीचे बहुत सा पानी बह गया है। काफी बातें मंत्री महोदय

### [श्री राम सेवक यादव]

के सामने आ चुकी हैं। गवर्नमेंट को तथा उन को चाहिये कि वे इन से सबक लें। इस तरह का जो प्रतिबन्ध है, उस को समाप्त किया जाना चाहिये। मैं चाहूंगा कि भंत्री महोदय इन सारी चीजों के बारे में कोई स्पष्ट घोषणा अपने जवाब में करें।

**श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) :** चीनी और ऊब्र हमारे देश के लिये आज से नहीं गहुन दिनों से कठिन समस्या बनी हुई है। सरकार ज्यों ज्यों इस समस्या को गुलजाने का प्रयत्न करती है, त्यों त्यों यह समस्या उलझती जाती है। पता नहीं किन का दोष है, काश्तकार का है, मिल मालिक का है। सरकार की मशीनरी भी . . . . .

**श्री इन्द्रजीत लाल महोत्रा :** खाने वाले का दोष है।

**श्री सिंहासन सिंह :** उमोक्ता तो बनो बनाई चीज पाता है, उस का दोष नहीं हो सकता है। सरकार का या किसान का या मिल मालिक का ही हो सकता है। हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की तरफ देश को ले जाना चाहते हैं। बड़ी इंडस्ट्री के मुकाबले अगर छोटी इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिले, छोटे व्यवसाय को प्रोत्साहन मिले और इस से समझा जाय कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आ सकता है तो यह गुड़ कंट्रोल और यह जो चीनी के आवागमन पर कंट्रोल रखा गया है कि उत्तर प्रदेश आदि से बाहर नहीं जा सकता है, तो यह तो बड़ी मिलों के हित में ही लगाया गया है, चीनी पैदा ज्यादा मात्रा में करने के लिये लगाया गया है। अभी पूर्व वक्ता ने कहा कि गुड़ भर भर कर बाहर जाता है, कोई रोक नहीं है। गवर्नमेंट, जो उस की वर्तमान मशीनरी है, उस से मेरे स्थान में इस पर रोक लगाने में सफल नहीं हो सकेगी। गुड़ को बाहर जाने से रोक देने का परिणाम यह होता है कि हम कदम कदम पर जहां जहां रोक लगी हुई है रपयों की बिलियां खुलती हैं और वह अधिकारी लोग ले जाते

हैं। लखनऊ की असेम्बली में भी गांजे के स्मगलिंग का एक सवाल चला हुआ है . . . .

**साथ तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्रो (बा० राम सुभग सिंह) :** उस का इस से क्या सम्बन्ध हो गया ?

**श्री सिंहासन सिंह :** मैं उदाहरण देने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि रोक अगर लगाई जाती है तो उस का क्या परिणाम निकलता है। भ्रष्टाचार की गाड़ी इस तरह से चलती है। स्मगलिंग चाहे जिस पैमाने पर हो, छंटे पर हो या बड़े पर हो, चलता है। गुड़ का भी स्मगलिंग चलता है।

मेरे विचार में पिछले दो बरस में इसी सरकार ने गुड़ और खंडसारी की बड़ी-नारी के लिए लाखों रुपये लोगों को इमदाद के रूप में दिये, गांव गांव में कोल्हू खुलवाये और खण्डसारी मिलें खाली चीनी बनाने के लिए। उस के लिए लाइसेंस दिये जाने लगे। बुला बुला कर दिये जाने लगे। एक बरस के बाद यह हुआ कि बंद करो, बंद करो और इतनी मिलें न बनें। चीनी की पैदावार पर ऊब्र की कीमत मुहरंर की गई। उस का परिणाम क्या हुआ ? काश्तकार ने पारसाल क्या किया ? सरकार ने कह दिया पारसाल कि दस परसेंट गवर्नमेंट जिम्मा नहीं लेती पेरने का। काश्तकार ने घबरा कर कम बोया। जिम्मा सरकार ने कहा कह दिया कि नहीं लेती है हालांकि सारा पेरना भी गया पर सारा पेरने का जिम्मा न लेने की वजह से लोगों ने कहा कि हम जितना चाहेंगे बोयेंगे। उन्होंने ने कम बोया। भगवान की भी कृपा हुई, पैदावार भी कम हुई। परिणाम यह हुआ कि गतवर्ष चीनी की भी पैदावार कम हो गई। हमारी गलत नीति के कारण चीनी की पैदावार में कमी हुई। चीनी की पैदावार करने के लिए हम ने उल्टी नीति निर्धारित की। हम ने कहा कि गुड़ नहीं बनेगा, खण्डसारी की चीनी नहीं बनेगी, मिलों में चीनी बनेगी। हर मौके पर और हर साध

हमारी नीति बदलती रहती है। इस का परिणाम यह होता है कि वे लोग जो ऊब पैदा करते हैं, वे इस को समझ नहीं पाते हैं और उन को पता नहीं लग पाता है कि क्या होगा।

कुछ दिन हुए मंत्री महोदय ने दो रुपये का भाव बड़ी दृढ़तापूर्वक पूर्वी उत्तर प्रदेश की सब मिलों के लिए तथा उत्तर बिहार की सब मिलों के लिए निर्धारित किया है। इस को सुन कर बड़ी प्रसन्नता हुई और यह बहुत ही उदार कदम उन्होंने ने उठाया है। लेकिन घोषणा के साथ साथ यह भी घोषणा हुई है कि यह नीति आगे भी जारी रहेगी, यह नहीं कहा जा सकता है, यह तो केवल इस बरस के लिए है, आगे क्या होगा, उस की जनवरी में घोषणा होगी। अब काश्तकार समझता है कि पता नहीं दो रुपया रहेगा, डेढ़ रुपया हो जायेगा, क्या भाव होगा क्या नहीं होगा। इसलिये वह अनिश्चय की स्थिति में है, दुविधा में पड़ा हुआ है। उस को पता नहीं चल रहा है कि वह क्या करे और क्या न करे, क्या कदम उठाये, क्या न उठाये। दो रुपये के आधार पर बोरे, एक रुपया बारह आने के आधार पर बोये या रिकवरी के आधार पर बोये।

मिलों की रिकवरी के आधार को आज गवर्नमेंट ने मान्यता दी हुई है और कहा हुआ है कि उस पर ईब की कीमत मुकर्रर करेंगे। शायद बहुत ही कम माननीय सदस्यों ने इस आधार को माना होगा। अगर आप अलग अलग आंकड़े आधार मानते हैं और व्यवस्था कर देते हैं भिन्न भिन्न मिलों में और वह भी रिकवरी के आधार तो क्या यह हर एक काश्तकार के लिए अलग अलग लागू होना सम्भव है? यह सम्भव नहीं है। होता यह है कि गत वर्ष किस मिल की कितनी रिकवरी रही, उस के आधार पर इस वर्ष में कीमत

मिलेगी, कितनी रिकवरी इस वर्ष है, इस पर नहीं। गत वर्ष की रिकवरी के आधार पर कीमत मिलनी है। यह फार्मूला अपने स्थान पर सही नहीं साबित हुआ है। कुछ नीति हमारी ठीक बननी चाहिये ताकि हम समझ सकें, काश्तकार समझ सके कि हम जब ऊब बोयें तो किस आधार पर बोयें, किस विश्वास पर बोयें। हमें गन्ना मिलों को देना पड़ेगा, गुड़ बनाने के लिये दे सकेंगे, खण्डसारी बनाने के लिए दे सकेंगे या किस के लिए हम अपनी ऊब को दे सकेंगे। उचित तो यह था कि जहां मिल और खण्डसारी और गुड़ का मुकाबला होता है, वहां गुड़ को प्रोत्साहन मिलता गुड़ अधिक से अधिक पैदा होता और गुड़ पर कोई भी किसी किस्म की रोक न होती। गुड़ पर रोक का परिणाम क्या हो रहा है इस का लाभ किन को मिल रहा है? गुड़ पैदा करने वालों को लाभ नहीं जा रहा है। यह जो मिडल मैन है, यह बीच का आदमी जब मंडियों में जाता है तो कहता है कि गुड़ पर रोक लगी हुई है इसलिये मैं गुड़ नहीं खरीदूंगा। काश्तकार तो गुड़ बनाता है। अगर वह मंडी में ले जाये तो वहां से वापस नहीं ला सकता है। मंडी वाले कहते हैं कि इस भाव से तो मैं गुड़ नहीं खरीद सकता। गवर्नमेंट मुझे परमिट देगी तब तो मैं गुड़ महाराष्ट्र, पंजाब और सौराष्ट्र भेजूंगा। इसलिये अगर तुम चाहो तो १० २० मन में रख दो। काश्तकार लाखों मन गुड़ स्टोर नहीं कर सकता। यहां पर सरकार ने वेयरहाउसिंग ऐक्ट बनाया और कहा कि ऐसी जगह वेयरहाउसिंग बनायें जायेंगे जहां काश्तकार अपना गुड़ जमा कर सकेगा। लेकिन कहाँ बने। शायद कहीं मंडियों के पास एक आध जगह बनाया गया हो लेकिन उस का लाभ काश्तकारों को नहीं मिलता है। आज भी वे मंडियों के खरीदारों के हाथों में हैं। वे ले लेते हैं फिर चाहे वे गुड़ को स्मगल कर के बेचें या रोक कर बेचें। उन के पास बैंक हैं, उन के पास और तरीके हैं, जिन से फायदा उठाते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सरकार से यह कहना है कि



[श्री सिंहासन सिंह]

जहां कहीं बड़ी इंडस्ट्री और छोटी इंडस्ट्रीज का मुकाबला हो सरकार किसी भी छोटी इंडस्ट्री का गला न धोटे, उन को प्रोत्साहन दे। उन के रास्ते में वह रुकावट न डाले।

इस के बाद चीनी और ईख का भाव जो है उस को देखिये। पुराने जमाने में मिल मालिक चीनी के भाव से ईख का मूल्य दिया करता था। कहता था कि जितना चीनी का भाव है उस में से गवर्नमेंट का जो टैक्स है उस को निकाल कर चीनी के मूल्य का सोलहवां हिस्सा काश्तकार को दिया जायेगा। वह काश्तकार को रुपये में एक आना ईख की कीमत के रूप में देता था। चीनी के भाव में गवर्नमेंट का एक्साइज ड्यूटी भी शामिल है जो कि आज बहुत बड़ी हुई है। मान लीजिये कि आज चीनी का भाव ४० रु० है उस में से १२ रु० गवर्नमेंट की एक्साइज ड्यूटी निकल गई तो इस तरह से चीनी का भाव २८ रु० बैठता है। यानी काश्तकार को एक मन के ऊपर १ रु० १२ आने ईख का दाम मिलेगा। अगर चीनी का भाव ४० रु० बैठता है एक्साइज को निकाल कर तो किसान का दाम ढाई रुपया मन हो जायेगा। काश्तकार समझ सकता था इस चीज को कि चीनी का जो भाव होगा उस के आधार पर उस को ईख का दाम मिलेगा अगर रिकवरी के आधार पर उस को दाम मिलेगा तो यह उस की समझ में नहीं आता है।

मैं आप को एक मिसाल दे कर अपना भाषण बन्द करना चाहता हूँ। एक दफे इस सरकार ने नियत किया था कि मिल वाले १ अप्रैल की तारीख के बाद जो ईख परेंगे उस ईख की रिकवरी उन की कीमत का आधार माना जायेगा। आप जा कर पता लगायें कि गोरखपुर में इस के सम्बन्ध में क्या किया गया। उस वक्त का जो नियम था उस के अनुसार १ अप्रैल के बाद मिल वालों ने

जो ईख पेरी उस में २० अप्रैल का ता रिकवरी थी ६ या १०, लेकिन १ या २ मई को जो ईख उन्होंने पेरी उस की रिकवरी दिखलाई ८ या ७। इस तरह से काश्तकारों को ईख की पूरी कीमत नहीं मिल पाती। मिल वाले मैनपुलेट कर सकते हैं, ग्रन्डर वेमेंट करा सकते हैं। इस लिये रिकवरी के आधार पर ईख की कीमत देने का अनुरोध नहीं स्वीकार किया जाना चाहिये।

**Shri Vasudevan Nair (Ambalapuzha):** Mr. Deputy-Speaker, Sir, I would like to associate myself with all the sentiments expressed by the Hon. Member who has initiated this discussion. But, Sir, it seems the hon. Minister is a little perturbed by the strong language used by him. The Minister has to put up with it.

**Shri Swaran Singh:** You need not have that fear. I am objective enough.

**Shri Vasudevan Nair:** The point is, we feel that....

**Shri Swaran Singh:** I took the liberty because he is a member of my party. All that I said is: "If you use strong language it should be buttressed by sound facts".

**Shri Vasudevan Nair:** Even though I am in the Opposition, I would have liked to use a much milder language.....

**Shri Swaran Singh:** I do not object if you use strong language.

**Shri Vasudevan Nair:** .....because we really want to give a chance to the new Minister to see how he functions. But I would like to say that from the short experience that we have, it has not given us much hope.

On this particular question, I want to say that the Ministry could have taken this step with grace. I am very glad that the cultivators in eastern U.P. and northern Bihar have benefited or are going to benefit by this price of Rs. 2 per maund of sugarcane. But, Sir, I find absolutely no logic, no reason, no argument, in denying the same benefit to the cultivators in the other parts of the country. I will even go further and say that the Government has decided to burn its fingers by adopting such an irrational policy, because I am sure the Government will not be in a position to put forward any worthwhile argument to justify this discrimination.

As some hon. Members have pointed out, if the reason is that there was a lot of agitation and pressure, that too pressure from governmental quarters, in those States, then, Sir, it is not very difficult to have these things from the other States also. If, perhaps, the Government thinks that there is not enough agitation in the other States, of course, agitation will be there, campaigns will be there. If the Government thinks that those other State Governments are, perhaps, for the time being, sleeping over the matter, of course, it is possible to wake them up. So, the Government ought not to have waited for the people to rise up, for the cultivators in the other areas to get agitated.

The fact is that they are very much worried over the whole question. I happen to represent a constituency in my State where we have got a large number of cane growers. During the last ten to fifteen years, we were told by the cultivators, it was very difficult for them to make both ends meet. You know, Sir, sugarcane cultivation is a hazardous cultivation compared to many other crops. This is a more difficult cultivation. The crop has to be on the land for nearly one full year or at least ten months and unless the cultivator takes great care to look after it, to nourish it, to tender it

he will not get anything back from the field. Even some of the best cultivators from the State of Madras, where they cultivate it quite well—some of the Members of Parliament are cultivators—were telling me that on an average per acre the cost of cultivation is something between Rs. 1500 and Rs. 1800. They are some of the best cultivators—of course, the yield is also very good. My friend—he is not here now—Shri Anandan Nambiar was telling me...

**Dr. Ram Subhag Singh:** Is he also a cultivator?

**Shri Vasudevan Nair:** He is not a cultivator himself but in the rural areas of his district, Trichinopoly, they grow sugarcane very well. Of course, they are able to get something between 40 tons to 45 tons per acre and it is a very good yield compared to the average yield in our country. But even in spite of this good yield, what the cultivator ultimately gets, according to the price fixed at present, is at the most Rs. 1800 per acre if one spends nearly Rs. 1500 to Rs. 1800 per acre. What is the meaning in continuing this cultivation if after investing so much for fertiliser itself they generally invest nearly Rs. 500 per acre—there is no margin left? So, Sir, there is a very strong case for the sugarcane cultivator to get a better deal at the hands of the Government and at the hands of the mills.

It is really painful to see that during the last ten to twelve years the cultivator was treated very badly by the Government and the millowners. We are told that in 1951-52 the price of sugarcane used to be Rs. 1.75 per maund. What was done afterwards? It was to cut down this price from Rs. 1.75 to Rs. 1.31, and during the last ten or twelve years there was so much of fluctuation in the price of sugarcane—going up by a few naye paise or coming down by a few naye paise. But ultimately we come to this position that in 1951-52 the cultivator was getting Rs. 1.75 per maund and today

[Shri Vasudevan Nair]

also, even after the recent statement of the Minister the cultivator in our parts of the country are going to get Rs. 1.75 per maund. So he remains where he was in 1951-52. Can the Minister advance any valid argument to convince us that he is really giving a fair deal to the cultivator?

During the last ten or twelve years, we all know that the prices have gone up. Although the cultivator lives in the countryside, his own needs have gone up and the cost of cultivation has gone up very much. I would like the Government to go into that matter in detail. I would like to know whether the Tariff Commission had taken pains to estimate the cost of cultivation in the various parts of the country. If they had made that estimate, a real estimate of the cost of cultivation, then I am sure they would have recommended a better deal to the cultivator. And meanwhile the price of cane remains at Rs. 1.75, at the 1951-52 level.

What has happened to the price of sugar? There again, our sugar barons, the mill-owners should not have any grudge of the Government. They are always looked after—fortunate people in our country. As in every other sector, in the field of sugar production also the Government is kind enough and takes enough care as far as they are concerned. If you consider the 1952-53 base as 100 as far as sugar price is concerned, on November 2, 1963 it has gone up to 214.7. That is, more than hundred per cent increase was allowed in the price of sugar; and the Tariff Commission was so considerate that they themselves recommended that the mill-owners should get at least 12 per cent profit. Now, in a country like India, if there is a Tariff Commission which takes so much pains as to recommend that the cane grower should get only what he used to get in 1951-52 while the mill-owners should get at least a profit of 12 per cent, then it is something very strange.

And then there are the middlemen, the selling agents and various other agencies. And these middlemen at each stage are getting at least 3 to 4 per cent of their own profit. All this accumulation of profit by the mill-owner and the middleman has to be at the expense of the cultivator as well as the consumer.

About the plight of the consumer I need not say much. That is our own experience in this country. Fortunately, for a person like me or my friend Shri Thomas it is not a problem, because under medical advice we are rejecting sugar for some time now, and because of that our tongue may be a bit bitter! But we know the plight of the ordinary man in the country as a consumer.

So the result is that we have faulty planning, and the Government, especially the Food and Agriculture Ministry has been bungling in this matter all these years. We thought that perhaps after the criticisms that were levelled against the Food and Agriculture Ministry during the last so many years, Shri Swaran Singh will take up the matter in all seriousness and perhaps end this chapter of bungling. But I am sorry to say that he is only continuing in the foot-path of his predecessor. If Government decides to go in the same path, I am sure that this policy will only give rise to large-scale discontent among the cultivators and among the consumers in this country.

So I would request the Government to consider this matter seriously and at least announce that Rs. 2 per maund will be the cane price throughout the country. And I would also request Government to appoint a committee to study the whole problem to assess what is the real cost of cultivation of sugarcane in this country and then come before this Parliament and the country with a co-ordinated and rational policy on the question of price

of sugar, price of sugarcane and profits for the sugar industry.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Deorao S. Patil.

**Shri Yashpal Singh (Kairana):** Some cane-grower may be given a chance, Sir.

**Shri K. N. Pande (Hata):** One is here.

**Mr. Deputy-Speaker:** Shri Patil,

श्री दे० शि० पाटिल : उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने की कीमत के बारे में खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा जी वक्तव्य दिया गया है, मेरी इच्छा उसकी चर्चा में भाग लेने की नहीं थी। लेकिन जब मैंने कुछ माननीय सदस्यों के भाषण सुने तो मेरा विचार भी आपके सामने कुछ सुझाव रखने का हो गया।

जब मैं पालियामेंट में आया तो शुरू में मैं ने आज के खाद्य तथा कृषि मंत्री के बारे में एक छोटा सा वक्तव्य दिया था और वह यह था कि श्री स्वर्ण सिंह जी ने योग्य प्रशासक की कीर्ति पायी है, वह पक्षपाती नहीं हैं, वह हर एक बात में अपना दिल डालते हैं, जब वह किसी निर्णय पर आते हैं तो बहुत सोच विचार कर ऐसा करते हैं। उस वक्त वह रेलवे मंत्री थे। लेकिन आज खाद्य मंत्री होने से उनका विचार बदल गया होगा, ऐसा मैं नहीं मानता।

कृषि मूल्य नीति को ग्लानिंग कमीशन ने निर्धारित किया है। उसने यह बताया है कि अगर खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाना है तो उनका मूल्य निर्धारित करना चाहिए। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें बताया गया है कि दो राज्यों में, बिहार और उत्तर प्रदेश में, गन्ने की कीमत में पक्षपात था। एक भाग में दो रुपया मिनिमम प्राइस थी और दूसरे भाग में उससे कम थी। माननीय मंत्री महोदय ने इसको सोचा था और उत्तर प्रदेश और बिहार के विभिन्न भागों में जो यह गन्ने की कीमत में पक्षपात था उसको दूर करने की कोशिश

की, और उन्होंने इन दोनों राज्यों के हर एक जिले के लिए दो रुपए कि मिनिमम प्राइस कर दी, और उससे भी अच्छा यह किया कि इसको रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट दिया है। इसका यह कारण दिया गया है कि इन राज्यों में गुड़ और खंडसारी का बड़ा कम्पिटेशन था। मेरा सुझाव है कि यदि अन्य प्रांतों में भी यह पारिस्थिति हो तो उस पर माननीय मंत्री जी विचार करें।

मैंने दो तीन भाषण सुने और मेरी यह राय बनी है कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का पक्षपात चल रहा है। आन्ध्र की महारानी सदस्या ने एक उदाहरण दिया कि एक फैक्टरी पर २ रुपया का भाव मिलता है और दूसरी पर जो उससे ६ मील दूर है दो रुपया मिनिमम प्राइस नहीं मिलती। वहां भी गुड़ और खंडसारी का कम्पिटेशन है। वही हालत महाराष्ट्र और मसूर में है। मेरा सुझाव है कि जहां जहां ऐसी परिस्थिति है उसकी जांच की जानी चाहिए और उस परिस्थिति के अनुसार वहां दो रुपए की मिनिमम प्राइस निश्चित कर देनी चाहिए।

मेरे बाजू के एक माननीय सदस्य ने बताया है कि यू० पी० और बिहार के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उस के लिए सरकार पर बहुत प्रेशर डाला गया था और इस सवाल को जनता ने उठाया था, गन्ना पैदा करने वालों ने उठाया था—बयोंकि जब तक कोई कच्चा माल नहीं पैदा होता है, तब तक पक्का माल नहीं बन सकता है—सब पार्टियों के कार्यकर्त्ताओं ने उठाया था, उत्तर प्रदेश और बिहार की स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोशिश की और इस बारे में प्रेशर डाला। मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट प्रेशर से झुक कर कोई काम करती है। उस को करना भी नहीं चाहिए। अगर प्रेशर से कोई काम होता है और हर एक स्टेट को यह बात मालूम हो गई, तो कई दूसरी स्टेट्स भी यह तरीका अपनायेगी। इस

[श्री दे० शि० पाटिल]

लिए इस विषय में असमानता हुई है या नहीं और अलग अलग स्टेट्स और रिजर्व में पक्षपात हुआ है या नहीं, यह एक गम्भीर सवाल है। यह गम्भीर सवाल आगे चल कर बहुत खतरा पैदा कर सकता है। इस लिए जल्दी से जल्दी इस के बारे में एन्क्वायरी कर के यह असमानता दूर करनी चाहिए।

इस बारे में जो मेमोरेण्डम दिया गया, जो नोटिस दिया गया, उस पर जिन माननीय सदस्यों ने दस्तखत किये, उन में यू०पी० और बिहार के माननीय सदस्य भी शामिल हैं। इस हाउस के हर एक माननीय सदस्य की यह राय थी कि ग्रन्थे का मिनिमम भाँख दो रुपये मन निर्धारित किया जाये। उन का यह कभी नहीं कहना था कि यह भाव केवल यू०पी० और बिहार में लागू हो और दूसरी जगह लागू न हो। उन की युनैनिमस राय थी कि जहाँ जहाँ ग्रन्थे पैदा होता है, कोई भी स्टेट हो, कोई भी रिजन और जिला हो, वहाँ ग्रन्थे का दाम दो रुपये मन होना चाहिए और उन में कोई डिस्ट्रिक्ट-मिनेशन नहीं रहनी चाहिए। माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तरफ दिलाने के लिए ही बहुत से माननीय सदस्यों ने दस्तखत कर के नोटिस दिया है। मैं आशा करता हूँ कि जिस तरह माननीय मंत्री जी ने यू०पी० और बिहार के बारे में इस सवाल पर जल्दी विचार कर के ध्यान दिया है, उसी तरह वह दूसरी जगहों के बारे में भी जल्दी से जल्दी ध्यान देंगे।

जहाँ तक कृषि-उत्पादन बढ़ाने का सवाल है, प्लानिंग कमिशन ने यह नीति निर्धारित की है कि अच्छा माल अच्छी क्वालिटी का माल पैदा किया जाये। लेकिन जब लोग अच्छी क्वालिटी पैदा करते हैं, तो उन को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है और उस माल के ठीक दाम नहीं दिये जाते हैं। इस स्थिति में तो कोई भी अच्छा माल पैदा नहीं होगा। जहाँ तक काटन टेक्स्टाइल का

प्रश्न है, जेरिला, कमांडिया आदि अलग अलग तरह के लांग स्टैपल काटन हैं, लेकिन हर एक जगह उन का भाव एक जैसा मिलता है। वहाँ पर ऐसा कोई प्रश्न नहीं है कि बिहार और यू०पी० में अलग भाव है और दूसरे स्थानों पर अलग भाव है। भाव कम है या ज्यादा, वह एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी मुकर्रर करने के बाद किसी प्रान्त से डिस्ट्रिक्टमिनेशन नहीं होता है। परन्तु ग्रन्थे के सम्बन्ध में यह बात दिखाई देती है।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य का समय समाप्त हो गया है।

श्री दे० शि० पाटिल: मैंने दो तीन बातें बतायी हैं, इस लिए मैं दो मिनट और लेना चाहता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, अब माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करें।

श्री दे० शि० पाटिल: मैं एक मिनट में समाप्त करता हूँ।

मैं हायर रिकवरी के बारे में बोलना चाहता था, लेकिन समय कम होने के कारण उस पर नहीं बोलूंगा। मैं कास्ट आफ़ प्रोडक्शन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस सम्बन्ध में कृषकों के साथ इतना अन्याय हुआ है कि प्लानिंग कमिशन ने पिछले पन्द्रह सालों में इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया है। इस बारे में यहाँ पर चर्चा हुई, लेकिन किसी चीज़ को पैदा करने के लिए कृषक को कितना खर्च करना पड़ता है, इस पर प्लानिंग कमिशन ने कभी ध्यान नहीं दिया। उस ने इस बारे में अभी तक कोई कमेटी मुकर्रर नहीं की। शासन ने भी इस तरफ़ ध्यान नहीं दिया है। मेरा आरोप यह है कि प्लानिंग कमिशन और सेंट्रल गवर्नमेंट कृषि-

बायस्ड नहीं हैं। यह आरोप मैं जिम्मेदारी से लगाता हूँ। कास्ट आफ़ प्राइवशन के बारे में अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है। जब तक उस पर विचार नहीं किया जायेगा, तब तक कृषि-उत्पादन नहीं बढ़ेगा।

श्री यशपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, सरदार स्वर्ण सिंह, से यह आशा थी कि वह किसानों की कुछ इमदाद करेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ी इमदाद की—जितनी उम्मीद थी, उस का सौवां हिस्सा की। जरूरत इस बात की थी कि वह आगे बढ़ कर इनिशेटिव लें और बतायें कि काश्तकार के साथ आज कितना अत्याचार हो रहा है। यहाँ से अगर सरकार तीन रुपये मन भी भाव कर देगी, तो भी उस का कोई नतीजा नहीं होगा, जब तक कि मिल-मालिकों को कंट्रोल नहीं किया जायेगा। आप एक बाल्टी में दूध भरते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप के एक गुस्ताख नौकर ने उस में एक मुराख कर दिया है, तो उस बाल्टी में दूध नहीं ठहर सकेगा।

सरकार ने दो तीन रुपये मन भाव कर दिया। लेकिन मिल-मालिक क्या चालाकी करते हैं? पहली चालाकी ये यह करते हैं कि वे काश्तकार से ट्रांसपोर्ट चार्जिज काटते हैं। काश्तकार बेचारा अपना माल लाता है, आठ मील आता है और आठ मील जाता है, रात को सर्दी में रहता है, और कई कई घंटे वर्क में गुजारता है। लेकिन फिर भी उस से ट्रांसपोर्ट चार्जिज काटे जायें, यह कहाँ का इन्साफ़ है? यू०पी० में चार आने ट्रांसपोर्ट चार्जिज है।

दूसरी चालाकी मिल-मालिक यह करते हैं कि रिकवरी का इंजस्ट डाल कर काश्तकार को तंग और परेशान करते हैं। खतौली मिल सकौती मिल, मन्सूरपुर मिल और देवबंद मिल, ये मिलें बीस पच्चीस मील के दायरे में हैं, लेकिन एक मिल-मालिक रिकवरी के हिसाब से १५७ रुपये देता है, दूसरा

१७४ रुपये देता है और तीसरा १६६ रुपये देता है। इस चालाकी को ख़त्म किया जाये। जब गेहूँ कपास, धान, चावल में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, जब किसी भी ऐंसेंशल कामोडिटी में रिकवरी का सिद्धान्त नहीं रखा गया है, तो फिर यह सिद्धान्त गन्ने पर हरगिज नहीं लागू करना चाहिए।

किसान की दिक्कत को समझा जाये। किसान की सब से बड़ी दिक्कत यह है कि मिल-मालिक जब जी चाहे, उस को बेवकूफ बना लेते हैं। जब जी चाहे, वे रिकवरी का नाम ले कर बीस नये पैसे काट लेते हैं और जब जी चाहे ट्रांसपोर्ट चार्जिज का नाम ले कर पच्चीस नये पैसे काट लेते हैं। इस धांधलेबाजी को ख़त्म किया जाये।

आज जब कि आंध्र प्रदेश में गूड़ का भाव ७५ रुपये मन हो गया है, जब कि दिल्ली में सेंट्रल को-ऑपरेटिव स्टोर, जो कि गवर्नमेंट की संस्था है, २३ रुपये मन गूड़ खरीद कर ५७ रुपये मन के हिसाब से बेच सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि काश्तकार को उसका मूआवज़ा न दिया जाये। मैं उस एरिया से आता हूँ, जो हिन्दुस्तान में सब से ज्यादा गन्ना पैदा करता है। मैं खूद भी एक छोटा सा किसान हूँ। मैं देखता हूँ कि हमारे यहाँ तो २३ रुपये मन गूड़ है, लेकिन हमसे दो मील आगे जाकर वही गूड़ ४५ रुपये मन के हिसाब से बेजा जाता है। और फिर कहते हैं कि राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम हो रही है। राष्ट्र में इन्टेग्रिटी कायम नहीं हो रही है, बल्कि राष्ट्र में अलग अलग धड़े बना कर, अलग अलग सीमायें बना कर राष्ट्र को बांटा जा रहा है, देश की इन्टेग्रिटी को ख़त्म किया जा रहा है।

आपके द्वारा सरकार से मेरा अनुरोध है कि सब से पहली रिकवरी के इंजस्ट को ख़त्म किया जाये। आज जो गूड़ काश्तकार पैदा करता है, उसकी कीमत हर जगह एक होनी चाहिए—ज्यादा से ज्यादा दो रुपये

[श्री यशपाल सिंह]

मन का फर्क हो। जो प्राइवेट केन क्लर लगाने वाले हैं, वे किसान के घर पर जाकर पीने तीन रुपये मन का पेमेंट करते हैं। तो कोई कारण नहीं है कि सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट न करे। अगर सरकार ढाई रुपये मन का पेमेंट करेगी, तो काश्तकार अपने बच्चों को पढ़ा सकेगा। अकाल पड़ा, फलड़ आए, तुगियानियां आई और सब फसलें नष्ट हो गईं। सिर्फ़ गन्ना बचा। यन्त्रे के साथ दिक्कत क्या है? गन्ना पैदा करने वाला जो किसान है, उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, जिला एडमिनिस्ट्रेशन में। केन डिबेलेपमेंट बोर्ड का चेयरमैन किस को बनाते हैं। आई० सी० एस० कलैक्टर को बनाते हैं जिसको चालीस साल से लोगों के साथ नफ़रत करना सिखाया गया है, लूक डाउन अपान करना सिखाया गया है, यही तालीम बचपन से दी गई है, जब से वह करोड़पति के घराने में पैदा हुआ है, उस दिन से लेकर बीस साल तक जिसको यही तालीम दी गई है। उसको बताया गया है कि काले आदमी से मिलोगे तो प्रेस्टीज गिर जायेगा, बेवक्त मिलोगे तो इज्जत का कोई स्टैंडर्ड बाकी नहीं रहेगा। मैं एक मिसाल आपको बतलाना चाहता हूँ। यह सही चीज़ है। किसान आए एक कलैक्टर के पास साठ सत्तर की तादाद में। उन्होंने उन से कहा कि पन्द्रह मील तक एक दाना नहीं बचा है, ओला इतना पड़ा है कि सब फसल खराब हो गई है, आप हमारे साथ चल कर देखिये। आई० सी० एस० अफसर ने कहा कि तुम बगैर एक्वाइन्मेंट आ गए हो, तुम्हें जेल में डाल दूंगा। जिनको लूक डाउन अपान करना सिखाया गया है, किसानों से मिलोगे तो इज्जत कम हो जाएगी, यह सिखाया गया है, उनके हाथ में वह महकमा हो, तो किस तरह से किसान की हालत में सुधार हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि सब से पहले किसान के रिप्रेजेंटेटिव का केन के डिबेलेपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाए।

दूसरी बात यह है कि किसान की हालत को अगर सुधारना है तो सारे हिन्दुस्तान में कम से कम ढाई रुपया मन गन्ने का भाव किया जाए।

अब मैं फटिलाइजर की बात कहता हूँ। आज कहा जाता है कि किसान का राज है, डेमोक्रेसी है। हमारी सरकार ने अभी पिछले सत्र में यह माना था कि सरकार दो सौ रुपये फी टन के हिसाब से अमरीका से फटिलाइजर खरीदती है और उसी फटिलाइजर को सरकार ओवर को साढ़े चार सौ रुपया फी टन के हिसाब से बेचती है। इस तरह से सरकार एक टन के पीछे ढाई सौ रुपया दलाली खाती है। यह भी कृषि मंत्री ने माना है कि इस हिसाब से साढ़े पांच करोड़ रुपया सालाना सरकार को किसान और अमरीका से मंगाये गये फटिलाइजर के बीच में फायदा हो जाता है। यह मूनाफ़ाखोरी गरीब किसान से की जाती है। एक तरफ़ सरकार दिल्ली के धनिकों को, दिल्ली के धनी मानी व्यक्तियों को, दिल्ली के सरमायेदारों को दूध पिलाने के लिए साढ़े सात लाख रुपया साल का नुकसान उठाती है दिल्ली मिल्क स्कीम में और दूसरी तरफ़ किसान को फटिलाइजर देने में सरकार साढ़े पांच करोड़ रुपया बीच में मूनाफ़ाखोरी करती है। इस तरह से सरकार नहीं चल सकती है। इस तरह से किसान की आँखों में धूल नहीं झाँकी जा सकती है। हमारे दोनों मंत्री किसान के बेटे हैं, किसान के दुःख दर्द को समझते हैं, उसकी तकलीफ़ को समझते हैं, लेकिन जिस निज़ाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, जो यह सोकाल्ड सोशलिस्ट स्टेट है, यह सिर्फ़ नाम मात्र को है। जब एक मिल मालिक का हुक्म है, टाटा का हुक्म है कि चार लाख रुपया रोज़ाना बैंक में जमा करो, तो दूसरी तरफ़ किसान इतना मजबूर है कि उसका साढ़े आठ लाख रुपया जो चार साल से मिल मालिकों की तरफ़ बाकी पड़ा आ है, वसूल नहीं हो रहा है। यह गलत

निजाम है जिसके मातहत यह काम काम रहे हैं। आज किसान का अगर सोलह मील चलने के बाद, अपने बैजों को भुखा प्यासा रखने के बाद, अपने बच्चों को बरफ में भेजने के बाद, ठण्ड में भेजने के बाद साढ़े आठ लाख रुपया बाकी है तो कौन सा वक्त आएगा जब कि काश्तकार की मिल मालिकों के चंगूल से रिहाई के लिए, उसको राहत दिलाने के लिए, हमारे मंत्रीगण काम करेंगे। उनके अन्दर किसान के लिए दर्द है लेकिन जिस निजाम के मातहत वे काम कर रहे हैं, वह निजाम शूलत है, वह निजाम इनको काम नहीं करने देता है। इनकी आत्मा विद्रोह भी करती है, लेकिन अपनी पार्टी की खातिर इन्होंने अपने उस विद्रोह को दबा देना पड़ा है। मैं समझता हूँ कि अगर आज यह सब कुछ नहीं हो सकता है तो कमी नहीं हो सकता है। किसान के दाँव बें बेंटे हुए हैं। काश्तकार का ये राहत नहीं दे पाते हैं तो फिर कौन दे पाएगा। मुझे आप साफ कहने दीजिये :

किससे फिर शिकवए बेदाद करें ग्रहले चमन ;

चाक कलियों के जिगर को जो बहारा कर दे ?

अगर आप इमदाद नहीं कर सकते तो कोई इमदाद नहीं कर सकता है। मेरी सरकार से साग्रह, सानुरोध यह प्रार्थना है कि सरकार गन्ने की कीमत के सवाल को जरा पब्लिक में भेजें। "ला इव नॉथिंग बट दी विल आफ दी पीपल एक्सप्रेस्ड इव टर्म्स आफ ला।" कानून कोई नहीं है, कानून जनता की राय है। ४४ करोड़ इन्सानों में गन्ने के मामले को आप भेजें और देखें कि वे डाई रुपये की मांग करते हैं या नहीं करते हैं और अगर वे यह मांग नहीं करेंगे तो हमें आप बोलने का अधिकार न दीजिये। साथ ही साथ वह रिकवरी सिस्टम को खत्म कर दिया जाना चाहिये और जो ट्रांसपोर्ट चार्जिज हैं, वे काश्तकार से नहीं लिये जाने चाहिये।

**श्री काशीनाथ पांडे :** उपाध्यक्ष महोदय, गन्ने और चीनी के सवाल पर इस सदन में कई बार बहस हो चुकी है। चीनी की आज हालत ऐसी है कि इसने चारों ओर लोगों के दिलों में चिन्ता पैदा कर दी है। अभी तो फॅक्ट्रियां चल रही हैं, लेकिन इनके बन्द होने के बाद जय चीनी की कमी नजर आएगी, उसके बाद हालात क्या होंगे, इसका आप देखें।

मैंने अभी दो माननीय सदस्यों को मुता है। उन्होंने कहा है कि भेद पैदा किया गया है नई घोषणा दामों के सिलसिले में जो की गई है उससे। मैं समझता हूँ कि अगर यह मिडियन्त समझ लिया जाए कि मही है तो इस प्रकार की कई बातें पहले हो चुकी हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भेद पैदा किया गया है। जो घोषणा मंत्री महोदय ने की है, उसके पीछे कुछ तर्क रहा है। और जब जब इस प्रकार की घोषणा हुई है तब तब उसमें कुछ न कुछ तर्क रहा है। इस बार की घोषणा के पीछे भी कुछ तर्क है उसे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ।

हमारे यू० पी० और बिहार के भाइयों ने लिखित रूप में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें उन्होंने दो रुपये मन गन्ने के दाम की मांग की थी और कहा था कि वह दाम हर क्षेत्र में होना चाहिए। मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि उत्तर भारत में दो रुपये मन गन्ने का दाम है लेकिन बम्बई में फिर भी दो रुपये बीस नए पैसे मन गन्ने का भाव है।

**श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :** उसका परसेंटेज क्या है ?

**श्री काशीनाथ पांडे :** वह भी मैं आपको बताता हूँ। १९५४ और १९५५ के सीजन में जब कि लिंकिंग फॉर्मूला नहीं था, उस समय गन्ने का दाम हिन्दुस्तान के और हिस्सों में एक रुपया सात आने मन था और उस समय इस सिद्धान्त को स्वीकार किया



[श्री काशीनाथ पांडे]

गया था कि बम्बई में दस परसेंट गन्ने का दाम ज्यादा होना चाहिये। मेरा ख्यास है कि ग्राज की जो घोषणा हुई है, उसमें कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। मैं नहीं कहता कि उनको गन्ने का दाम पूरा मिल रहा है या दाम उनका बढ़ाना नहीं चाहिये। इसमें मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो सिद्धान्त खाद्य विभाग ने सन् १९५४ में स्वीकार किया, ग्राज भी वही सिद्धान्त इस दाम के सिलसिले में लागू है। चूँकि दो रुपये मन उत्तर प्रदेश और बिहार में है तो उसका दस परसेंट बीस नया पैसा हुआ और वहाँ कीमत दो रुपये बीस नया पैसा ग्राज मिल रहा है। आप और मांगें, मुझे कोई एतराज नहीं है।

बावजूद इसके कि दो रुपये मन गन्ने का दाम हो गया है, मुझे शिकायत मिली है जहाँ तक ईस्टर्न यू० पी० का ताल्लुक है या बिहार का ताल्लुक है, कि वहाँ पर गुड़ और खण्डमारी उतने ज़ोर से नहीं बन रही है। वहाँ लोगों ने उतने ज़ोर से गुड़ बनाना शुरू किया है। लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों का ताल्लुक है, वहाँ पर गुड़ और तेजी पर आ गया है। कुछ तो कंट्रोल की वजह से २२ रुपये मन गुड़ के दाम हो गए थे। लेकिन आज गुड़ के दाम २७ और २८ रुपये मन हैं, बावजूद इसके कि इतनी सन्धिया हो रही है, फिर भी इतना भाव तेज हो गया है। ग्राज जो गुड़ किसान बना रहा है, कुछ लोग जिनको आप शापकीपर कहते हैं, मर्बेट कहते हैं, वे गुड़ को कम भाव पर रख लेंगे और बाद में जब फँबिट्रिया बन्द होगी, तब मनमाने भाव पर बेचेंगे। यह इस बात का प्रतीक है कि गन्ने की कमी है।

हमको बहुत ही गम्भीरता के साथ सब प्रश्नों पर विचार करना होगा। मैं देखता हूँ कि सभी लोग इस बात से चिन्तित

हैं कि देश में खाद्य की कमी हो रही है। जो कुछ भी गन्ने का भाव हो, हमको देखना होगा कि गन्ने की खेती में किस प्रकार वृद्धि हुई है, एकड़ की वृद्धि तमाम हिन्दुस्तान में किस प्रकार हुई है। जब आप इसको देखेंगे तो आपको भी चिन्ता दूर बगैर नहीं रहेगी। हो सकता है कि एक दिन ऐसा आ जाए कि गन्ने के दाम इतने आकर्षित लोगों को करें कि सभी गेहूँ और चावल बोना छोड़ दें और उसके बाद हिन्दुस्तान में हर जगह हाहाकार मच जाए। बम्बई में जहाँ सन् १९५३ में १ लाख ८६ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता था वहाँ ग्राज ३ लाख २६ हजार एकड़ में गन्ना बोया जाता है। और भी फिगर्स मैं आप को बतला रहा हूँ।

श्री शिवाजी राव शं० बेशमुखः जिस वक्त गन्ना १० परसेन्ट कीमत ज्यादा थी, उस वक्त

श्री काशीनाथ पांडे : आप फँबट में मुझे चैलेन्ज नहीं कर सकते। बाकी आप अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। मद्रास की बात मैं आप को बतलाता हूँ। वहाँ सन् १९५२-५३ में ८० हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती थी, लेकिन आज १ लाख ८७ हजार एकड़ में गन्ने की खेती हो रही है। इसी प्रकार से आप पंजाब में देखिये। पंजाब में ३ लाख ७१ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती थी सन् १९५२-५३ में, आज वहाँ पर ६ लाख ६८ हजार एकड़ में गन्ने की खेती होती है। इसी तरह से आप यू० पी० की बात देखिये। उस में पहले २६ लाख ८८ हजार एकड़ जमीन में गन्ने की खेती होती थी वहाँ पर आज ३३ लाख ८३ हजार एकड़ भूमि में गन्ने की खेती होती है। मैं कहना चाहता हूँ कि इस में कोई सन्देह नहीं है कि किसान भी ऐसी फसल चाहता है जिस से वह अपनी पैसे की जरूरत पूरी कर सके। लेकिन मैं आप के नोटिस में साना चाहता हूँ और यह

चीज बहुत चिन्ता भी पैदा करनी है, कि आखिर एक हद होगी जहां तक हम गन्ने की खेती कर सकते हैं या जितनी हम आगे उस को बढ़ा सकते हैं। अगर यह हालत रही तो मैं बतलाना चाहता हूं कि जिस तरह से यह बढ़ रही है उस तरह से दिक्कत बढ़ती ही चली जायेगी।

मैं आप को खाद्य के बारे में भी बतलाना चाहता हूं।

एक माननीय सदस्य : गन्ना पूरे देश में कितना होता है और सीरियल्स कितने होते हैं यह भी तो बतलाइये।

श्री काशीनाथ पांडे : वह भी मैं आप को बतलाता मगर इतना समय मेरे पास नहीं है। अगर आप समय दें तो वह भी बतला सकता हूं।

जहां तक फूडग्रेन्स का सवाल है, उसको भी आप देखिये। मैं महाराष्ट्र को लेता हूं। सन् १९५७-५८ में जो आल इंडिया का प्रोडक्शन था उस का महाराष्ट्र में ६.६ परसेन्ट होता था लेकिन वही सन् १९६१-६२ में ७.७ परसेन्ट हो गया। इसी तरह से मद्रास में जहां सन् १९५७-५८ में आल इंडिया प्रोडक्शन का ७.२ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१-६२ में ६.८ परसेन्ट हो गया, मैसूर में सन् १९५७-५८ में ५.९ परसेन्ट होता था वहां सन् १९६१-६२ में ५ परसेन्ट हुआ। इसी तरह से यू० पी० में देखिये। वहां पापुलेशन बढ़ रही है। सन् १९५७-५८ में वहां पर आल इंडिया फूड प्रोडक्शन का १७.७ हुआ करता था और सन् १९६१-६२ में भी वही १७.७ परसेन्ट हुआ। बिहार में देख लीजिये कि जहां सन् १९५७-५८ में ६.२ परसेन्ट होता था वहां ८.८ परसेन्ट है। इस लिये मैं आप से बतलाना चाहता हूं कि यह एक ऐसा विषय है जिस पर आप को गम्भीरतापूर्वक विचार करना पड़ेगा।

मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हमारे नये खाद्य मंत्री ने ऐसे समय में यह पद सम्भाला जिस समय स्थिति ऐसी थी कि शायद इस से बढ़िया कोई इन्तजाम वह नहीं कर सकते थे क्योंकि सब से ज्यादा जरूरत इस बात की थी कि गन्ना ज्यादा से ज्यादा पैदा हो, फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा सप्लाई हो। मैं आप के सामने यह सवाल रखता हूं। मेरे सामने भी एक बड़ी भारी समस्या है और वह यह कि हमारे देश में दो लाख आदमी शुगर इंडस्ट्री में काम करते हैं। पिछले वर्ष जो यहां पर एम्प्लायमेंट पोलीशन थी वह करीब करीब घाटी हो गई थी और आज हालत जो हो रही है उस को आप जानते ही हैं। अगर यह कैफियत बहुत देर तक चलती रही तो शायद एक बड़ी भारी क्राइसिस आ जाये अनएम्प्लायमेंट को ले केर। दूसरा खतरा भी है। हम ने पहले यह देखा है कि एक मर्तबा आप दाम बढ़ा देते हैं और फिर घटाने का प्रश्न आता है। जैसा आप ने कहा, उत्तर भारत के लिये जो आप ने गन्ने का दाम बढ़ाया है वह टेम्पोरेरी है, हो सकता है कि आप इस में कोई चेन्ज करें, लेकिन मैं इस सम्बन्ध में सावधान कर देना चाहता हूं कि अगर आप ने गन्ने के दाम आकर्षक नहीं रखे तो लोगों के लिये उस का पैदा करना सम्भव नहीं होगा और शायद ही आप को दूसरे सीजन में गन्ना मिले। इस लिये आप को सब जोन्स का विचार करने का बाद गन्ने का दाम तय करना चाहिये और वह दाम उचित होना चाहिये। मैं इस विचार से इत्फाक करता हूं, लेकिन साथ ही बतला देना चाहता हूं, जहां ३३ हजार टन चीनी में से आप ने १५ हजार टन चीनी का कोटा केवल यू० पी० के लिये तय किया है वहां आप को यह भी देखना पड़ेगा कि दाम ऐसा आकर्षक हो ताकि गन्ना मिलों में जाये और आप के लिये चीनी पैदा हो सके।

जिस प्रकार गुड़ का कंस्पेंडेशन आप के सामने है उसी तरह से आप को तय करना

[श्री काशनाथ पांडे]

पड़ेगा कि पिछले साल चीनी की जितनी प्रोडक्शन हुई थी उसके ऊपर जो हो उसे ओपन मार्केट में बिकने को छोड़ दिया जाये ताकि जितनी डिमान्ड किसान की हो उतना फैक्ट्री वाले दें। इस वक्त किसानों के गन्ने के बोआई के समय दाम घटाने से बोआई घट जायेगी। अगर ऐसा हुआ तो अगले साल बड़ी भारी फ़ाइसिस आयेगी।

श्री बड़े (खारगोन) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जब यह घोषणा कर दी कि केवल यू० पी० और बिहार में ही २ रु० मन तक गन्ने का भाव बढ़ा दिया गया है और बाकी स्टेट्स में नहीं बढ़ाया गया है तो मध्य प्रदेश में इस के बारे में बड़ी हलचल हो गई।

एक माननीय सदस्य : वहां कितनी फैक्ट्रियां हैं।

श्री बड़े : पांच हैं। और गुड़ के ऊपर कंट्रोल लगा दिया है। मेरा यह कहना है कि मध्य प्रदेश की बाउंड्री पर, जहां मैं रहता हूं, खान्देश है। वहां बड़ी हलचल हो गई। वहां की जनता का यह कहना है कि यहां पर यू० पी० और बिहार के मिनिस्टर होने के कारण उन का वजन ज्यादा पड़ता है और पार्लियामेंट में यू० पी० और बिहार के मेम्बर ज्यादा होने से यह भाव ज्यादा बढ़ा दिये गये हैं। इस प्रकार की लोगों की टीका है। हो सकता है कि यह टीका गलत होगी, और मैं उस से सहमत नहीं हूं, लेकिन मेरा कहना केवल यह है कि मध्य प्रदेश.....

The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas): In Madhya Pradesh, all the factories are getting Rs. 2.

श्री बड़े : मैं आप को बतलाता हूं कि उस में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जहां गुड़ के ऊपर कंट्रोल कर दिया गया है वहां पर फैक्ट्री वाले गन्ने के दाम १० आने और १२ आ० मन के

हिसाब से देते हैं, यह कह कर कि गन्ना जिस प्रकार का चाहिये उस प्रकार का नहीं है। इस तरह से होता यह है कि किसी जगह १० और १२ आ० मन गन्ने का दाम दिया जाता है और कहीं पर वह भी बराबर नहीं मिलता है। इसी के साथ साथ गन्ने के प्रोड्यूस करने में मध्य प्रदेश के किसान का क्या खर्च आता है इस को भी शासन ने नहीं देखा है। आप ने सिर्फ यह देखा है कि फैक्ट्रीज का क्या खर्च पड़ता है क्योंकि चीनी बनाने वाली फैक्ट्रीज के लोग आप के पास हैं, फैक्ट्रीज के आंकड़े देने वाले लोग आप के पास हैं लेकिन २० मिलियन कल्टिवेटर्स जो इस धन्धे में हैं हिन्दुस्तान में, अगर उन की कोई आर्गनाइज्ड संस्था होगी तो केवल यू० पी० में होगी या शायद थोड़ी सी बिहार में होगी। अगर महाराष्ट्र में होगी तो वहां की आवाज श्री देशमुख ने आप के सामने रखी है, लेकिन मध्य प्रदेश में केन ग्रीग्रस की कोई आर्गनाइज्ड इंडस्ट्री न होने से उन की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है। हमारे मध्य प्रदेश के एक ही मिनिस्टर हैं, अगर वह कुछ कहते हों तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मेरा कहना है कि इस प्रकार से.....

डा० राम सुभग सिंह : आप आ जाइये।

श्री बड़े : मैं खुशी से आता लेकिन आप मुझे लेंगे नहीं। तो मेरा कहना यह है कि फारेन एक्स्चेन्ज को पाने के वास्ते आप ने फैक्ट्रीज को ज्यादा सहूलियतें दीं, लेकिन आप ने केन ग्रीग्रस की तरफ ध्यान नहीं दिया। आप ने देखा नहीं कि आज काश्तकार को फर्टिलाइजर किस भाव पर मिलती है, फैक्ट्रीज से खेत कितनी दूर हैं और उस को लाने पर क्या खर्च पड़ता है। जो मंहगाई है उस के हिसाब से क्या आप ने गन्ने का दाम बढ़ाया है। टैरिफ कमिशन ने जिस प्रकार कहा कि उस की उन्नति करनी है उसी प्रकार से आप ने भाव बढ़ा दिया। लेकिन बाकी बातें आप के साम

नहीं हैं। मेरे एक मित्र ने कहा कि आप के पास कृषि मूल्य की नीति नहीं है। कृषि मूल्य नीति जब तक आप के सामने नहीं है, काश्तकार का खर्च कितना आता है इस के आंकड़े जब तक आप के पास नहीं हैं, सैम्पल सर्वे नहीं है, तब तक आप के सामने एक ही स्टेट की आवाज आती है, और आप ने उन का भाव बढ़ा दिया है, बाकी केन प्रोग्रेस के लिये नहीं बढ़ाया। इस लिये आज लोगों में अशान्ति है, केन प्रोग्रेस में आशान्ति है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि वहां पर २ रु० मन दिया जाता है। मैं आप से पूछता चाहता हूं कि क्या जाबरा का भाव आप के पास है, दूसरी मिलों के, महेन्द्रपुर रोड के भाव आप के पास हैं? मैं वहां से भाव लाया हूं। वहां पर गन्ने के लिये १० और १२ आ० से ज्यादा दाम नहीं मिलता है। इतना ही नहीं, काश्तकारों को जो चर्खी रहती है वहां भी उन्हें बैठना पड़ता है, आठ आठ रोज तक वहां ठहरना पड़ता है तब कहीं तोल होती है। इतनी बातें होने के बाद भी मध्य प्रदेश के बारे में आप ने कुछ नहीं किया और केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के भावों को बढ़ा दिया। यह क्यों बढ़ाया गया है।

**एक माननीय सदस्य :** आप के यहां भी बढ़ाया गया है, वहां दो रुपया मन दिया जाता है।

**श्री बड़े :** मैं पूछता हूं कि महेन्द्रपुर रोड में यह भाव मिलता है। मैं चैलेन्ज करता हूं। जैसा आप का कहना है, उत्तर प्रदेश के काश्तकार मुख्य हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के काश्तकार जो के केन प्रोग्रेस हैं, जो गन्ना बोते हैं, यदि उन की परिस्थिति आप देखेंगे तो आप को पता चलेगा। गुड़ के बारे में उन्होंने जो लिखा है उस को आप देखिये। बाहर से गुड़ उन को लाना नहीं चाहिये, यदि उन्होंने १० एकड़ में गन्ना बोया है और उस में इतने मन गन्ना हुआ, तो इतना गुड़ बनाना है, बाकी का नहीं बनाना है। इस प्रकार से इतना इंटरफरेंस शासन का होता है कि काश्तकार

तंग आ गया है और कहता है कि अग्रेज चले गए तो ये काले साहब आ गए और हमारे ऊपर कंट्रोल का बोझ डाल दिया है।

इसके अतिरिक्त काश्तकार अधिकांश अनपढ़ हैं, वे ठीक से हिसाब नहीं रख सकते। इंस्पेक्टर आकर उनसे हिसाब मांगता है कि कितना गन्ना हुआ आदि। इसमें उनको कठिनाई होती है। इसके बाद उसको फैक्टरी तक गन्ना ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है क्योंकि हमारे यहां सड़कें नहीं हैं जैसी कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। वहां तो देहात में जीप से भी जाना कठिन होता है। हमारे काटजू साहब तो कहते हैं कि जिसको धूल फांक कर बीमार पड़ता हो वह खानदेश का दौरा करने आवे। हमारे यहां तो जंगल है। जब कोई मेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी वहां दौरा करना है तो बीमार पड़ जाता है। किसानों को अपना गन्ना फैक्टरी तक ले जाने में दो दो तीन तीन घाट उतरने पड़ते हैं और इसमें उनका बहुत खर्चा होता है, इसको नहीं जोड़ा जाता और पुराना भाव उनको दिया जाता है। मेरा निवेदन है कि अगर मध्य प्रदेश में भी आप लोगों को २ रुपए मन का भाव नहीं देंगे तो वहां असंतोष होगा।

हमारे यहां कहावत है कि कुम्हार का देवता बातों से नहीं मानता लातों से मानता है। अगर सरकार मध्य प्रदेश के किसानों का गन्ने का उचित मूल्य नहीं देगी तो मोर्चे होंगे, भूख हड़तालें होंगी और मंत्री महोदय तक हम डेपुटेशन भी लावेंगे। लेकिन हमारी कठिनाई यह है कि मध्य प्रदेश यहां से बहुत दूर है, आने में तीन दिन लगते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि यह स्थिति न आवे। जो भाव आपने बिहार और उत्तर प्रदेश में दिया है वही हमारे यहां भी दिया जाए। साथ साथ इस बात का भी सैम्पल सर्वे किया जाए कि मध्य प्रदेश में गन्ना ढोने में काश्तकारों को कितना खर्चा पड़ता है।

**Shri D. D. Puri (Kaithal):** Mr. Deputy-Speaker, I found it extremely difficult to follow any part of the speech of the speaker who preceded me. In Madhya Pradesh he says cane growers get 10-12 annas per maund in some parts. I dare say that there is no grower anywhere in India who does not make much more than twice the amount suggested by him, be it that the cane is changed into gur or khandsari or sold to factories. I do not know whether the place he has in mind is outside India.

I welcome the hon. Minister's statement of the 12th instant as far as it goes and it goes fairly far. In one or two respects, however, the statement has been a disappointment. At the tail end the hon. Minister says: "I would not like hon. Members to get the impression that the Government is committed to maintain the present level of cane prices." Is it seriously suggested by the hon. Food Minister that the sugar situation is going to ease between now and 1st November, 1964? If they think so, they are under a serious illusion. The sugar situation will not become stable until we have at least five lakh tons of sugar as a cushion stock. For the next 12 months we have an international commitment to export three lakh tons of sugar, whatever we may or may not produce. I do not want to sound pessimistic but in all responsibility I think between now and the 1st of November, the sugar situation for the consumer is likely to continue to be at least as bad as it is today and it will neither be sound nor intrinsically correct nor even possible to reduce cane prices below their present level. Then, why do you not make an announcement now that at least for the next season the price will not be below what it is today; the cane for the next season is going to be sown shortly after now. You will inevitably have to pay this price next year; yet you are frightening the grower and scaring him away from putting more area under cane which alone will solve

your problem. The present is the only way of paying the maximum price and deriving the minimum benefit from him. That is to say, paying Rs. 2 this year that too by instalments in certain areas, certain other areas have certain other rates—leaving it uncertain whether the grower will get the same price next year. I go a step further and say that if you are serious about producing 4 or 4.5 million tons of sugar in this country, you will have to maintain the price level at Rs. 2 a maund as the minimum and also linking price to recovery. Even now it is not too late; sowing is shortly going to start and the Minister should make an unequivocal statement for the next season at any rate that the price will not be lower than what it is today.

I am against discrimination between certain areas and others. I have stated repeatedly that Rs. 2 a maund is the minimum price and 9 per cent recovery alone will solve the problem. There is no short cut to it. We played with this problem far too long. In certain other aspects too there is discrimination. Certain zones produce sugar at Rs. 8-9 per quintal, lower than in certain other areas. Under the control system the price paid to these areas is Rs. 8-9 above those paid in other areas. I want to go on record against discrimination in the matter of price of cane but also in the matter of controlled prices of sugar in this country.

Now, what happens to the consumer? It is admitted that 66 per cent of our country's cane goes into gur and khandsari. Today the prices of gur and khandsari, at their lowest, are 100 per cent above the price last year. True, a large part of this price does not go to the grower but to the middleman. But the consumer of khandsari and gur surplus areas pays between 25—30 per maund in the surplus areas to Rs. 70—80 in some deficit areas and on account of the inter-state restriction.

Therefore, I respectfully suggest that this discrimination should be removed as between one part and another part of the country, in all aspects, be it the price of cane or the profit allowed to be retained by the sugar industry, etc. Sugar is one of the most controlled industries in the country. All parts of the country should be treated without any discrimination whatsoever.

I shall make one or two observations about what the hon. Member from Saharanpur spoke. He delivered a tirade. I could not follow whether he was speaking on this motion or anything else. I could not particularly follow his criticism with regard to the formula according to which the cane price is to be paid on the percentage of recovery. He said that it does not apply in the case of wheat or rice. I respectfully submit that in every agricultural commodity as in every other commodity price is paid on quality, whether it is wheat or rice or anything else. After all, when the grower sells his cane, it is the sugar in the cane that he sells, apart from everything else which is only trash, literally and metaphysically. Therefore, like everything else, the price that is paid for cane should continue to be paid on the quality basis.

श्री विश्राम प्रसाद (लालगंज) :

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के १२ दिसम्बर के भाषण की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ, जिस में उन्होंने कहा था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भाव दो रुपये मन किया तो जा रहा है, लेकिन इस पर फिर विचार होगा और विचार करने के बाद क्या रेट निश्चित किया जायेगा, वह नैकस्ट मोडिंग मीज़न, अग्रमं बॉने के टाइम पर बताया जायेगा। मैं आप से निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार ने उस वक्त शूगरकेन की प्राइस दो रुपये मन इस लिये तय की थी कि चूँकि पश्चिमी जिलों में गुड़ और खांड-

सारी के ज्यादा बनने से पश्चिमी जिलों में तो मिलों ने दो रुपये मन भाव तय किया था और पूर्वी जिलों में सरकार ने भाव कम किया हुआ था। मैं आप के द्वारा सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि किसान अगर किसी तरह से दो चार रुपये, या सी रुपये, अपनी खेती से पैदा करना चाहता हो, तो उस के बीच में हमारी सरकार क्यों रोड़ा बन जाया करती है।

मैं आप को बताना चाहता हूँ कि दो रुपये मन का भाव तय करना क्यों लाजिमी है। आप को याद होगा कि १९६२ के मार्च में गन्ना सूख गया और पैरा नहीं गया। मेरे सामने एग्रोकल्चर की एक रिपोर्ट है, जिस में लिखा है कि मई, १९६३ तक इस देश में २०.८३ लाख मेट्रिक टन शूगर थी, जब कि पिछले साल उस समय तक २६.५४ लाख मेट्रिक टन शूगर का प्रोडक्शन हुआ था। इसी तरह आप देखें कि मई, १९६३ में दो मिलें चल रही थीं, जब कि १९६२ में ४० मिलें चल रही थीं। सरकार के पास १ मई, १९६३ तक १४.९४ लाख मीट्रिक टन चीनी का स्टॉक था, जब कि पिछले साल उस समय तक २४.३० लाख मेट्रिक टन चीनी का स्टॉक था। अगर हम इन आंकड़ों को देखें, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि गन्ने का भाव दो रुपये मन कुछ ज्यादा नहीं है।

मेरे पास टैरिफ कमिशन की रिपोर्ट मौजूद है, जिस में क्लिसेशन आफ प्राइस के बारे में कुछ आंकड़े दिये गए हैं। प्राइस आफ केन : १६.८५, टोटल कन्वर्शन चा-जिज, कमिशन, सैस, एक्सट्राइज ड्यूटी ५.६५, कास्ट आफ मेनुफैक्चर : २२.५०, सैलिंग एक्सपेंसिज : .०४, एक्साइज ड्यूटी : १०.७०, रिटर्न : .२०६, जिस का टोटल ३५.३० रुपये होता है, जो कि फेयर सैलिंग प्राइस है। यह फिर १९५७-५८ की है जब कि रिकवरी परसेंटेज ६.८६ है। १९५८-५९ की फेयर सैलिंग प्राइस

## [श्री विश्राम प्रसाद]

३६.४३ रुपये है, जब कि रिकवरी परसें-टेज ६.६२ है। अगर इस में गन्ने की कीमत ढाई रुपये मन के हिसाब से जोड़ दी जायें, तो सब कुछ मिला कर चीनी का दाम ४३ रुपये पड़ता है, जब कि आज चीनी मार्केट में ४७.६८ रुपये फी मन के हिसाब से बिक रही है। इस वक्त सरकार १०.७० रुपये और २.०६ रुपये चार्ज करती है। अगर किसान को ढाई रुपये मन गन्ने की कीमत दी जाये, तब भी सरकार को मिलने वाली रकम में कोई कमी नहीं होगी।

लेकिन मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या वह किसान की इंडस्ट्री से ही ३३ परसेंट मुनाफा लेती है या हिन्दुस्तान की किसी और इंडस्ट्री से भी ३३ परसेंट मुनाफा लेती है। गन्ना ही एक ऐसी फसल है, जिस में से किसान को दो चार रुपये, या सी रुपये, मिल जाते हैं। उस में से ३३ परसेंट तो सरकार अपनी जेब में रख लेती है और किसान को उस में से ज्यादा पैसा देने में उस की हालत खराब हो जाया करती है।

जहां तक रिकवरी का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५-५६ में रिकवरी १० परसेंट, १९५६-५७ में ६.४४ परसेंट, १९५७-५८ में ६.६२ परसेंट और १९५८-५९ में ६.७८ परसेंट थी। रिकवरी की परसेंट मिल वाला कम करे और उस की वजह से किसान मारा जाए, यह तो वर्दाश के बाहर की बात है।

श्री विद्वनाय राय (देवरिया) : ये आंकड़े कहां के हैं ?

श्री विश्राम प्रसाद : ये टैरिफ कमीशन की रिपोर्ट के आंकड़े हैं।

श्री विद्वनाय राय : ईस्ट यू० पी० और उत्तर बिहार में १० परसेंट कमी नहीं हुआ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं माननीय सदस्य को बाद में दिखा दूंगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में १९५५-५६ में १० परसेंट रिकवरी हुई। हां, बम्बई में ज्यादा है।

जहां तक वर्किंग डेज का सम्बन्ध है, ईस्ट यू० पी० में १९५५-५६ में १५४ दिन, १९५६-५७ में १५१ दिन और १९५७-५८ में १३२ दिन काम हुआ। जब वर्किंग डेज कम होते हैं, तो शूगर का कास्ट आफ प्राइक्शन परमांड बढ़ जाया करता है। जैसे अगर वर्किंग डेज ६० है तो कास्ट आफ प्राइक्शन पर मांड ६.७ रुपये होता है, अगर वर्किंग डेज १२० ये, तो कास्ट आफ प्राइक्शन ५.६६ रुपये परमांड होता है और अगर वर्किंग डेज १८० है, तो कास्ट आफ प्राइक्शन ४.६७ रुपये पर मांड होता है। इस तरह से अगर एक दो रुपये मन कास्ट आफ प्राइक्शन कम हो जायें, तो वह पैसा किसान को चला जाये, क्योंकि मिलों की खराबी या बदमाशी की वजह से अगर वे काम नहीं करती है, तो उस का पैसा किसान के पैसे से काटा जाये, यह बात समझ में नहीं आती है।

मैक्सिको और फिलिपाइन्स में चीनी की बाई-प्राइक्ट्स के पैसे भी किसानों को मिला करते हैं। लेकिन हमारे देश में स्थिति यह है कि मिल वाले मोलैसिज की कीमत चार छः आने मन दिखाते हैं, लेकिन वे वास्तव में गरीब आदमियों का भोजन बनते हैं और मार्केट में चार, छः दस रुपये मन के हिसाब से बिकते हैं। उस के अलावा मोलैसिज, खोई और दूसरी बाई-प्राइक्ट्स से कागज, कार्बन्ड, फर्टिलाइजर वगैरह कई चीजें बनती हैं। इन सब चीजों का पैसा भी किसान को दिया जाना चाहिये। सरकार ने जो दो रुपये मन गन्ने की कीमत तय की है, वह तो किसान को मिलनी ही चाहिये। मैं तो कहूंगा कि अगर उस से ज्यादा ढाई रुपये मन भी किसान को दिया जाय, तो जो कास्ट आफ प्राइक्शन

मैंने अभी बताई है, उस को देने के बावजूद सरकार के सेंस और एक्साइज ड्यूटी में कमी नहीं होगी और मिलों के फायदे में भी कमी नहीं होगी।

मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बारे में कैल्कुलेशन फिर कर लें। मैं कैल्कुलेशन करके उनको दिखा सकता हूँ कि अगर किसान को ढाई रुपये मन भी दिया जायेगा, तब भी मिलों को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरी प्रार्थना है कि दो रुपये मन की कीमत तो सारे हिन्दुस्तान में हमेशा कायम रखी जाए और अगर सरकार किसानों को जिन्दा रखना चाहती है, तो वह कोशिश करे कि अगले सत्र में ढाई रुपये मन की प्राइस निश्चित की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री के० एन० तिवारी ।

**Shri Bishwanath Roy:** Sir, I come from a district which has got 14 sugar factories.

श्री क० ना० तिवारी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता जो कि दूसरे माननीय सदस्यों द्वारा कही गई हैं या हमारे आपोजीशन के दोस्तों ने प्रोपेगंडा के लिये कही हैं।

श्री मोहन स्वरूप : (पीलीभीत) : प्रोपेगंडा है या सच्चाई ?

श्री क० ना० तिवारी : मैं इस बात से असहमत हूँ कि इस मामले में कोई पक्षपात बिहार, यू०पी० और दूसरे प्रान्तों को ले कर किया गया है। बिहार की पोजीशन यह है कि हमारे एक दोस्त ने, जो इन्डस्ट्री के डिपुटी मिनिस्टर थे, एक खत में लिखा है :—

"The sugarcane production in Bihar has come down to 4.72 crore maunds in 1962-63 from 11.38 crore maunds in 1960-61."

यह पोजीशन बिहार की है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की भी पोजीशन है। जी कमी हुई उसका कारण यह था कि कीमत उसके लिये जो दी जा रही थी वह उचित नहीं दी जा रही थी। यह इसलिये हुआ कि भारत सरकार ने बवाई के पहले कोई दाम मुकरर नहीं किये थे। यह कारण था कि सोईंग के समय में प्लांटेशन बहुत कम होता रहा। मेरा निवेदन यह है कि अगले साल का भी जो दाम है, वह अभी से घोषित कर दिया जाय। अभी दो रुपया है। उसको ही मुकरर कर दिया जाय ताकि किसान के अन्दर गलत फहमी की कोई गुंजाइश न रहे और किसान ऊँख की अच्छी खेती कर सके और अच्छी पैदावार ऊँख की हो सके।

उन्होंने आगे लिखा है जहाँ तक उत्तर भारत और दक्षिण भारत का सवाल है :

"The factories located in Maharashtra, Mysore and Andhra and some other States have been showing a profit of Rs. 60 lakhs to a crore of rupees per year in their balance-sheet whereas the biggest in Bihar has hardly earned Rs. 10 to 12 lakhs in the peak year of 1960-61."

किसान को दो रुपया मिलने के सवाल का जहाँ तक सम्बन्ध है, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ। किसान होने के नाते, मैं समझता हूँ कि किसान को जितना ज्यादा मिल सके मिले। उसकी हालत दयनीय है। उस दयनीय हालत में उसको जितना अधिक मिले, उतनी ही अधिक प्रसन्नता होगी। लेकिन यह चीनी और गुड़ का जो सवाल है यह बहुत पेचीदा सवाल हो गया है। मैं चाहता हूँ कि इस पेचीदा सवाल का हल मुलझाने के लिये आप एक कमिशन की नियुक्ति करें या कोई आप डिपार्टमेंटल इनक्वायरी करायें और सारे उत्तर भारत और दक्षिण भारत आदि सभी जगह पर शूगर की क्या पोजीशन है, इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है, प्रोसेसर की क्या पोजीशन है, सका पता लगवायें। इन सब बातों



[श्री क० ना० तिवारी]

की जांच करवा करके भागे के लिये आप प्लानिंग करें और उसके मुताबिक दाम निर्धारित करें। इस काम को जितनी जल्दी आप कर सकें, उतना ही अच्छा होगा।

दो रुपये की जो घोषणा हुई है वह तो किसान को मिलना ही चाहिये। महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पर जो भी आप करें, हमें उस में कोई एतराज नहीं है।

अन्त में मैं एक निवेदन और कर देना चाहता हूँ कि जो भी किसान को सुविधायें दें वे उसको उपलब्ध की जानी चाहियें। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब आदि में जो रिकवरी के साथ गन्ने की प्राइस लिंक की गई है, उसकी मैं तारीफ़ करता हूँ। लेकिन साथ-ही निवेदन करना चाहता हूँ कि सारी सुविधायें, जैसे खाद की, पानी की, अच्छे बीज की, लोन की, किसान को मिलनी चाहिये। इस और भी आपका विशेष ध्यान आए, यही मेरी प्रार्थना है।

श्री शिव नारायण: मैं हाउस में सबसे से बैठा दुष्ट हूँ। कई इंसान से बोल रहा है, कोई उधर से बोल रहा है। मैं खेती करता हूँ एक बीघा खेत जॉन कर अपनी फसल का नुक्सान करके आया हूँ। तीन फसलों का नुकसान करता हूँ, तब एक फसल गन्ना पैदा कर पाता हूँ। तब कहीं वह गन्ना देश के लिए मैं दे पाता हूँ। आपने दो रुपये मन की घोषणा की है। हमारे अपने भाइयों ने और मैंने भी ढाई रुपये की मांग की थी। अप्रोजीशन के आन्दोलन में मेम्बर जो सहारनपुर से आते हैं, तथा दूसरों ने भी मांग की कि बड़ी अनुकम्पा हो जाये अगर ढाई रुपये भाव कर दिया जाये। मैंने यह मांग पहले भी की थी और आज भी करता हूँ। मैं देख कर आया हूँ। मिलों में स्ट्राइक चल रही है। कारण क्या है। मैं किसान हूँ, मेहनत करता हूँ, गर्मी में बैसाख के महीने में पानी खेतों को देता हूँ, चार पांच पानी देता हूँ और ऊपर से नीचे तक का पसीना एक करके काम करता हूँ। हमारे

भाई लोगों ने तो किताबों में से कई बातें कही हैं उनमें से पड़ कर आपको सुनाया है। मेरे हाथ में कोई कागज़ नहीं है, कोई किताब नहीं है। मैं पांच रुपये नहीं कहता हूँ, चार रुपये नहीं कहता हूँ, दो रुपये नहीं कहता हूँ। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि जितने रुपये मन चीनी, उतने ही आने मन गन्ना का भाव होना चाहिये। अगर चीनी चालीस रुपये मन बिकती है तो हमको भी आप चालीस आने मन गन्ना के दे दीजिये। यह सीधा सादा हिसाब है। इस में कोई विरोध नहीं होना चाहिये।

आप देखें कि ब्लैक मार्केट में दो रुपया सेर चीनी बिक रही है। मैं उस हिसाब से गन्ना का भाव नहीं मांगता हूँ। मैं तो गवर्नमेंट के भाव पर ही गन्ने का भाव मांगता हूँ। अगर मेरी बात का यकीन न हो तो माननीय मंत्री जी खुद जा कर इस बात की जांच कर सकते हैं। शाम के वक्त काली शेरवानी पहन कर वह बाजार जा सकते हैं ताकि उनको कोई पहचान न सके और इसकी जांच कर सकते हैं। मुझे मालूम है कि राजाओं के जमाने में, नवाबों के जमाने में, मुसलमानों के जमाने में, बादशाह लोग जाते थे और मार्केट का भाव पता लगाते रहते थे। अलाउद्दीन के जमाने में प्राइसिफ़ फ़िक्स्ड थी और क्या मजाल किसी की कि अधिक कीमत किसी से वसूल कर ले।

आज नैशनलाइजेशन का सवाल भी चल रहा है और कहा जा रहा है कि शूगर इंडस्ट्री का नैशनलाइजेशन कर दिया जाना चाहिये। मैं समझता हूँ कि जब तक आप शूगर मिल्स का नैशनलाइजेशन नहीं करते हैं, तब तक किसान को सही दाम नहीं मिल सकते हैं और न ही चीनी की समस्या कभी हल हो सकती है।

विदेशों में भी चीनी हम को भेजनी है। वहां पर भी चीनी की मांग है। वहां पर दाम ऊंचे हैं। किसान को भी आप ऊंचे दाम दीजिये, वही दीजिये जो वहां मिल रहे हैं। आप हम को दीजिये, हम आपको पैदा करके

देंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि गेम न खेली जाये। मैं न इस मिल की एंजंटी करता हूँ और न ही उस मिल की एंजंटी करता हूँ। मैं किसान हूँ। मैं गवर्नमेंट से खुला हिसाब मांगता हूँ। क्लीयर कट हिसाब मांगता हूँ। मैं निश्छल हूँ, साफ़ मुथरा किसान हूँ, ईसाफ़ चाहता हूँ। मैं ईस्टर्न यू० पी० से आता हूँ जहाँ पर गरीबी का बोलबाला है। वहाँ पर लोग मुसीबतों के शिकार हैं। हम सत्तु खा कर रहते हैं, शीरे का पानी पी कर रहते हैं। जिस तरह से गरीबी हल हो सक, वह काम आपको करना चाहिये। सोशलिज्म का नारा आप लगाते हैं। मैं कहूँगा कि आज इसके बारे में भी डू आर डाई का नारा लगना चाहिये, जैसा नारा कि हमने १९४२ में अंग्रेजों को निकालने के लिए लगाया था। मैं चाहता हूँ कि सारे हिन्दुस्तान में आप एक दाम रखिये। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में सभी जगह एक दाम दीजिये। आपका साथ किसान देने के लिए तैयार हैं। यह किसान की गवर्नमेंट है, पूँजीपतियों की गवर्नमेंट नहीं है, मिल मालिकों की नहीं है। यह गवर्नमेंट भूखों, नंगों, गरीबों की है। किसानों का इस गवर्नमेंट में विश्वास है। मैं ईमानदा की साथ कहता हूँ कि जितने रुपये मन चीनी उतने आने मन आप गन्ने का भाव किसान को दीजिये। यह बहुत ही ज़रूरी मांग है। कोई ज्यादा मांग नहीं हम करते हैं। हम प्लेट रेट मांगते हैं। फूड मिनिस्टर खुद किसान हैं। सहारनपुर वाले, शेरवाना, वाले खुद किसान नहीं हैं, किसी से अपनी भूमि को जुतवाते हैं। वह जानते नहीं हैं कि कैसे खेती होती है, फसल कैसे उगाई जाती है। वह हमारी कमाई पर ज़िन्दा हैं। खेत में हल मैं चलाता हूँ। मेरे बाप दादा चलाया करते थे। सका मुझे गुमान है। नंगे भूधे किसान हल चला करके, अपना गुजर बसर किसी तरह से करते हैं। खेत हमें मिलने चाहिये। अगर यह कर दिया जाता है तो जितना गन्ना आप कहेंगे हम आपको देंगे। आज ज़मीन बड़े बड़े लोग लिये बैठे हैं, जिसका नतीजा होता है कि

पैदावार कम होती है और हमको विदेशों से भीख मांगनी पड़ती है। असल में जो खेती करता है, उसको भूमि मिलनी चाहिये। आज हालत यह है कि बड़ी बड़ी तौब वालों के नाम ज़मीन लिखी हुई है। जो खेती करता है, उसके पास अपनी ज़मीन नहीं है। मेरी गुज़ारिश है कि जो परती ज़मीन है, वह हमको आप दें, किसान को आप दें, और किसान आपको जितना आप चाहेंगे, पैदा करके देगा और आपको दुनिया से भीख मांगने की ज़रूरत बाकी नहीं रह जायेगी। मुनासिब दाम किसान को आप दीजिये। डाई रुपये की मैं मांग करता हूँ। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसका थ्ये आप पी० एस० पी० वालों को न दीजिये, हमें दीजिये। गेंदा सिंह जी को न दीजिये, हमें दीजिये। शिव नारायण को दीजिये। हमारी बात चलनी चाहिये। हम प्रेक्टीकल बात करते हैं।

जहाँ तक गुड़ का सम्बन्ध है, इसको जाने दीजिये आप दिल्ली में, खोल दीजिये आप इसको। मार्केट का भाव चलने दीजिये। कोई कंट्रोल न रखिये। अगर आप ने ऐसा किया तो सब जगह यह मिलने लग जायेगा। गुजरात की बात की जाती है। कहा जाता है कि वहाँ गुड़ बहुत कम मिलता है। अस्सी रुपये मन बिक रहा है। वे लोग अपने घर खाने में गुड़ का प्रयोग करते हैं। जाने दीजिये गुड़ को वहाँ। क्यों प्रतिबन्ध आप लगाये हुए हैं। हम गरीबों को भी कुछ अधिक पैसा मिल जाने दीजिये। खास तौर पर गन्ने का भाव आप डाई रुपया कर दीजिये। कितने ही कांग्रेस वालों ने इसकी मांग की और तब आपने माना और दो रुपया का भाव दिया। आप को चाहिये कि आप डाई रुपया दें। गेंदा सिंह जी को थ्ये इसका न दीजिये। मैं चाहता हूँ कि सरकार इस पर गौर करे और महाराष्ट्र में तथा दूसरी हर जगह पर एकसा दाम दें।

श्री बिबधनाथ राय : मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि इस सेशन के

[श्री विश्वनाथ राय]

अन्तिम दिन और बहस के लगभग अन्त में आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। मेरा इस विषय से बहुत अधिक सम्बन्ध है। जिस इलाके से मैं आता हूँ वहाँ पर चौदह शूगर फैक्ट्रीज हैं और किसी समय, आज से कोई पांच साल पहले उत्तर प्रदेश में सारी चीनी का ६० प्रतिशत उत्पादन होता था जो अब गिर गया है, कम हो गया है। शूगर इंडस्ट्री की रक्षा के लिये, जिसका महत्व भारत में दूसरे नम्बर पर है, वर्तमान खाद्य मंत्री ने जो कदम उठाया है, उसके लिये उनको भी धन्यवाद देना है। पिछले साल या इससे कुछ पहले जिस समय भूतपूर्व खाद्य और कृषि मंत्री श्री पारिल ने वैज्ञानिक बातों का हवाला दे कर गन्ने का मूल्य निर्धारण करने की नई नीति को अपनाया था उस समय मैंने इस बात का संकेत किया था कि यदि इस समय आप उसको कार्यान्वित करते हैं तो भारत के उन किसानों का, जो सीधे गांव से आते हैं, जिन में शिक्षा का अभाव है, उनका नुकसान हो सकता है। जिस समय श्री पुरी साहब मूल्य निर्धारण नीति का समर्थन कर रहे थे उस समय मैंने उन से एक प्रश्न किया था कि क्या होगा ऐसी फाक्ट्रियों के सम्बन्ध में जिन का प्रबन्ध खराब है और जिन की मशीनरी खराब होने के कारण, जिन का प्रबन्ध खराब होने के कारण, चीनी का प्रतिशत कम होता है। इसमें किसानों का क्या दोष होगा। इस बात की आशंका मैंने पार साल प्रकट की थी और वह अक्षरशः मेरे जिले में सामने आई है। एक स्थान है रामकोला, जहाँ पर एक चीनी फैक्ट्री का प्रतिशत १०.१ है और उसी गांव में दूसरी फैक्ट्री की चीनी का प्रतिशत ६.६ है, लेकिन गन्ने के भाव दोनों जगहों पर एक तरह के रखे गये हैं। इस तरह से वैज्ञानिक ढंग से गन्ने का मूल्य निर्धारित करने के साथ साथ यह भी देखना चाहिये कि कहीं किसानों की गलती से नहीं बल्कि फैक्ट्रियों की गलती से किसानों के उत्पन्न किये हुए गन्ने के भावों पर

तो प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यह सही है कि आप वैज्ञानिक ढंग अपनाना, लेकिन अगर दूसरी पार्टी की गलती के कारण से प्रतिशत कम होता है तो उस के लिये आप कोई उपाय करें। यह ढंग रीजनवाइज अपनाया जाना चाहिये न कि खास खास जगहों की फैक्ट्रीज को ले कर के। केवल एक एक फैक्ट्री को अलग-अलग न लेना चाहिये बल्कि किसी एरिया में चीनी का प्रतिशत जो पड़ता है उसके अनुसार आप मूल्य निर्धारण करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूँ कि जो परसेन्टज चीनी का न्यूनतम रखा गया था ६.८ उसको वर्तमान खाद्य मंत्री ने ६ प्रतिशत रख कर मूल्य निर्धारण की नीति अपनाई है। इससे एक दो लाख नहीं, बल्कि लगभग एक करोड़ गन्ना उत्पादकों को सन्तोष हुआ है। और आशा है कि उस उद्योग में, जो भारत में महत्व की दृष्टि से दूसरे नम्बर पर है, जिस का निर्यात भी देश के बाहर हो रहा है, कुछ स्थिरता आयेगी। लेकिन यह आशंका है कि अगर अगले साल फिर परिवर्तन हुआ, हर साल परिवर्तन होते जायें तो इस उद्योग धन्धे में और किसान की आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने में बाधा डाल सकते हैं। जिस तरह से कुछ साल पहले स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई के समय में, यह नीति अपनाई गई थी कि लगभग एक साल पहले नई बोवाई के पहले किसानों को उसकी पैदावार का मूल्य बतला दिया जाये, उसके बदले मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप शूगर इंडस्ट्री के लिये और पंच वर्षीय योजना के लिये केवल यह न सोचें कि हमें कितना गन्ना पैदा करना है और हमें कितना चीनी का उत्पादन बढ़ाना है, बल्कि हम यह भी सोचें कि दो या तीन साल तक हम भाव में कितना अन्तर कर सकते हैं। वह अन्तर कम से कम होना चाहिये। चाहिये तो यह कि एक साल नहीं, दो तीन साल के लिये निश्चय कर लें कि पिछली बातों को

ध्यान में रख कर मूल्य निर्धारण की बात तय करें। यह समस्या आज है ?

२ ६० मन की बात हुई। क्यों हुई ? वह इस कारण हुई कि दक्षिण में जहाँ कुछ भी उत्पादन नहीं था वहाँ चीनी का उत्पादन बढ़ा है और उत्तर भारत में, खास कर उत्तर प्रदेश और बिहार में उत्पादन कम हुआ है। उत्तर प्रदेश में जहाँ सारे भारत के उत्पादन का ६० प्रतिशत हुआ करता था वहाँ वह घट कर ४५ प्रतिशत हो गया है। बिहार की बात यह है कि पिछले तीन चार सालों में चीनी का उत्पादन तिहाई कम हो गया है इसलिये इस उद्योग घन्घे पर, जो कि रीढ़ था, आधार था, खतरा था। एक प्रदेश में उत्तर और पश्चिम में जो भेद भाव पैदा हो गया था, उसको मिटाने के लिये और इस उद्योग घन्घे को ऐसी स्थिति में लाने के लिये जिसमें हम न केवल आत्म निर्भर हों अपने देश के अन्दर बल्कि हम उसको बाहर भी भेजें क्योंकि दुनिया में मांग बढ़ रही है, मूल्य निर्धारण किया गया। इस के लिये मैं उस इलाके की तरफ से जो गरीब है मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इस के साथ यह कहा गया कि चीनी का प्रतिशत बढ़ावें और उनके अनुसार हम गन्ने के मूल्य का निर्धारण करें। इसके लिये जो साधन हो उनके लिये भी आप प्रयत्न करें। जिम तरह से इतनी उलझो हुई समस्या को, जो पाटि साहब के समय में पैदा हो गई थी, सुलझाने के लिये मंत्री महोदय ने निःसंकोच कदम बढ़ाया है, तथा, उसमें सफलता प्राप्त हुई है और हमको उससे सन्तोष हुआ है, वहाँ यह भी है कि जो सेस का मामला गन्ने के मूल्य के साथ लगा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये। या तो सेस से लाभ उठावें, गन्ना उत्पादक या गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट को लाभ होता है तो उस लाभ को आप जनरल बजट में इस्तेमाल कर के इस उद्योग की सहायता करें। आज गन्ने के उत्पादन में कमी की जाती है, आज फटिलाइजर के नाम पर, खाद देने के नाम

पर या दूसरी चीज के आधार पर जो सेस दिया जाता है उसको आप ने लेने हैं लेकिन वह नो उद्योग घन्घे को बढ़ाने के लिये, जिसके लिये वह लिया गया था, उसमें आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस के लिये केन्द्रीय सरकार के संबंध में हो या प्रदेश सरकार के बारे में हो हर तरफ से आवाज उठेगी, यह बिल्कुल उचित बात है कि जिस चीज के नाम पर पैसा लिया गया उस उद्योग घन्घे को बढ़ाने के लिये आप सुविधा दें और उस के पैसे का इस्तेमाल उसी चीज के लिये करें।

इसके साथ ही साथ जहाँ तक सुकोज की बात है, अब जो रिकवरी होती है उसके अपर मूल्य निर्धारण होता है। लेकिन इस के सम्बन्ध में आप भूल जाते हैं कि छेती करने वाले का कितना खर्च होता है। आज एक सरकार का अपना राजकीय फार्म है। चाहे सूरतगढ़ फार्म में अभी गन्ने का उत्पादन होता हो या न होता हो, लेकिन कुछ दिनों पहले जो एशिया का सबसे बड़ा फार्म था, वह उत्तर प्रदेश की तराई का स्टेट फार्म है। वहाँ लाखों मन गल्ला हर साल पैदा होता है। वहाँ पर उत्पादन की लागत जो होती है उसका भी ध्यान रख कर मूल्य निर्धारण किया जाय तो अच्छा होगा। वर्षों तक सरकार इस बात को टालती गई है। इस से अनेकों प्रकार की शंकाएँ पैदा होती हैं। इससे विरोधी दलों के लोगों को उचित या अनुचित बातें कहने का अवसर मिलता है। लेकिन अगर आप के पास कोई मौलिक आधार होगा जिस के ऊपर आप मूल्य निर्धारण करेंगे तो चाहे गन्ने का मूल्य बढ़े चाहे घटे या वैसे ही रहे, लेकिन उनको कुछ कहने का मौका नहीं मिलेगा। आपके पास तथ्य होगा जिस के आधार पर सब लोगों को उसे समझाने में आसानी हो सकती है।

उत्तर और दक्षिण में अन्तर करने की बात यहाँ पर नहीं है। जो दो रूपया की मन मिल रहा है उत्तर प्रदेश में वह बिल्कुल सही है।

## [श्री विश्वनाथ राय]

मूल्य और भी बढ़ सकता हो तो बढ़े। उसका स्वागत है, लेकिन साथ साथ दक्षिण के लोगों को भी इस बात की तरफ इशारा नहीं करना चाहिये, जो कि समय समय पर अवश्य हो जाता है कि यदि उत्तर प्रदेश की फेक्ट्रीज सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकी हैं तो उनका स्थानांतर कर दिया जाय। यदि कभी ऐसा अवसर आया तो उसका भयंकर विरोध होगा चाहे हम लोगों की तरफ से हो चाहे विरोधी दलों की तरफ से हो लेकिन फेक्ट्रीज के स्थानांतर का विरोध बहुत जोर से होगा।

**श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं कोई बहुत बड़ी बातें नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ दो या तीन बातों की तरफ खास मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने मुझाव दिये, केवल श्री शिव नारायण जी को छोड़ कर क्योंकि उन्होंने तो बड़ी-बड़ी गरम-गरम तकरीर कर के शायद वोट हासिल करने की कोशिश की है। मैंने श्री काशीनाथ पांडे और पुरी साहब की बातें सुनीं। उन्होंने पिछली दफे यह तर्क दिया कि गन्ने के दाम, चीनी का दाम नहीं घटाना चाहिये ताकि हिन्दुस्तान के जो उपभोक्ता लोग हैं वे चीनी का ज्यादा इस्तेमाल न कर सकें बल्कि चीनी को और महंगी करते जायें। उन्होंने बहुत खूले रूप में तो नहीं कहा लेकिन उन की मंशा यह थी और तर्क भी इसी दिशा में था। आज उन्होंने एक नया तर्क उपस्थित किया कि ज्यादा गन्ना बोया जा रहा है। और अगर गन्ने का दाम बढ़ जायेगा तो लोग सारी खेती को छोड़ कर गन्ना बोयेंगे। इसलिये गन्ने के दाम ज्यादा नहीं बढ़ने चाहियें, हालांकि ऊपरी मुंह से कह दिया कि दाम बढ़ने चाहियें। दूसरी तरफ पुरी साहब ने फरमाया कि रिकवरी के आधार पर दाम होने चाहियें। हालांकि पिछली दफे उन्होंने कहा था कि उसका दाम २ ६० मन होना चाहिये। दिशा

यही है कि २ ६० मन गन्ने का दाम हो जाये तो अच्छी बात है वरना कोई खास मोहब्बत नहीं है शिव नारायण जी को, यह मैं मानता हूँ। इस सिलसिले में मेरा निवेदन यह है कि गन्ने के दाम में आपको एकरूपता लानी होगी। मझे एक किस्सा याद आता है। मेरी तरफ एक देवता होता है जिसका नाम है कंकड़ बाबा। उसे दूध पिलाओ तो प्रसन्न नहीं होता, जा कर वर लाओ तो खुश नहीं होता। रास्ता चलते हुए लोग उसको कंकड़ मारते हैं। यह दशा हमारी सरकार की है। जब भी आप देखिये हड़ताल होती है, लगानार दस वर्ष से हम देखते हैं कि गन्ने के दाम पर झगड़ा होता है। आज भी गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और दूसरे जिलों में हड़ताल होती है। आज आपने गुड़ के ऊपर प्रतिबन्ध लगा दिया। दिल्ली से ही नहीं बल्कि किसी जिले से भी वह बाहर नहीं जा सकता। उस को लोग नांड रहे हैं। राज्य सभा के एक माननीय सदस्य मुकुट बिहारी लाल जी के अलावा भी बहुत से लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन वह भी गिरफ्तार हैं। आप खुद ही इस बात का अवसर देते हैं कि विरोधी पार्टियों के लोग इन सवालियों का उठाये। जब आप लोगों को जेल भेज लेते हैं और मारामारी हो जाती है, तो आप उसी बात को मान लेते हैं। मैं कहता हूँ कि आखिर जाँ आप इनके लड़ाई झगड़े हों जाने के बाद उसी रास्ते पर आते हैं, इसमें तो कोई बहादुरी की बात नहीं है। हम तो तब जानते कि आप लड़ाई झगड़े के बाद भी न मानते। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे तरीके से किसानों की उचित मांग का मान लीजिये।

अभी हमारे एक भाई ने कहा कि ढाई रुपये मन दाम दिया जाये। मुझे ऐतराज नहीं, वह पांच रुपया मांगें। लेकिन यह सीधा सा फारमुला है कि जितने आने मन गन्ना हो उतने ही रुपये मन चीनी होनी चाहिये। आप नम्र फारमुले का मान लीजिये तो सारा झगड़ा खत्म हो जायेगा।

आज चीनी की क्या हालत है ? उसमें चोरबाजारी हो रही है और किसी कीमत पर चीनी हमको नहीं मिलती जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर हैं, हमारा आदमी वापस आ जाता है उसे चीनी नहीं मिलती दिन-दिन घूमने के बाद भी । आप की जिम्मेदारी है देश की चीनी देने की । खाद्य समस्या पर बहस के दौरान कहा गया था कि सारी दुनिया में खाद्यान्न की कमी है इसलिए यहां भी कमी है, लेकिन चीनी की कमी देश में नहीं है । मिल मालिक चीनी की चोरी कर रहे हैं । वह जानते हैं कि बाहर के बाजारों में चीनी का भाव ज्यादा है इसलिए यहां भी उपभोक्ता को चीनी ठीक दाम पर मत मिलने दो । हम तो गांव से आते हैं । हमारे यहां घरों में चीनी नहीं खायी जाती । अगर हमारे यहां घरों में चीनी खायी जाये तो चीनी का देश में पता भी न लगे ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा दिया जाये । जब यह प्रतिबन्ध नहीं था तो गुड़ चालीस रुपये और ६० रुपये मन बिकता था, लेकिन आज प्रतिबन्ध के कारण गुड़ का भाव १८ रुपये मन है ।

**श्री स्वर्ण सिंह :** कहाँ है ?

**श्री सरजू पाण्डेय :** हमारे यहां गाजीपुर में है, आप जितना चाहें गुड़ इस भाव पर ले सकते हैं । गुड़ बाहर नहीं जा रहा है, इसलिए वहां व्यापारी उसे कम दाम पर खरीद रहे हैं । तो मेरा निवेदन है कि गुड़ पर से बिल्कुल प्रतिबन्ध हटा दीजिये ।

दूसरा निवेदन यह है कि चीनी को सस्ता कीजिये और जो हड़तालें आदि हो रही हैं इनको खत्म करने का यत्न कीजिये । इस चीज को प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बनाना चाहिए । विरोधी पार्टी का कोई आदमी खामब्राह्म अगड़े में नहीं पड़ना चाहता । यहां तो हम ने देखा है कि कांग्रेस के सदस्य भी इस मामले में हां हां कह देते हैं और गन्ने का दाम ज्यादा मांगते हैं क्योंकि उनको मालूम है कि ऐसा न करने से

उनको आगे बोट नहीं मिलेगा । वह भी कह देते हैं कि दो रुपये मन भाव मिले ।

**श्री शिव नारायण :** मैंने तो पिछले सेशन में भी डाई रुपये की मांग की थी, और नेशनलाइजेशन की मांग की थी ।

**श्री सरजू पाण्डेय :** हम कहते हैं कि यह बात कांग्रेसी सदस्य डर के भारे कहते हैं । और वहां जा कर कह देते हैं कि हम क्या करें मिनिस्टर नहीं मानता, हमने तो कहा । मैं तो कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य भी इसके लिए तैयार हों तो मैं भी तैयार हूं कि अगर सरकार गन्ने का दाम दो रुपये मन न करे सारे देश में और चीनी की कीमत न घटाये तो मैं इस्तीफा दे दूंगा ।

मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें चाहता हूं । लोगों ने कहा कि रिकवरी ठीक नहीं बतायी जाती और मोलासेज और खोई का दाम नहीं लगाया जाता । मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता । ये तक पिछले दस साल से दिये जाते रहे हैं । मैं तो सिर्फ यह चाहता हूं कि गुड़ पर से प्रतिबन्ध हटा लिया जाये और चीनी को सस्ता किया जाये ताकि जो अगड़े हो रहे हैं ये खत्म हों और चीनी मिलों को ठीक से गन्ना मिले । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आप को सफर करना होगा । हम गलत आलोचना नहीं करते और किसानों को भड़काना नहीं चाहते । हम तो यह चाहते हैं कि ईमानदारी से किसानों को उचित मूल्य दिया जाये ताकि जनता का भला हो ।

**श्री बिद्वनाथ राय :** गन्ने का दाम कम करने के लिए हाउस में आप कहते हैं ।

**Shrimati Savitri Nigam (Banda):** Mr. Deputy-Speaker, Sir, there is no doubt that the question of sugarcane prices is a very complicated one. But I am also sure that it could have been solved very easily and indeed any problem could be solved if the Government would not have yielded

to various pressures. It is very surprising that while the prices of sugar have increased since 1953, by hundred per cent, still the sugarcane growers are getting only the prices obtaining in 1950 in all the places except Uttar Pradesh and Bihar where the prices have been increased and also Bombay.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** In Bombay, they have increased only by 7 nP.

**Shrimati Savitri Nigam:** I am sorry. The conditions of farmers are so pathetic and they have been exploited by so many ways to such an extent that very soon you will see that a very great cry and demand for nationalisation of sugar factories would be coming soon if the Government is not successful in solving this problem. If the dis-satisfaction which is very much prevalent amongst the cane growers and the various types of exploitations which are prevalent are not stopped, naturally the sugarcane growers and the farmers who form three-fourths of the population of the country would surely come with this demand. The sugarcane grower, even today, in Uttar Pradesh where the price has become Rs. 2 per maund, which has been welcomed by everybody, in spite of the fact that the price has been increased there, is still being exploited in many ways and there are still many sugar factories with whom a large amount of arrears of sugarcane prices are still pending. What I want to suggest is that this question has become so much complicated, this has reached to such a pathetic situation, that unless the Food and Agriculture Minister who is so kind and helpful and who understands the plight of the poor farmers appoints a special committee to go through all these questions and to give some immediate relief, this dis-satisfaction would never be removed.

I have got many points to make but I would like to conclude after making one suggestion. If the Government

is unable to solve this question thoroughly and give a minimum decent price to the sugarcane growers, it would be far, far better if the Government washes off its hands from the entire responsibility and de-controls the production of sugar and the prices of sugar altogether. That would be much better. So, I would again request the hon. Minister to go through this question more deeply and to give immediate relief to the sugarcane growers.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister.

**Shri D. N. Tiwary (Gopalganj):** Before the hon. Minister replies, I want to make one submission to you. Only those who had sent chits or had gone to the Chair have been called. It should not have been given an impression that those who tried to catch the eye of the Chair have been cold-shouldered.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister.

**Shri Swaran Singh:** Mr. Deputy-Speaker, Sir, this hon. House has considered and discussed this problem of sugar and gur, sugarcane prices and other allied subjects three times during the last three or four months. There was a long debate during the last session and even during this session we had only some days ago a very full and detailed debate on the various issues some of which have again been referred to by hon. Members who have participated in the debate. To my mind, the issue involved at the present stage is a simple one.

16 hrs.

I made a statement on the floor of the House on the 12th December, 1963, and two important decisions were announced when I made that statement. The first decision was that the remaining factories in East UP and North Bihar should be enabled

to pay Rs. 2 per maund of sugarcane. And the second was that there should simultaneously be a general increase of 7 nP in the recovery formula so that the minimum price at the level of 9 per cent recovery or below would be Rs. 1.75 per maund of sugarcane and prices at other levels would be correspondingly increased.

I have listened with very great care and attention to the speeches made by hon. Members from both sides of the House. It is a very interesting phenomenon that not a single Member has criticised these decisions on the floor of the House. Not a single Member has said that the price should not have been increased to Rs. 2 in North Bihar and UP, and not a single Member has said that the increase of 7 nP per maund of sugarcane, which I had announced, at the level of 9 per cent recovery is not correct. Therefore, so far as the announcement of Government's policy on these two vital issues is concerned, I venture to submit that both these decisions have been welcomed.....

**Shri Sinhasan Singh:** May I submit.....

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order.

**Shri Swaran Singh:** ....by all sections of the House including my hon. friend Shri Sinhasan Singh.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** When demand is made for Rs. 2, I think that it will be injustice to say that the increase by 7 nP. is not objected to.

**Shri Swaran Singh:** No one has suggested that 7 nP. increase should not have been given.

I shall now explain what their demand is. They say that it should have been more. But, at any rate, so far as the additional basic price of 7 nP. and also putting on a par the remaining factories in Bihar and UP are concerned, there is unanimity of

opinion that this was a step in the right direction. So, whatever else may be the circumstances or whatever else may be the demands or new points that might be urged, so far as the decisions on these two issues are concerned, I take it that they are welcomed by all sections of the House.

I am quite conscious of the fact that other points have been urged sometimes politely and sometimes in strong language, and all types of issues which, to my mind, are extraneous, have been raised. I shall venture to place in a very objective manner the whole situation, and I shall leave it to the House to judge for itself. I myself have no intention to enter into any long argument on this issue.

Historically, the sugar industry, the sugarcane prices, the level of production and even the level of consumption etc. have passed through many vicissitudes. We had higher prices of sugarcane and we had also lower prices of sugarcane; we had less production in certain years and we had more production in other years. And depending upon the variety of circumstances not only have different views been taken in the matter of fixing the minimum price of sugarcane which is payable to the cane-growers, but different considerations have been adopted in different regions, depending sometimes upon factors which were necessary at a particular stage of development, which factors were later reviewed.

In support of this, I would like to recall to the House that there was a time when the price all over the country was based on just the weight of the sugarcane, and the minimum price payable was not linked to recovery. Then, a more scientific and a more rational thinking went into this method of giving the price, and as has been pointed out by some hon. Mem-



[Shri Swaran Singh]

bers, when you sell sugarcane, you sell really the sugar content in the sugarcane, and therefore, the linking of the price in some form with the recovery was a step in the right direction. Some hon. Members have criticised it on the ground that in actual application and implementation there are certain defects. It is not for me to protect or to defend those factory-owners and the like who are indulging in those practices. But let us not lose sight of the fact.

**Shri Bishwanath Roy:** In one village, the difference is 0.5 per cent.

**Shri Swaran Singh:** Let us not lose sight of the fact that the linking of the price with recovery is a step in the right direction. We can eliminate whatever defects there may be. As I said on the last occasion, there can be a difference of opinion as to what the minimum price is, and what the level is at which that minimum price should be fixed. Those are matters on which there can be difference of opinion. But, broadly speaking, the linking of the price with recovery is, on the whole, a step in the right direction; it will give the necessary incentive to the grower to improve the quality, and he will also adopt better farming methods to ensure that the sucrose content remains higher. But I would like to say that this was not the practice from the very beginning, but this was introduced later. Still, certain defects have been found and certain defects have been thrown up by hon. Members here, and I agree that we should do our best to rectify them. But to my mind, it is a step in the right direction.

There is another factor which I would like to mention, namely that formerly most of the sugar was produced in the north, that is, in U.P. and Bihar, and the total consumption in the country was also less. It was necessary, when the consumption pattern showed an upward trend, that the sugar manufacturing capacity should

be increased in the country. It is quite common knowledge, and those of my hon. friends in this House who belong to villages know fully well that farmers do take some time to switch over from one crop to another. It is not like changing a particular part in a machine after which it starts producing something else, but like many biological processes, the growing of crops is something which you cannot order about easily. You have to create conditions under which farmers find it profitable to switch over to other crops. When this situation unfolded itself, that it was necessary to increase production in the country and it was necessary that the sugar industry should come up in those areas where sugarcane would be of better quality, and where the sucrose content would be high, and where the yield would be higher, which should also result in diversification of the industry, certain concrete and definite steps were taken to encourage the establishment of sugar factories in Maharashtra and Andhra Pradesh and in the south. Government took a conscious decision in giving a higher price for sugar to factories in that area. Some people could probably charge Government with discrimination at that time on the ground that a different price which worked out at a level higher than the one which was justified according to the norms was given there. But that was a deliberate decision to ensure two things, firstly that the whole thing did not remain concentrated in one area and secondly that there was utilisation of potential elsewhere, and, therefore, what is called a freight advantage was given for factories which were established in the south including Maharashtra. People could say that that was discrimination, but Government took that decision consciously to attain a certain objective, it being to increase production and diversify the industry.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** On a point of information.

**Shri Swaran Singh:** Not now. He can ask at the end if necessary.

For the information of the House, I would like to give the actual figures in this connection which will amply clarify the point I am trying to place before it. I am not using that as an argument to dispel any suggestion that a particular price should be payable in a particular area. What I am saying is that as a policy, we have been pursuing necessary correctives and giving necessary incentives and we have been creating conditions where the industry should develop and grow in particular areas.

What is this 'freight advantage', because this expression has been used? I would like to pinpoint it so that it may be known clearly as to what it actually implies. While the controlled ex-factory price of sugar fixed by Government in the north is nearly equal to the cost price of sugar plus margin as determined according to the wishes of the Tariff Commission, and the authorised cane price and the estimates of duration and recovery for the season 1963-64—I am bringing it during the current period—the prices fixed in Maharashtra and the south are higher than the ex-factory cost calculations including the return permissible under the Tariff Commission recommendations. In Maharashtra, on the basis of minimum notified prices of sugarcane calculated on the basis of Rs. 1.75 per maund related to a recovery of 9 per cent., the ex-factory cost works out to Rs. 106.50 per quintal while the ex-factory price fixed is Rs. 115 per quintal. In Madras, the ex-factory cost calculated comes to Rs. 109.8 per quintal while the controlled ex-factory price is Rs. 115 per quintal. In Andhra Pradesh, the calculated cost in factories which will pay the minimum notified price works out to Rs. 110.8 per quintal while the controlled ex-factory price fixed is Rs. 115 per quintal.

**An Hon. Member:** Kerala?

**Shri Swaran Singh:** It is insignificant, because the total production is very small.

It may be observed that the Maharashtra factories have a greater margin than the factories in other States. The reason is that the majority of the factories in Maharashtra are new and have been established at a higher capital outlay than was taken into account by the Tariff Commission for working out the cost schedule. Even after providing for the additional incidence of the higher capital outlay which may work out to Rs. 3 per quintal of sugar, there is still a substantial margin available to the Maharashtra factories for paying a higher price to the sugarcane growers, which they did in the past in lieu of the price linking formula. The Maharashtra factories and the factories in the south paid in the past additional price to the cane growers out of the freight advantage. In fact, the Maharashtra co-operatives are paying additional price for cane to their members from this advantage. It may also be mentioned that the freight advantage enjoyed by the southern factories was reasonable so long as Maharashtra and the southern States were deficit in sugar and depended upon supplies from the north. The position has completely changed during the past four or five years. The southern region has not only become self-sufficient, but is fast approaching a position of surplus. Until 1953-54, Maharashtra, Andhra Pradesh, Mysore and Kerala together produced about half the sugar that they consumed. They became gradually self-sufficient in 1959-60, and during the past three years have become surplus. The production of sugar in Maharashtra has risen from 1.35 lakh tonnes in 1952-53 to 5.30 lakh tonnes in 1962-63. In the circumstances, there would not appear to be justification for continuance of the freight advantage at the same level for all times to come. It is however being continued in the interest of stabilising the industry in Bombay.—Deccan and the south and giving incentive for further

[Shri Swaran Singh]

development because of the higher tonnage of sugarcane per acre and generally better recoveries of sugar from sugarcane obtained in these parts. At the same time, there would not appear to be strong justification for increasing the consumer price by raising the sugarcane price further simply because a little *ad hoc* increase has been allowed in the north owing to special circumstances prevailing during the current year.

I took this time of the House to place very objectively the factual position before it. I am not advancing any argument based on this. But this will definitely indicate that whatever else may be the charge, there cannot be a charge of discrimination against Government in the matter of treating factories in the south, in Maharashtra or in other parts of the country. Again I very carefully wanted to understand as to what is the argument. It boils down to this. It is said that Rs. 2 should be the minimum price payable to the grower and the further price should be calculated on that basis all over the country. That may be put forward as a demand, but certainly the charge of discrimination has no legs to stand on, because even in the north, it is not that Rs. 2 has been made the basis for further calculation on a minimum recovery. On that basis, the prices in East U.P. and Bihar would shoot up very much above Rs. 2. But that is not the intention. The conscious and deliberate decision was that there should be a certain uniform price increase all over which price increase will be reflected in higher minimum price payable to the growers based on recovery, and on that basis 7 nP. has been given all over the country.

I would also like to recall to the memory of this hon. House one thing, because sometimes in the heat of argument and the like we are prone to forget basic facts. This year, there has been an increase throughout the country in the basic minimum price of

25 nP. all over the country. That is a thing which is conveniently forgotten and no mention of this was made by hon. Members.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** It was mentioned.

**Shri Swaran Singh:** Did I interrupt him when he spoke?

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** It was mentioned. The only criticism was that it was not uniformly adhered to.

**Shri Swaran Singh:** I am glad the hon. Member sees certain inherent weaknesses in his arguments. This increase of 25 nP. on the basic minimum price that is payable to the grower is applicable throughout the country. With regard to certain factories and certain areas where as a result of the overall assessment, Government came to the conclusion that there is such a competition from gur and khandsari that an assured supply to the sugar mills will not be possible, they made the variation. That variation was made not in the statement I made on the 12th December but in the earlier statement. We are discussing the 12 December statement and not the earlier one which was discussed in very great detail when the House deliberated over this issue some weeks ago. In this there is no new principle except the extension of a principle which had been already recognised to certain tracts which had been left and where also it was thought that if we did not extend it to that area, we would be inviting trouble in the sense that fresh competition from gur would start in those areas. Therefore, the basic structure of price fixation continues to be the same. I have not introduced any new idea or new thought in this except that I have liberalised it in two respects. One is that I have given a 7 nP. increase overall which will also be reflected in the additional calculation of price payable to the grower all over the country, including, south, north, everywhere. I have not

made Rs. 2 as the basic price for 9 per cent in any part of the country. So there is no question of discrimination. There could be some justification in this if I had decided that 9 per cent recovery in U.P. or Bihar or the northern part was the basis for further additional price to be paid to the grower if the recovery was higher. That is not the case anywhere. So that whatever else may be there, I am sure that the charge of discrimination cannot certainly be levelled, particularly when it comes from an hon. Member for whom I have great respect for his ideas and the way he expresses them. I felt somewhat distressed when I noticed that he was saying this in a very heated manner without understanding the full implications of what he was trying to make out. Some hon. Members said that the co-operative sector is not considered properly in the grant of licences. I intervened at that time and the hon. Member mentioned it to me also. I find that the whole matter is still being examined and no licence has been granted to anybody. I would like to repeat that it is the Government's intention to give all possible help and encouragement to the co-operative sector and if they are coming forward in any particular area, we will see that they receive all encouragement. It is not fair to base an argument on a matter which is not yet decided. As my colleague answered in Parliament, a committee is examining various applications for the grant of licences; its recommendations are not yet known. If the sources of information of my hon. friend are more than mine, if somebody who might have done some nothing or some opinion has frightened him, I have sympathy with him but I have nothing to rebut because no decision has yet been taken.

I was unable to follow the point that he raised about the excess rebate on additional production working to the prejudice of co-operatives. If he gives me a note I will examine it. It is a straightforward rebate on additional production throughout the

period. The rate is slightly different in the initial stages when recovery is low, for the period when the production is optimum it is 20 per cent on additional production, and again when the sucrose content shows a tendency to go down at the end of the period the rebate is 50 per cent. On total production, there is incentive over the year, but divided into three segments—earlier period, optimum period and later period. This is a fiscal measure which should work in the same way whether it is co-operative sector or private limited company or any other structure. Anyway, he must have studied this point and if anything works against co-operatives, I welcome a discussion between him and me or he can give me a note. It is not our intention to do so and I am still unconvinced how it could be so. If it is so, I am prepared to rectify it.

Then, some legal and constitutional issues were raised. I also studied law, though I am not actively in it now, I do not know the basis of his advice to say that it is legally and constitutionally incorrect. We took a conscious decision to give incentive in a particular area. Some years ago, we gave additional price to Maharashtra and other regions in the south. We find that the situation is that during the last two years, production has been reduced by one-third in U.P. and Bihar and it causes such a difficult position in the country. It is our intention to step up production and therefore, some incentives are provided in an area where it is needed. I cannot see the constitutional or legal point in it. Can we judge it from one angle when incentives are given to increase production in one area and from another angle in another area? Can it become discriminatory and illegal if it is done in some other area? One may not like it; it is a different matter. One can examine it. But to say, it is illegal or unconstitutional is something which is not sustainable.

[Shri Swaran Singh]

I am purposely not referring to the general observations about stepping up of agricultural or cane production because they have been discussed in great detail some time ago. I agree that the price payable to the growers in the next season should be known to them before the sowing season and a statement will be made indicating the minimum price payable in different parts of the country after examining the various factors involved and also indicating the basis on which these prices are to be fixed; it will be before the sowing season commences.... (Interruptions.) But I may say clearly in respect of gur that the prices now obtaining even in surplus States of U.P., Madras, Bihar, Andhra Pradesh are not uneconomical. If prices sag to an uneconomic level, we could consider whether any modification of the policy is necessary. If anything, I notice certain hardening tendencies because some traders, clever and shrewd people that they are, see that some pressures are being built and some arguments are advanced and are waiting to see whether Government is not going to remove control or relax the control. I want therefore to make a very clear statement that we are watching the situation very carefully and we will step in for modification only if the prices fall to distress level. We are satisfied that the present price compares favourably with the price that one gets for supplying gur to the mill. If traders resort to hoarding, cornering and try to push up prices, they will be sorely disappointed, if they think that Government is going to alter their policy on these considerations. I am fully conscious of the difficulty that is being experienced in States like Gujarat and Rajasthan which depend entirely on supplies of gur from other parts. We will certainly see that gur which is obtained at a reasonable price here is moved in sufficient quantities so that the consumer there does not face the difficulties that he is facing today.

We tried to grapple with the problem and take some concrete steps and that itself would yield results; the price of gur had ruled at a very high level which ultimately is not in the interests of the grower also because that can be maintained only if this balance between sugar and gur is maintained at a proper level. If this is violently upset, the other considerations would arise, and they have risen during the past, when gur price crashed to a very low level. So, we are watching the situation very carefully and it is our intention to pursue the policy of giving an equitable price to the grower which has been done because throughout the country we have given 25 nP. more in areas where the competition is more. We have given an additional incentive in the interests of stepping up the overall production, because the carry-over this year was very small. This is also a step which I think will convince the trade. Nothing else convinces the trade than concrete steps. Let us not be frightened merely because there are some difficulties in the immediate future or at the moment. This is a situation which is a complicated one, and I am susceptible and amenable to rectification of certain difficulties that might arise. But let us reconcile ourselves to the basic policy which I ventured to make when I made the statement on 12th December.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** One question, Sir.

**Mr. Deputy-Speaker:** No question. If I allow one question for you, I will have to allow others also.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** At least for the Mover one question must be allowed.

**Mr. Deputy-Speaker:** No question.

**Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:** One question by way of clarification.

**Mr. Deputy-Speaker:** No question. The discussion is over. Let us pro-

ceed to the Half-hour Discussion.  
Shri Kishen Pattnayak.

16. 33 hrs.

# FAMINE IN RAJASTHAN\*\*

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
(Parbhani): Sir—(Interruption).

श्री किशन पटनायक (सम्बलपुर) :  
उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है ।

Shri Tulshidas Jadhav (Nanded): I  
want to ask one question.

Mr. Deputy-Speaker: There cannot  
be any question. I am sorry.

Shri Tulshidas Jadhav: One ques-  
tion.

Mr. Deputy-Speaker: No.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
On a point of order.

Mr. Deputy-Speaker: No point of  
order now.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
Even without listening to the point  
of order?

Mr. Deputy-Speaker: I have taken  
up the other business.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
I had raised it even before.

Mr. Deputy-Speaker: Is that with  
regard to the Half-an-hour discus-  
sion?

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
No, before this discussion I raised it.

Mr. Deputy-Speaker: I have called  
the hon. Member.

Shri Shivaji Rao S. Deshmukh:  
The discussion is not yet initiated.

Mr. Deputy-Speaker: Order, order.

श्री किशन पटनायक : उपाध्यक्ष महोदय,  
मुझे बहुत दुःख है कि आज़ादी के १६ साल के

बाद और योजना के एक युग के बाद, एक  
घोर अकाल की स्थिति के बारे में मुझे  
आलोचना शुरू करनी पड़ रही है ।

जब देश के किसी भी इलाके में घोर  
अकाल की स्थिति आती है और लाखों आदमी  
और जानवर खतरे में पड़ जाते हैं, तो उसमें  
एक तो यह साबित होता है कि योजना की  
नीतियाँ असफल रही हैं, और दूसरा यह कि  
सरकार के प्रशासन को लकवा मार गया है  
और वह खत्म हो गया है । यह नीति के बारे  
में और प्रशासन के बारे में असफलता का  
परिणाम है कि इस युग में घोर अकाल की  
स्थिति पैदा हो गयी है ।

पहली बात मेरी यह है कि सिर्फ राजस्थान  
में ही नहीं बल्कि हिन्दुस्तान के और भी कई  
इलाकों में अभी भी अकाल की स्थिति है,  
जैसे उड़ीसा, पंजाब और मध्य प्रदेश के कुछ  
इलाके । कुछ इलाकों की स्थिति प्रचार न  
होने से अखबारों में ठीक ढंग से नहीं आ पाती  
जैसी कि राजस्थान की स्थिति आ गयी है ।  
उड़ीसा में तो इस स्थिति का एक नतीजा  
निकला है, जो कि जाहिर हो गया है । उड़ीसा  
में दो हजार आदमी के करीब हैजे से मर  
जाना इसी अस्वाभाविक स्थिति का परिणाम  
है । इन मौतों का कारण अकाल के सिवाय  
और कुछ नहीं है लेकिन हैजे के कारण अकाल  
की स्थिति तो छिप गयी और हैजे की बात  
फैल गयी । इस जमाने में, आज़ादी के १६ साल  
के बाद देश के एक इलाके में एक दो महीने में  
दो हजार आदमियों की इस तरह हैजे से मौत  
हो जाना यह बहुत शर्म की बात है ।

यों तो एक दृष्टि से हिन्दुस्तान में कुछ  
इलाके ऐसे हैं जहाँ कि निरन्तर अकाल की  
स्थिति रहती है, और हर राज्य में ऐसा  
एक एक इलाका होता है । और हिन्दुस्तान  
में जिस ढंग से योजना हुई है, उससे इलाकों  
में गैर बराबरी बढ़ रही है । योजना एक  
चक्की है जो कि इन इलाकों को पीस रही है ।

\*\*Half-an-hour discussion.

[श्री किशन पटनायक]

एक तरफ तो हर राज्य में एक आइम्बर का इलाका होता है जहां योजना से लाखों रुपया खर्च होता है, फिजूलखर्ची होती है, और दिखावे के लिए कुछ आइम्बर की चीजें हो जाती हैं।

16.36 hrs.

[MR. SPEAKER in the Chair]

और दूसरी तरफ अंधेरा रह जाता है। इस तरह से हिन्दुस्तान में एक अकाल का और क्षुधा का भूगोल है। हर प्रान्त में ऐसे अकाल वाले इलाके हैं जैसे उत्तर प्रदेश का पूर्वी इलाका, राजस्थान का पश्चिमी इलाका, पंजाब का दक्षिणी इलाका, उड़ीसा का दक्षिणी इलाका, आन्ध्र का उत्तरी इलाका। ऐसे इलाके हर प्रान्त में हैं जहां कि निरन्तर अकाल की स्थिति रहा करती है। और जब स्थिति इससे भी ज्यादा बुरी हो जाती है, तब उसकी अखबारों में चर्चा होती है और हम संसद में उसका जिक्र करने हैं कि अकाल की स्थिति हो गयी है। यह स्थिति इतनी भयावह हो जाती है कि उसके प्रति हम लोगों की प्रतिक्रिया भी ठीक ढंग से नहीं हो पाती।

अकाल का मसला इतना बड़ा मसला है कि इस पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि यद्यपि इस अधिवेशन के शुरू होने के पहले ही दिन से हम लोगों ने इस पर बहस के लिए कोशिश की, लेकिन आज आखिरी दिन इस पर बहस के लिए आधे घंटे का समय दिया गया है।

राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है उसको भी अभी तक सरकार ने ठीक ढंग से नहीं माना है। हर अखबार में इसकी रिपोर्ट छप चुकी है कि राजस्थान की हालत कितनी खराब है। मेरे पास एक छोटा सा अखबार है। इसमें भी बड़े अक्षरों में यह समाचार छपा है, यही नहीं, जो पूज्यपतियों के अखबार

हैं उनमें भी इसकी रिपोर्ट छप चुकी है। फिर भी राजस्थान के इन इलाकों को अकाल-ग्रस्त घोषित नहीं किया गया है। जब इसके बारे में प्रश्न हुआ था तो मंत्री महोदय ने जवाब में यह नहीं कहा कि राजस्थान का इलाका अकालग्रस्त नहीं है, बल्कि उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि यह राजस्थान सरकार का काम है कि उस इलाके को अकाल-ग्रस्त घोषित करे। उन्होंने कहा कि यह काम केन्द्रीय सरकार का नहीं है। इस प्रकार जो इतना महत्वपूर्ण मसला है उसको टाला जा रहा है। यह आदमी की जिन्दगी की बात है . . . .

अध्यक्ष महोदय : श्रीमान् जी, यह फैसला आपके नोटिस मिलने पर स्वीकार करता है कि यह मामला स्टेट का है या नहीं। आप तो आज गवर्नमेंट पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। उनको कहने से कोई फायदा नहीं है।

श्री किशन पटनायक : यह उन्होंने जवाब दिया था।

अध्यक्ष महोदय : जब आपके नोटिस आते हैं, तो मैं इस बात का फैसला देता हूं कि यह स्टेट का मामला है। तो आपका यह एतराज मेरे ऊपर आता है।

श्री किशन पटनायक : अगर वैसे है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बस मुझे इतना ही कहना है कि . . .

Shri Bade (Khargone): Can not the Centre give directions to a State that they should declare certain areas as famine areas, because there are Famine Manuals.

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा कि ऐसी बहस उठाने के लिए अबसर मांगा जाता है तो बता दिया जाता है . . . .

श्री किशन पटनायक : मैंने उसके सम्बन्ध में नहीं कहा था। मैंने तो दूसरे सम्बन्ध में कहा था।

अध्यक्ष महोदय : कहिये ।

श्री किशन पटनायक : जब मंत्री महोदय से कहा गया कि इस इलाके को अकाल ग्रस्त घोषित किया जाये तो उन्होंने कहा था कि यह हमारा काम नहीं है, राज्य सरकार का है ।

मैं यह कहना चाहता हूँ कि अकाल का विषय अगर अभी केन्द्रीय सरकार का विषय नहीं है, तो उस को जल्दी केन्द्रीय सरकार का विषय बना देना चाहिए, क्योंकि अकाल जैसी स्थिति को तो हर एक स्तर का विषय बना देना चाहिए,—वह पंचायत का भी विषय होना चाहिए और केन्द्र का भी । केन्द्र में जो पार्टी सत्तारूढ़ है, राजस्थान में भी उसी का राज्य है । इसलिए अगर केन्द्रीय सरकार को यह पावर नहीं है कि वह टैक्निकली घोषणा कर सके कि राजस्थान में अकाल की स्थिति है, तो उस को यहां पर अपनी तरफ से इस बारे में बयान देना चाहिये । उस को अधिकार है कि सरकारी स्तर पर नहीं, तो गैर-सरकारी स्तर पर राजस्थान सरकार को हिदायत, निर्देश और आदेश दे कि राजस्थान को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये ।

जब सारा काम इस ढंग से हो रहा है कि जैसे अकाल पड़ा हुआ है, तो क्यों नहीं यह घोषणा की जा रही है कि वहां पर अकाल की स्थिति है ? राजस्थान के चीफ सेंक्रेटरी साहब ने एक बयान में कहा है कि राजस्थान में एक अस्वाभाविक स्थिति पैदा हो गई है, चार हजार गांव खूतरे में हैं, २४ लाख आदमी खूतरे में हैं और २४ लाख गाय-भेड़ खूतरे में हैं । यह सब कहते हुए भी राजस्थान को अकाल-ग्रस्त क्षेत्र घोषित न करना एक पाखंड की बात है ।

अकाल की स्थिति की घोषणा में हमारी दिलचस्पी इसलिए है कि एक तो उस से सारे देश को जानकारी हो जायेगी कि हमारी सोनह साल की आजादी के बाद और बारह साल तक योजनायें चलाने के बाद देश की

स्थिति क्या है । दूसरी बात यह है कि इससे वहां के रहने वाले लोगों को भी कुछ राहत मिल सकेगी । वहां पर अकाल-ग्रस्त इलाके में लगान की माफ़ी का अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है । सिर्फ यह तय किया गया है कि लगान को मस्येंड किया जायेगा, स्थगित रखा जायेगा । लेकिन जब पैदावार ही नहीं हुई है, जब लोग भूखों मर रहे हैं, तब अगले साल भी वे लगान कैसे चुका सकेंगे, यह भी सोचने का विषय है ।

इसलिए हमारी पहली बात यह है कि राजस्थान में अकाल की स्थिति है, इस तरह का बयान पार्लियामेंट के फ्लोर पर मंत्री महोदय दें । दूसरी बात यह है कि वहां पर लगान पूरे तौर पर माफ़ किया जाये । तीसरी बात यह है कि यह जो अकाल की स्थिति पैदा हुई है, यह किस तरह पैदा हुई है, इस के बारे में मंत्री महोदय को कोई सफ़ाई देनी चाहिए और उन को बताना चाहिए कि पिछले सोलह सालों में उन इलाकों के विकास के लिए अभी तक क्या क्या योजना कार्यान्वित की गई है और उस का नतीजा क्या निकला है । राजस्थान सुनने में और देखने में फ़िज़ूलखर्ची की एक अच्छी जगह है । हम लोग सुनते हैं कि जयपुर में जब कांग्रेस अधिवेशन हुआ, तब वहां क्या क्या हुआ । यह भी सुनने में आता है कि जब प्रधान मंत्री साहब राजस्थान पधारते हैं, तो रोज एक लाख रुपये का खर्चा हो जाता है । ( *Interruptions* ) उस की तुलना में राजस्थान के पश्चिमी जिलों के विकास के लिए कितना रुपया खर्च किया गया है और इन ढाई योजनाओं से क्या क्या नतीजा निकला है, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे ।

राजस्थान का जो मसला है, यह शत-प्रतिशत पानी के अभाव का मसला है, लेकिन वहां पानी का इन्तज़ाम करने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ है । अब कहते हैं कि २५० नलकूप खोदे जायेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे,



[श्री किशन पटनायक]

लेकिन अभी तक क्या कर रहे थे, इस का जवाब मंत्री महोदय दें। मैं उन से निवेदन करूंगा कि वह इसराइल की बात सोचें, जोकि एक रेगिस्तान था। इन बारह, चौदह सालों में उस का क्या विकास हुआ है और राजस्थान में क्या विकास हुआ है, इस की तुलनात्मक सफाई मंत्री महोदय दें। राजस्थान के इन इलाकों के विकास के लिए वैज्ञानिक आधार पर एक रेगिस्तान विकास संस्था बनाई जाये, जिस की देखरेख में वहां पर विकास कार्य हो।

हमारी चौथी और आखिरी बात यह है कि अगला जनवरी मास सब से अधिक खतरनाक समय होगा, खास तौर से पशुओं के लिए जो लोग उधर घूम कर आए हैं, उन का अन्दाज है और अधिकारियों का भी यह कहना है कि जनवरी-फरवरी तक कम से कम पचास हजार पशु तो मर जायेंगे। उन की रक्षा कैसे हो सकती है? पशु मरेंगे और लोग भागेंगे। वे अब भी भाग रहे हैं। हमारा सुझाव है कि पार्लियामेंट के सदस्यों का एक कमिशन बिठाया जाय, जो इस बात की तुलनात्मक जांच करे कि उन इलाकों में कितने लोग और पशु रहते हैं और जनवरी-फरवरी तक कितने लोग और पशु वहां पर रहते हैं, ताकि अकाल की स्थिति के बारे में सब तथ्य पूरी तरह से मालूम हो जाय।

**Shrimati Gayatri Devi (Jaipur):** In view of the fact that there is shortage of water in Western Rajasthan, may I know what measures the Rajasthan Government propose to take or propose to put up to the Union Government to combat the shortage of water there and consequently the shortage of fodder also? May I also know how the Rajasthan Government have utilised the grant of Rs. 1 crore that the Central Government is supposed to have given to them? In view of the fact that the rains failed in May, June and July and the Government of Rajasthan knew that those

conditions would prevail, may I know why adequate arrangements were not made to combat these conditions?

**श्री रामसेवक यादव (बाराबंकी) :** अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने पिछली बार कहा था कि हिसार और राजस्थान में जानवर बिल्कुल नहीं मरे हैं, लेकिन अखबारों में खबरें शायी हुई हैं, सरकार के रेडियो से भी यह कहा गया कि और इस के अतिरिक्त हमारे माननीय मित्र, श्री सिधवी, ने, जो उस इलाके में घूम कर आए हैं, यह बताया है कि वहां जानवर मरे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में वस्तु-स्थिति क्या है।

**स्वाछ तथा कृषि मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :** अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस विषय की चर्चा आज इस सदन में हुई, जिसकी बदौलत माननीय सदस्यों का ध्यान इस अहम मसले की ओर आकृष्ट होगा। परन्तु मेरे मित्र, श्री किशन पटनायक, ने ज्यादातर उड़ीसा में हुई कठिनायियों की चर्चा की और बताया कि वहां पर हैजे से दो हजार लोगों का देहावसान हुआ है। चारे के सम्बन्ध में यह सवाल है, मगर माननीय सदस्य ने हैजे से मृत्युओं की चर्चा की, यह बात मेरी समझ में नहीं आई। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि किस इलाके में कितने पशुओं की मृत्यु हुई।

मेरे दूसरे परम् मित्र, श्री रामसेवक यादव, ने कहा कि माननीय सदस्य, श्री सिधवी जी, वहां पर घूम कर आए हैं और उन्होंने ने बताया है कि वहां पर पशुओं की मृत्यु हुई है। लेकिन मैं उन को सूचना देना चाहता हूं कि श्री सिधवी के भाई की शादी अभी कलकत्ते में थी, जिस के कारण पिछले बीस दिनों से वह वहां थे। वहां से मुझे भी निमंत्रण मिला था। मैं नहीं समझता कि इन दोनों बातों में क्या तुक है।

महारानी साहबा ने पूछा कि राजस्थान सरकार की ओर से इस सम्बन्ध में क्या किया जा रहा है और भारत सरकार इस में क्या सहायता देने की बात सोच रही है। यह बहुत माकूल बात है। मैं मानता हूँ कि इस साल वर्षा का अभाव रहा है और, जैसा कि महारानी साहबा ने कहा, वहाँ के लिए यह कोई नई बात नहीं है। वहाँ पर दो चार बरसों का अन्तर दे दे कर अक्सर यह चीज होती आई है। आज़ादी हासिल करने के बाद हम ने योजनाबद्ध विकास करने की कोशिश की है। श्री किशन पटनायक ने कहा है कि योजना अमफल हुई है और सरकारी प्रशासन भी इस का मुकाबला करने में सफल नहीं हुआ है, जहाँ तक योजना का सम्बन्ध है, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इस बात का शायद उनको पता नहीं है कि योजना के अन्तर्गत राजस्थान के उन इलाकों में जहाँ बालू का ढेर है, राजस्थान नहर जा रही है। जैसलमेर में जहाँ पानी बहुत कम मिलता था वहाँ करीब ६५,००० एकड़ जमीन सिंचाई करने लायक अभी हो रही है। हमारे मित्र धामम जी ने नलकूपों की व्यवस्था की है, और जब वे चालू हों जायेंगे तो ६५,००० एकड़ जमीन सिंचाई के अन्दर आ सकेगी।

श्री किशन पटनायक : पैदावार कम हुई है।

डा० राम सुभग सिंह : पैदावार का जहाँ तक सम्बन्ध है, मेरे बड़े अनुभवी मित्र श्री पटनायक जी उड़ीसा से आते हैं। वहाँ पर इन्डस्ट्री भी पूरी मात्रा में है और खेती की जमीन भी उत्तम ढंग की है। उन सरीखा मित्र अगर उड़ीसा में काम करता है और फिर भी वहाँ गरीबी बराबर रहती है तो इसके लिए आज चाहे प्रशासन सीधे जबाब ....

श्री किशन पटनायक : दूसरे पटनायक जिम्मेदार हैं, मैं नहीं हूँ। आप फर्क गंही कर रहे हैं।

डा० राम सुभग सिंह : राजस्थान सरकार ने इस समस्या का मुकाबला करने के लिए क्या कुछ किया है, यह मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। ८५ लाख रुपये खर्च करके वहाँ चारा पहुँचाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी ३,८६४ गाँवों में कुछ कठिनाई पैदा हो गई है पशुओं के चारे की। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग ४५,००० वर्ग-मील है।

हमारे माननीय सदस्य एक बहुत तगड़ी पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने एक कमीशन बनाने की मांग की है। मैं तो उनसे आशा करता था कि खुद जाते, देखते और बताते कि क्या कार्रवाई करें। मैं तैयार था उस कार्रवाई को करने के लिए। उन आदमियों की संख्या पूछी जाती है जो प्रभावित हुए हैं, ४५,००० वर्ग मील में कोई २७-२८ लाख आदमी इससे प्रभावित हुए हैं। जैसा अन्वयारों में निकला है अगर प्रति व्यक्ति एक पशु हो तो २७ लाख पशुओं को हमें देखना है। उनका इन्तिजाम करना है। अगर कुछ पशुओं को मध्य प्रदेश क्षेत्र में ले जाया जा सके जहाँ कुछ चरी है, तो उनको वहाँ राजस्थान सरकार ले जा रही है। बीस केन्द्र उन्होंने खोले हैं जहाँ प्रति पशु प्रति दिन तीन किलोग्राम घास दिया जाता है।

हमारे सुरक्षा मंत्री ने, जो इनके पास घास रहता है, सेना के घोड़ों के लिए उसमें से पांच सौ टन कहा है कि तुम जा करके बंटवा सकते हो। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। राजस्थान में जितने जंगल हैं, वहाँ से हर जिले के लिए वन विभाग ने खोल दिया है कि एक लाख मन बीकानेर इत्यादि में घास ले जा सकते हो। अगर स्थानों के नाम मैं बताऊँ तो काफी वक्त लग जाएगा कि कहाँ कहाँ घास भोज दी गई है। इसके अलावा सात लाख मन भूसा और घास राजस्थान सरकार दूसरी जगहों से खरीद कर लाने की बात सोच रही है और उसको

## [डा० राम सुभग सिंह]

लाया जा रहा है। पचास हजार पशु बाहर जा रहे हैं, उनके जाने का खर्च, जब उनको आना होगा, उसका खर्च और वहां उन लोगों को काम देने के बारे में जांच जीजे हैं, सब की व्यवस्था की जा रही है।

राजस्थान के मुख्य मंत्री १० तारीख को आए थे। उनकी कृषि और खाद्य मंत्री से बातें हुई थीं। उन्होंने बताया है कि तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर लोगों को आतंकित करने का हों मन्तव्य हो तो हम लोग भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और उसका भी परिमार्जन किया जा सकता है। घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम इस समस्या को काफी मूस्नैदी से सभाल रहे हैं। लोगों को प्रचार का शिकार नहीं होना चाहिये। जिनका एक मात्र पेशा गलत प्रचार करना है, उससे उनको घबराना नहीं चाहिये। मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जिस जिले में थोड़ा भी अतिरिक्त भूसा या घास है, उसको खरीदने की व्यवस्था कर दी जाय और वह हो गई है। करीब डेढ़ लाख मन भूसा वहां से जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने करीब पचास हजार मन घास की बात कही है और उसको एक जगह लाकर रख दिया गया है। राजस्थान सरकार के अफसर और हमारे अफसर इसको हटा रहे हैं।

पंजाब की बात भी की जाती है। बम्बई से खुदी वगैरह पंजाब भेजी जा रही है। दादरी में एक बैगन भेज दी गई है। एक हजार मन घास कालका से, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो दी थी, उसको भी पंजाब भेजने की व्यवस्था की जा रही है और वहां के मुख्य मंत्री से कहा गया है कि उसे जहां चाहें भेजें। जरूरतों को हर संभव रीति से

पूरा करने की कोशिश जो हो सकेगी, होगी। जो जरूरत है उसका पूरा करने की व्यवस्था की जाएगी।

अकाल की घोषणा करने की माननीय सदस्य ने मांग की है (इंटरप्शन) हमारे कछवाय जी का तो अकाल की तनिक भी छुट नहीं लगी है और न ही हमारे बड़े साहब को। अगर लगी होती तो वे इतने जारों से न बोलते।

जहां तक अकाल की बात है, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने कहा है कि ऐसी व्यवस्था हमने की है कि कोई भी व्यक्ति जो काम करने की इच्छा रखता है उसको कम से कम चौदह मील के अन्दर हम नहर का काम दे सकेंगे, चाहे वह माइनर स्कीम का हो, तालाब वगैरह की मरम्मत का हो या नलकूप बनाने का काम हो।

राशन शाप्स वगैरह भी ज्यादा से ज्यादा खोली जा रही हैं। १५६ फेयर प्राइस शाप्स वहां पर खोल दी गई हैं। कुछ लोग पशुओं को ले जा रहे हैं। कुछ इलाके हैं जहां से जाना कठिन है। अन्न का अभाव कहीं नहीं है। जहां कहिये अनाज आज भी पहुंचाया जा सकता है। वहां की सरकार जिस वक्त कहेंगी, ऐसा कर दिया जायेगा। सबाल यह है कि अगर वर्षा न हुई तो क्या होगा। बीकानेर में १२२ कुओं से पानी साढ़े बारह रुपये प्रतिदिन खर्च करके बराबर निकाला जा रहा है और जिस किसी को पशुओं के लिए अथवा अपने लिये पानी की जरूरत है, वह वहां से ले सकता है। दिन भर राजस्थान सरकार पानी खिंचवाती है और लोग उसका उपयोग करते हैं। सूखे हुए कुओं में जहां पानी मिलने की सम्भावना है, उनको भी दुरुस्त करवाने की कोशिश की जा रही है। यही बात तालाबों के बारे में है। आतंक बिल्कुल नहीं है और आतंक वाली बात को मैं काटना

चाहता हूँ। स्थिति आज माधारण इस माने में है कि पिछली जो वर्षा हुई थी उससे कुछ हद तक राहत पहुँच गई थी। आज यह है कि राजस्थान सरकार इस समस्या को हल करने के लिए काफी रुपया खर्च कर रही है। ८५ लाख रुपये की जो बात मैंने कही है वह राजस्थान सरकार की योजना है। लेकिन उनका निश्चय यह है कि वे चार करोड़ रुपया खर्च करेंगे और इसकी निसवत वे भारत सरकार से भी निवेदन कर सकेंगे। लेकिन हम इस अनुमान पर चलते हैं कि अगर बिल्कुल वर्षा आज से जून तक न हुई तो भी इस का मुकाबला बगैर घबराये हुए हम कर लेंगे। २७ लाख पशुओं को, खाने के लिए दे देंगे। अब तक तो वहाँ के तीन चार जिलों के पशु जाते थे बहावलपुर की ओर या पाकिस्तान की ओर। वह मार्ग अब बन्द हो गया है। लेकिन मध्य प्रदेश की ओर या जोधपुर डिवीजन या जालोर की तरफ जो पशु जाते थे, वे आज भी जा रहे हैं। आज बहावलपुर का मार्ग बन्द है। बीकानेर में, बाड़मेर में, भीलवाड़ा, अजमेर, चुरू, जोधपुर, सिराही, पाली नागौर, जालोर, हर जगह पर कुछ न कुछ घास के केन्द्र खोले गये हैं और अच्छा इन्तजाम है। हम लोग खुद अपने यहाँ से, भारत सरकार की ओर से भी करीब ३२ हजार बैग उपलब्ध कराने की सोच रहे हैं और हर बैग ढाई मन वाला होगा। आप कल्पना कीजिये, उस की ताकत भूसे के चार गुने के बराबर हो जायेगी। भिवानी में चूनी पड़ी है गोआर की, और और जगहों में भी है। जहाँ पर भी अतिरिक्त भूसा, घास या खुदी है, राजस्थान सरकार की निगाह उस पर है। ऐसी कोई बात नहीं होगी कि माननीय सदस्य की उस पर निगाह हम लोगों से या राजस्थान सरकार से पहले पहुँचे। अगर उन की निगाह कहीं भी हम लोगों से पहले पहुँचेगी तो उसका हम फायदा उठायेंगे, लेकिन मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है कि कभी भी वे लोग दोनों सरकारों के आगे की बात सोच सकेंगे।

**एक माननीय सदस्य :** आप अकाल की घोषणा करेंगे या नहीं।

17 hrs.

**डा० राम सुभग सिंह :** हम अकाल की घोषणा आप के कहने से नहीं करेंगे और अगर वहाँ अनाज नहीं रहेगा तो आप के कहने से पहले हम वहाँ अकाल की घोषणा कर देंगे। लेकिन आज अनाज की उपलब्धि का सवाल नहीं है। अनाज वहाँ है। यह आप कह सकते हैं कि वर्षा न होने के कारण कोई जाता है तो कठिनाई जरूर होती है, लेकिन अनाज वहाँ प्राप्त हो सकता है। अभी हो रहा है और और भी भेज सकते हैं दूसरी जगहों में।

यहाँ कमीशन बनाने की बात कही जाती है। कमीशन बनाने की बात राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। यह बात बिल्कुल सही है कि अकाल घोषित करने का जो काम है वह राज्य सरकार का काम है। वह परिस्थिति का अध्ययन करके अगर चाहें तो अकाल घोषित कर सकते हैं। आज उन्होंने घोषणा कर दी है कि वर्षा न होने के कारण स्केअसिटी कंडिशन है। जो जरूरत की चीज है अगर उस को पहुँचाने में हम आनाकानी करते तब आप को कहने की जरूरत पड़ती। लेकिन कहां आनाकानी है। इसलिये मैं आप की इस बात को नहीं मानता हूँ।

जहाँ तक इजराइल का सवाल है, वह बिल्कुल सही है, इसे मैं मानता हूँ। लेकिन आप खुद सोचिये कि इजराइल के आदमियों को हमारे मित्र श्री पटनायक और दूसरे लोग क्या समझते हैं। क्या वे इजराइल के आदमियों के बराबर काम करते हैं। अगर नहीं करते : . . .

**श्री किशन पटनायक :** हिन्दुस्तान का आदमी सब से कम कैलोरी खाता है।

**डा० राम सुभग सिंह :** अगर उतना नहीं करते तब कैसे यह बात कह सकते हैं। उन्होंने रेगिस्तान का विकास करने के सम्बन्ध में भी

[डा० राम सुभग सिंह]

कहा । एयरिड जोन रिसर्व इन्स्टिट्यूट की ओर से हर वंग की चीजों के ऊपर देख रेख होनी है और हम लोग उस को और आगे बढ़ावेंगे ।

**श्री शिव नारायण (बांसी) :** क्या कृषि मंत्री बतलायेंगे कि उन्होंने कितने दिन तक राजस्थान का दौरा किया ।

**डा० राम सुभग सिंह :** बिल्कुल दौरा नहीं किया । इसलिये वहाँ जो पशुओं की कटिनाई की समस्या है उस कटिनाई का हम लोग ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ कर हल करेंगे अगर कहीं पर किसी भी पशु पालने वाले आदमी को खाने की दिक्कत होती है तो इसके लिये भी राजस्थान, गुजरात, पंजाब की गवर्नमेंट्स इमदाद करेंगी अगर उड़ीसा में भी कहीं दिक्कत हो तो उस के लिये भी इमदाद देंगी ।

17.04 hrs.

#### MEMBER SWORN

**The Minister of Parliamentary Affairs (Shri Satya Narayan Sinha):** Mr. Speaker, Sir, Shri Chandrabhan Singh has been returned to Lok Sabha from Bilaspur constituency. He could not reach the House in time to be sworn in before the commencement of today's sitting due to circumstances beyond his control as he unfortunately missed the train. I would request that he may be sworn in now as it is the last sitting of the Session.

**Mr. Speaker:** There is no objection. Secretary may call out the name of the Member.

**Secretary:** Shri Chandrabhan Singh.

**Mr. Speaker:** The Minister of Parliamentary Affairs may introduce the Member to the House.

**Shri Satya Narayan Sinha:** Sir, I have great pleasure in introducing to you and through you to the House Shri Chandrabhan Singh who has been returned to Lok Sabha from Bilaspur constituency of Madhya Pradesh in the vacancy caused by the election of Shri Satya Prakash having been declared void.

Shri Chandra Bhan Singh (Bilaspur)

17.06 hrs.

#### ADJOURNMENT OF HOUSE

**Mr. Speaker:** Now, of course, I need not say anything. The session has been quite an exciting one. Besides the legislative business, we have had many discussions. Sometimes I have wondered if it were not due to the indulgence and the forgiving nature of the Members what would be the fate of the Speaker who has to disappoint so many of the Members every day. I cannot find even one Member whom I might not have disappointed at one time or the other. I am grateful to all the Members that they have been cooperative. I give them my good wishes that they might go to their constituencies and work for the service of the country. Now the Hopes will stand adjourned sine die.

17.07 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned sine die.*

[Saturday, December 21, 1963/Agrahayana 30, 1885 (Saka) ]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS		COLUMNS	STATEMENT BY MINISTER		COLUMNS
S.N.Q. No.	Subject				6087-88
9.	Escape of prisoners from Jail	6071-78	The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) made a statement regarding re-classification of cities for the purpose of grant of compensatory (city) allowance and the house rent allowance to the Central Government employees.		
10.	Supply of Flour in Delhi.				
CALLING ATTENTION TO MATTERS OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE :		6079-85	STATEMENT BY MEMBER		6089-92
(i)	Shri G.G. Swell called the attention of the Prime Minister to the recent India-Pakistan border incidents.		Shri Inder J. Malhotra made a statement in respect of certain answers given by the Minister of State (Food and Agriculture) on the 10th December, 1963 to Starred Question No. 479 and supplementaries thereon, regarding Delhi Milk Scheme Ghee.		
	The Prime Minister (Shri Jawaharlal Nehru) made a statement in regard thereto .				
(ii)	Sardar Kapur Singh called the attention of the Minister of Transport to the reported deplorable condition of bridges in the districts bordering on East Pakistan .		The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Shri A. M. Thomas) replied .		
	The Minister of Shipping in the Ministry of Transport (Shri Raj Bahadur) made a statement in regard thereto .				
PAPER LAID ON THE TABLE		6086	BILLS INTRODUCED		6093
A copy of the Union Public Service Commission (Exemption from Consultation) Second Amendment Regulations, 1963, published in Notification No. G.S.R. 1888 dated the 14th December, 1963, under clause (5) of article 320 of the Constitution, together with an explanatory note.			1. The State Bank of India (Amendment) Bill, 1963. 2. The Advocates (Amendment) Bill, 1963.		
MESSAGE FROM RAJYA SABHA		6086-87	DISCUSSIONS UNDER RULE 193		6094-6235
Secretary reported a message from Rajya Sabha that at its sitting held on the 19th December, 1963, Rajya Sabha agreed without any amendment to the Companies (Amendment) Bill, 1963, passed by Lok Sabha on the 16th December, 1963 .			(i) Shri Prakash Vir Shastri raised a discussion on steps to root out corruption in administration. After some discussion Shri P. K. Deomoved that the discussion be adjourned. The motion was adopted.		
REPORT OF ESTIMATES COMMITTEE PRESENTED		6087	(ii) Shri Shivaji Rao S. Deshmukh raised a discussion on the statement made by the the Minister of Food and Agriculture on the 12th December, 1963, regarding sugarcane prices. The Minister of Food and Agriculture (Shri Swaran Singh) replied to the debate and the discussion concluded.		
Thirty-ninth Report was presented.					

COLUMNS		COLUMNS	
HALF-AN-HOUR DIS- CUSSION . . .	6235-49	HALF-AN-HOUR DIS- CUSSION— <i>contd.</i>	
Shri Kishan Patttnayak raised half-an-hour discussion on points arising out of the answer given on the 13th December, 1963 to Short Notice Question No. 3 regarding famine in Rajasthan.		Singh) replied to the discussion.	
The Minister of State in the Ministry of Food and Agriculture (Dr. Ram Subhag		MEMBER SWORN . . .	6249-50
		Shri Chandrabhan Singh made and subscribed the oath in Hindi and took his seat in the House. ■	
		Lok Sabha adjourned <i>Sine die</i> .	

---

## OF THE SIXTH SESSION (1963) OF THE THIRD LOK SABHA

Period of the Session . . . . .	18th November to 21st December, 1963.	Number of Discussions held under Rule 193 (Matters of Urgent Public Importance)	
		(i) Notices received . . . . .	19
Number of meetings held . . . . .	26	(ii) Discussions held . . . . .	2
Total Number of Sitting hours ]	154 hours 25 minutes	Numbers of statements made under Rule 197 (Calling Attention to matters of Urgent Public Importance)	
Number of Divisions held . . . . .	14	(i) Notices received . . . . .	474
Government Bills:—		(ii) Statements made by Ministers . . . . .	36
(i) Pending at the commencement of the Session . . . . .	9	Half-an-Hour Discussion held . . . . .	7
(ii) Introduced . . . . .	17	Government Resolutions:	
(iii) Laid on the Table as passed by Rajya Sabha . . . . .	1	(i) Moved . . . . .	Nil
(iv) Referred to Select Committee . . . . .	1	(ii) Adopted . . . . .	Nil
(v) Referred to Joint Committee . . . . .	1	Private Members' Resolutions:	
(vi) Reported by Select Committee . . . . .	1	(i) Received . . . . .	9
(vii) Reported by Joint Committee . . . . .	2 (excluding one laid on the Table)	(ii) Admitted . . . . .	7
(viii) Passed . . . . .	14	(iii) Discussed . . . . .	4
(ix) Returned by Rajya Sabha without any recommendation . . . . .	4	(iv) Withdrawn . . . . .	3
(x) Returned by Rajya Sabha with any amendment . . . . .	Nil	(v) Negatived . . . . .	Nil
(xi) Pending at the end of the Session . . . . .	13	(vi) Adopted . . . . .	Nil
Private Members' Bills:		(vii) Part discussed . . . . .	1
(i) Pending at the commencement of session . . . . .	42	(viii) Discussion postponed . . . . .	Nil
(ii) Introduced . . . . .	6	Government Motions:	
(iii) Discussed . . . . .	3	(i) Moved . . . . .	2 (excluding 2 moved during last session)
(iv) Withdrawn . . . . .	Nil	(ii) Adopted . . . . .	2
(v) Negatived . . . . .	Nil	Private Members' Motions	
(vi) Passed . . . . .	Nil	(i) Received . . . . .	55
(vii) Part discussed . . . . .	1	(ii) Admitted . . . . .	33
(viii) Discussion postponed . . . . .	Nil	(iii) Moved . . . . .	Nil
(ix) Report of Joint/Select Committee laid . . . . .	Nil	(iv) Adopted . . . . .	Nil
(x) Laid on the Table as passed by Rajya Sabha . . . . .	Nil	(v) Part discussed . . . . .	Nil
(xi) Pending at the end of the session . . . . .	48	Motions re: Modifications to Statutory Rules:	
(xii) circulated for eliciting opinion thereon . . . . .	1	(i) Received . . . . .	Nil
		(ii) Admitted . . . . .	Nil
		(iii) Moved . . . . .	Nil
		Number of New Parliamentary Committees created, if any, during the session . . . . .	Nil
		Number of Adjournment Motions:	
		(i) Brought before the House . . . . .	1
		(ii) Admitted but leave not granted by the House . . . . .	Nil



(iii) Ruled out of Order . . . Nil	
(iv) Consent withheld by Speaker . . . Nil	
(v) Admitted and discussed . . . 1	
<b>Total number of Questions admitted:</b>	
(i) Starred . . . . . 689	
(ii) Unstarred (including starred questions converted as unstarred questions) . . . . . 2005	
(iii) Short Notice Questions . . . . . 10	

Number of Reports of various Parliamentary Committees presented to the Lok Sabha

(1) Public Accounts Committee . . . . . 2	
(2) Estimates Committee . . . . . 3	
(3) Committee on Private Members' Bills and Resolutions . . . . . 5	
(4) Business Advisory Committee . . . . . 3	
(5) Committee on Absence of Members . . . . . 1	
Number of Members granted leave of absence . . . . . 7	
Petitions presented . . . . . Nil	

Number of New Members sworn with dates and constituencies:

S.No.	Name of Members Sworn	Date on which Sworn	Constituency Div .No.
1	Shri K.U. Sivapraghassan . . . .	18-11-63	Pondicherry
2	Shri Mukunda Padmanaba Shinkre . .	16-12-63	Marmagao
3	Shri Peter Augustus Alvares . . . .	16-12-63	Panjimoa
4	Shri Chandrabhan Singh . . . .	21-12-63	Bilaspur

Government Bills Passed by Lok Sabha during the Sixth Session

1. The Income-tax (Amendment) Bill, 1963.

2. The East Punjab Ayurvedic and Unani Practitioners (Delhi Amendment) Bill, 1963.

3. The Industrial Employment (Standing Orders) Amendment Bill, 1963.

4. The Requisitioning and Acquisition of Immovable Property (Amendment) Bill, 1963.

5. The Drugs and Magic Remedies (Objectionable Advertisements) Amendment Bill, 1963.

6. The Appropriation (No. 5) Bill 1963.

7. The Appropriation (Railways) No. 6 Bill, 1963.

8. The Unit Trust of India Bill, 1963.

9. The Central Boards of Revenue Bill, 1963.

10. The Indian Tariff (Second Amendment) Bill, 1963.

11. The Companies (Amendment) Bill, 1963.

12. The Preventive Detention (Continuance) Bill, 1963.

13. The Banking Laws (Miscellaneous Provisions) Bill, 1963.

14. The Delhi Development (Amendment) Bill, 1963.